छत्तीसगढ़ शासन - वन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष

2018-19

मांझिनगढ़- केशकाल वन मंडल एवं सरोना परिक्षेत्र कांकेर वन मंडल का परिदृश्य

''हरियाली प्रसार योजना''- नीलगिरी (क्लोनल) निजी वृक्षारोपण केशकाल वन मंडल

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्री	श्री मोहम्मद अकबर

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव	श्री सी.के खेतान
सचिव	श्री जयसिंह म्हस्के

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	श्री मुदित कुमार सिंह
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण–सह–मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक)	श्री कौशलेन्द्र सिंह
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधानएवं प्रशिक्षण संस्थान	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड	श्री अरूण कुमार द्विवेदी
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	श्री के.सी यादव
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	श्री राकेश चतुर्वेदी
सदस्य सचिव राज्य जैव विविधता बोर्ड	श्री तपेश कुमार झा

नरवा विकास कार्यशाला - 6 फरवरी 2019

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	1
	भाग – एक	
2	विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय	3–9
3	विभाग के दायित्व	10
4	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011	10–14
5	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति – 2001	15
6	विकास एवं योजना	15–23
7	कैम्पा	24–32
8	संरक्षण	33–37
9	संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण	37–46
10	बांस मिशन	46–49
11	भू–प्रबंध एवं वन संरक्षण अधिनियम	49–50
12	उत्पादन	50–52
13	अनुसंधान एवं विस्तार	52–58
14	मानव संसाधन विकास	59–61
15	सूचना प्रौद्योगिकी	61
16	सतर्कता एवं शिकायत	61–62
17	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	62–63
18	कार्य आयोजना	63
19	वित्त–बजट	64
20	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	64–72
	भाग –दो	
21	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण	72–93
	भाग – तीन	
22	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	94–100
	भाग – चार	
23	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	100–117
	भाग – पांच	
24	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड	117–127
	भाग – छः	
25	छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड	128–130

Department of Forest
Government of Chhattisgarh
Chhattisgarh
Forest Atlas
N
W
E
S

वायु प्रदूषण को कम करने
वाले औषधीय पौधे

भाग–एक

2. विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यालयों का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार हैः–

2.1 वन मुख्यालय (अरण्य भवन) अटल नगर में पदस्थ/प्रभारी अधिकारियों का विवरण
भारतीय वन सेवा संवर्ग के अधिकारी

अ.क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री मुदित कुमार सिंह (1984)	01.10.2018	
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री कौशलेन्द्र सिंह (1985)	27.08.2018	
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर	श्री पी.सी मिश्रा (1985)	31.12.2018	
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री अतुल कुमार शुक्ल (1986)	25.01.2019	अति. प्रभार
6	अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (विकास योजना), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री पी.सी पाण्डेय (1987)	01.01.2019	अति. प्रभार
7	अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री आर.बी.पी सिन्हा (1986)	27.08.2018	
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर	श्री संजय शुक्ला (1987)	24.12.2018	
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर	श्री पी.व्ही नरसिंह राव (1987)	31.12.2018	
10	अपर प्रधान मुख्य वन स रंक्षक (मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी) छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री पी.सी पाण्डेय (1987)	25.08.2015	
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री देबाशीष दास (1987)	15.09.2016	
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बांस मिशन) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (1987)	06.10.2018	
13	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री जे.ए.सी.एस राव (1987)	27.08.2018	
14	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री के. मुरूगन (1987)	11.05.2018	
15	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (1987)	27.08.2018	

अ.क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
16	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री अतुल कुमार शुक्ल (1986)	25.01.2019	
17	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (1988)	01.01.2019	
18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री यूनुस अली (1988)	11.05.2018	
19	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर	श्री व्ही. रामाराव (1988)	03.01.2019	
20	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर	श्री संजय कुमार ओझा (1989)	05.01.2019	
21	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री अनिल कुमार साहू (1990)	06.10.2018	
22	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री व्ही. श्रीनिवास राव (1990)	27.08.2018	
23	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.), छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्रीमती अनिता नंदी (1991)	06.10.2018	
24	मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री बी. आनंद बाबू (1992)	16.10.2018	
25	मुख्य वन संरक्षक, कार्या.प्र.मु.व.सं.छ.ग.अटल नगर रायपुर	श्री सुनील मिश्रा (1994)	21.01.2019	
26	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री ए.के बिश्वास (1994)	03.09.2015	
27	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री ओम प्रकाश यादव (1995)	08.10.2018	
28	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री देवाशीष बैनर्जी (1998)	01.01.2019	अति. प्रभार
29	मुख्य वन संरक्षक (ईको–टूरिज्म) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर	श्री एच.एल रात्रे (1997)	08.10.2018	
30	जनसूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक (रोकड़) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री आर.के तिवारी(1998)	14.10.2017	दि. 27.03. 2018 से उप व.सं. रोकड़ के अति. प्रभार में
31	उप वन संरक्षक (अनु. एवं मूल्यां.) कार्या.प्र.मु.व.सं.छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री एम. गोविन्द राव (1998)	08.10.2018	
32	वन संरक्षक, कार्या. प्र.मु.व.सं.छ.ग.अटल नगर रायपुर	श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय् (2000)	21.01.2019	
33	वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम.) कार्या.प्र.मु.व.सं.छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री अनिल सोनी (2000)	27.09.2017	
34	वन संरक्षक (सं.व.प्र.एवं नी.वि.), कार्या.प्र.मु.व.सं.छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्रीमती प्रणीता पाल (2001)	27.10.2018	
35	वन संरक्षक (कैम्पा), कार्या. प्र.मु.व.सं.छ.ग.अटल नगर रायपुर	श्री राजेश कल्लाजे (2001)	20.09.2018	

अ.क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
36	वन संरक्षक (वित्त/बजट.) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर एवं संरक्षण का अति. प्रभार	श्री मो. शाहिद (2001)	02.11.2018	
37	वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव (2001)	27.07.2016	
38	वन संरक्षक (भू–प्रबंध) कार्या.प्र.मु.व.सं.छ.ग.अटल नगर रायपुर	श्री अनुराग श्रीवास्तव (2003)	15.10.2018	
39	उप वन संरक्षक (कैम्पा), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री अभिषेक कुमार सिंह (2009)	29.01.2018	उत्पादन के अति. प्रभार में
40	उप वन संरक्षक कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्रीमती विजया विनोद कुर्रे (2011)	08.10.2018	II प्रशिक्षण में है।

राज्य वन सेवा संवर्ग के अधिकारी

क्र.	पदस्थापना	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	संपदा अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. अटल नगर रायपुर	श्री आर.ए पाठक	03.11.2017	
2	1) सहायक वन संरक्षक (वन्यप्राणी) 2) स.व.सं. (सहा. जनसूचना अधिकारी) 3) सहायक संपदा अधिकारी	श्री एस.जे.एच रिजवी	01.09.2017 26.08.2013	
3	सहायक वन संरक्षक (सत./शिका.)	श्री चंद्रभान अग्रवाल	19.03.2018	

छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में पदस्थ अधिकारियों का विवरण

अनु क्र.	पदस्थापना	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिर्वतन एवं निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	श्री एस.सी अग्रवाल (1983)	01.04.2018	
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर संचालक राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	श्री एस.एस बजाज (1988)	28.01.2019	
3	वन संरक्षक एवं अपर निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	श्री ए.बी मिंज (1999)	24.01.2015	
4	सहायक वन संरक्षक छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	श्री ए.के बक्शी	18.04.2017	
5	सहायक वन संरक्षक छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	श्रीमती निर्मला खेस	13.09.2017	

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों का विवरण

क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर	श्री ए.के द्विवेदी (1984)	01.04.2018	
2	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर	श्री नवीद शुजाउद्दीन (2004)	06.10.2018	

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों का विवरण

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्री राकेश चतुर्वेदी (1985)	29.11.2018	
2	मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992)	08.04.2015	
3	मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्री व्ही.एस लकड़ा (1995)	15.09.2017	
4	उप वन संरक्षक एवं उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्रीमती सतोविशा समाजदार (2010)	06.10.2018	

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, अटल नगर रायपुर में पदस्थ अधिकारियों का विवरण

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, अटल नगर रायपुर	श्री के.सी यादव (1984)	27.08. 2018	
2	अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, अटल नगर रायपुर	श्री आर.के गोवर्धन (1986)	29.05.2017	
3	उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, अटल नगर रायपुर	श्री एस.सी रहटगांवकर (1987)	01.03.2014	
4	वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, अटल नगर रायपुर	डॉ. सोमा दास (2002)	02.01.2017	
5	उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, अटल नगर रायपुर	श्री मनीष कश्यप (2015)	06.10.2018	

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, अटल नगर रायपुर में पदस्थ अधिकारियों का विवरण

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, अटल नगर रायपुर	श्री तपेश कुमार झा (1989)	10.05.201 8	

स्वीकृत एवं कार्यरत् अधिकारियों का विवरण

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत् पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	02	02	00
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	14	19	–
3	मुख्य वन संरक्षक	14	14	–
4	वन संरक्षक	22	12	10
5	उप वन संरक्षक	42	45	–
6	सहायक वन संरक्षक	189	156	33
7	संचालक, बजट	01	01	–
8	प्रशासनिक अधिकारी	02	00	02
9	स्टाफ आफिसर	01	00	01
10	लेखा अधिकारी	03	01	02
11	सांख्यिकी सहायक	03	–	03
12	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	02	01	01

2.3 वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अमला निम्नानुसार

			मुख्यालय			मैदानी		
क्र.		पदनाम	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	कार्यपालिक अमला	वनक्षेत्रपाल	5	2	3	485	300	185
2		उप वनक्षेत्रपाल	0	0	0	650	540	110
3		वनपाल	0	0	0	1668	1584	84
4		वनरक्षक / गेमगार्ड	5	3	2	4856	4041	815
		योग	10	5	5	7659	6465	1194
1	लिपिकीय अमला	कार्यालय अधीक्षक	6	6	0	7	7	0
2		लेखा अधीक्षक	10	10	0	7	6	1
3		मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड–1	26	24	2	52	50	2
4		लेखापाल / सहायक ग्रे 2	51	34	17	521	501	20
5		सहायक ग्रेड–3	58	45	13	709	585	124
6		वरिष्ठ निज सहायक	3	3	0	0	0	0
7		निज सहायक	18	16	2	14	15	1
8		शीघ्र लेखक	16	7	9	46	25	21
9		शीघ्र लेखक (अंग्रेजी)	1	0	1	0	0	0
10		स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	0	0	0
11		मानचित्राकार	7	2	5	90	44	46
12		प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
13		सहायक प्रोग्रामर	3	3	0	7	6	1
14		डाटा एन्ट्री आपरेटर	34	21	13	73	58	15
15		डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	0	0	0	2	0	2
16		लेखापाल (एस.ए.एस.–प्रतिनियुक्ति)	4	2	2	0	0	0
	अलिपिकीय संवर्ग	योग	239	173	66	1528	1297	231
1		भारी वाहन चालक	0	0	0	132	93	39
2		हल्का वाहन चालक	30	20	10	137	115	22
3		पी.टी.आई (शिक्षक)	0	0	0	3	2	1
4		सुपरवाईजर	2	2	0	0	0	0
5		पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर	0	0	0	1	1	0
6		सहायक लाईब्रेरियन	1	0	1	0	0	0
7		तकनीकी सहायक (वा.अनु.)	3	3	0	0	0	0
8		लैब टेक्नीशियन (वा.अनु.)	2	2	0	0	0	0
9		सांख्यिकीय सहायक–प्रतिनियुक्ति	1	0	1	0	0	0
10		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	0	2	0	0	0
11		कनिष्ठ तकनीकी सहायक (वा.अनु.)	6	0	6	0	0	0

			मुख्यालय			मैदानी		
क्र.		पदनाम	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
12		कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सा.आ.)	2	0	2	0	0	0
13		कनिष्ठ तकनीकी सहायक (वि.एवं प्र.)	1	0	1	0	0	0
14		कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय)	1	0	1	0	0	0
15		कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रलेख)	1	0	1	0	0	0
16		कनिष्ठ तकनीकी सहायक (लैब)	4	0	4	0	0	0
17		हरबेरियम सहायक	1	0	1	0	0	0
18		फील्ड असिस्टेंट	3	0	3	0	0	0
19		सहा. उप निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति पद)	0	0	0	7	0	7
20		पुलिस कास्टेबल (प्रतिनियुक्ति पद)	0	0	0	28	0	28
21		वाहन चालक (संविदा)	0	0	0	28	0	28
योग :–			60	27	33	336	211	125
1	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	ट्रक / टेक्टर क्लीनर	0	0	0	35	32	3
2		भृत्य / अर्दली	35	35	0	453	437	16
3		दफ्तरी	4	4	0	0	2	2
4		जमादार	2	2	0	0	0	0
5		कोटवार (दैनिक दर)	0	0	0	85	0	85
6		वन्यजीव परिचारक	0	0	0	4	0	4
7		बुक लिफ्टर	1	0	1	0	0	0
8		ट्रक / टेक्टर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर)	0	0	0	123	13	110
9		स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर)	5	0	5	55	6	49
10		चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर)	0	0	0	407	28	379
योग			47	41	6	1162	518	644
सांख्येत्तर पद								
1		वनरक्षक	0	0	0	350	193	0
2		वन चौकीदार	0	0	0	492	316	0
3		वायरलेस ऑपरेटर	0	0	0	161	145	0
4		भृत्य / चौकीदार	0	0	0	1412	869	0
योग			0	0	0	2415	1523	0
महायोग			356	246	110	13100	10014	2194

वन विभाग की मैदानी ईकाइयाँ

- क्षेत्रीय वन वृत्त
  - वन वृत्त रायपुर → वन मंडल (5)
  - वन वृत्त दुर्ग → वन मंडल (5)
  - वन वृत्त बिलासपुर → वन मंडल (9)
  - वन वृत्त सरगुजा → वन मंडल (6)
  - वन वृत्त कांकेर → वन मंडल (6)
  - वन वृत्त जगदलपुर → वन मंडल (5)
- *कार्य आयोजना वृत्त*
  - वन वृत्त कार्य आयोजना बिलासपुर एवं रायपुर → वन मंडल (6)

1. रायपुर	1.दुर्ग	1. बिलासपुर	1.सरगुजा	1. कांकेर	1. बस्तर	1. रायपुर
2. बलौदाबाजार	2.बालोद	2.मुंगेली	2. सूरजपुर	2. पूर्व भानुप्रतापपुर	2. बीजापुर	2. बिलासपुर
3. गरियाबंद	3.कवर्धा	3. मरवाही	3. बलरामपुर	3. प. भानुप्रतापपुर	3. सुकमा	3. दुर्ग
4. महासमुंद	4.राजनांदगांव	4. कोरबा	4.कोरिया	4. केशकाल	4. दंतेवाड़ा	4. सरगुजा
5. धमतरी	5.खैरागढ़	5. कटघोरा	5.मनेंद्रगढ़	5. दक्षिण कोण्डागांव	5. अनु. एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर	5. कांकेर
		6. रायगढ़	6.जशपुर	6. नारायणपुर		6.जगदलपुर
		7.धरमजयगढ़				
		8. जांजगीर–चांपा				
		9. अनु.एवं विस्तार वनमंडल,बिलासपुर				

3. वन विभाग के दायित्व

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैः–

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीणविकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निवर्तन
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निवर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना।

4. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएँ, महत्वपूर्ण सांख्यिकी

4.1.4.2.3 सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन - एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	59772.40	100.00
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	59772.40	100.00
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र		
राष्ट्रीय उद्यान – 2 टायगर रिजर्व – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 8 बायोस्फियर रिजर्व – 1	11310.977	18.92

4.2 राज्य के वन एवं उनका महत्व

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17°46′ से 24°06′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टाईग्रिस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वागींण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

4.3 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छततीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2011/1/6, दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रवृत्त हो गया है। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 बनाये गये हैं जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को किया गया है। उक्त नियम दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 से प्रभावशील हो गए हैं।

अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2011 को अधिसूचना जारी कर, वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी, एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है:–

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	मालिक मकबूजा काष्ठ का भुगतान (डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत)	45 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
2	कार्यालय काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्र अधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना–शासकीय काष्ठागार हेतु	7 कार्य दिवस	काष्ठागार अधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
3	कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु	7 कार्य दिवस	परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
4	कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु	30 कार्य दिवस	उप वन मण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
5	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	शासकीय काष्ठ के परिवहन का भुगतान (काष्ठ के काष्ठागार पहुंचने तथा बिल जमा करने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
6	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण /निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
7	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
8	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
9	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	बसोड़ बही बनाने के आवेदन का निराकरण	20 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10	कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा की गई फसल/ सम्पत्ति को क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान(बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
11	कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा जनहानि/जनघायल प्रकरण में मुआवजा भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
12	कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा पशुहानि का क्षतिपूर्ति भुगतान निराकरण (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की तिथि में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
13	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर	तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समूह बीमा एवं जनश्री बीमा योजना अंतर्गत दावा के पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर तैयार कर प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय भेजना (पूर्ण आवेदन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि)	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
14	कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के पूर्ण प्रकरण परीक्षण कर जिला यूनियन कार्यालय से जीवन बीमा निगम रायपुर को भेजना	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ
15	कार्यालय उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेंदूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा वनोपज सहकारी समितियों को पहुंचाना (जीवन बीमा निगम से चेक जिला यूनियन कार्यालय में प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
16	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	जिला यूनियन से प्राप्त समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के चेक को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा हितग्राही को वितरित करना।	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
17	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेंदूपत्ता संग्राहकों के पुत्र/पुत्रियों को जनश्री बीमा योजना अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा छात्रवृत्ति के चेक का वितरण (जिला यूनियन से राशि प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
18	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज के प्रोत्साहन परिश्रमिक (बोनस) वितरण	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
19	कार्यालय पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेन्दूपत्ता व सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान	30 कार्य दिवस	पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
20	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज संग्राहक परिवार को चरण पादुका वितरण (जिला यूनियन में पूर्ण चरण पादुका प्राप्त होने पर)	45 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
21	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
22	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन बिलों का भुगतान	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
23	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	विक्रित वनोपज का स्वीकृति आदेश	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
24	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज निर्वर्तन हेतु कार्य आदेश	7 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
25	कार्यालय सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	असफल बोलीदार की सत्यंकार राशि की वापसी	7 कार्य दिवस	सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
26	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	कार्योपरांत जमानत राशि की वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
27	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीयमहाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
28	कार्या. मंडल प्रबंधक/क्षेत्रीय महा प्रबंधक/प्रबंधक (प्रशासन)	क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन	7 कार्य दिवस	सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
29	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	डिपों से वनोपज के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना	1 कार्य दिवस	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक
30	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज ठेकेदारों को राजस्व वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक

5. छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001

छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है, जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है।

वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5.1 वन नीति-2001 के मूल उद्देश्य

- संवहनीय आधार पर राज्य के विपुल वन संसाधन को खुली–पहुंच–संसाधन (ओपन एक्सेस रिसोर्स) से समुदाय द्वारा नियंत्रित संसाधन के रूप में, प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, संरक्षित एवं प्रबन्धित संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुये स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु उपलब्ध कराना।
- प्रमुख वनोपज (काष्ठ) से लघुवनोपज, एकल स्तरीय से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रमुख वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर, पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन, जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य की जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भू–क्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद (सिल्ट)जमा होने की गति में कमी लाना।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित, अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ, छोटी ईमारती लकड़ी,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को केवल आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानते हुए राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

6. विकास एवं योजना

6.1 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों को भू–क्षरण से रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाये रखने के उद्देश्य से ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' विभाग में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 200 हे. तैयारी, 140 हे. रोपण तथा 520 हे. पुराने रोपण क्षेत्रा में रखरखाव का कार्य किया गया है। वर्ष 2018–19 में 300 हे. तैयारी, 750 हे. रोपण तथा 950 हे. रखरखाव कार्य किया जा रहा है।

बिलासपुर वनमंडल नदी तट वृक्षारोपण

6.2 पथ वृक्षारोपण

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कार्य इस योजना में किया जाता है। वर्ष 2017–18 में 36 कि.मी. सड़क के किनारे वृक्षारोपण एवं 126 कि.मी. पूर्व वर्षो के वृक्षारोपण क्षेत्र का रखरखाव कार्य किया गया है। वर्ष 2018–19 में 50 कि.मी. तैयारी, 62 कि.मी. रोपण एवं 125 कि.मी. में रखरखाव कार्य किया जा रहा है।

6.3 पर्यावरण वानिकी

पथ रोपण, 5 कि.मी. तोकापाल से डिलमिली, समाजिक वानिकी वनमंडल, जगदलपुर 2008

राम वाटिका-कांकेर वन मंडल (ईशान वन क्षेत्र)

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण पार्क आदि के विकास का कार्य लिया जाता है जिससे कि, शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार हो तथा प्रदूषण की रोकथाम प्रभावी तौर पर हो सके एवं स्थानीय निवासियों में पर्यावरण चेतना विकसित हो । इस योजना में मुख्यतः पथ वृक्षारोपण, ऑक्सीजोन निर्माण आदि कार्य लिए जाते है। विगत् वर्षो में इस योजना में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	कार्य	व्यय
2016–17	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदिरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, वन महोत्सव कार्यक्रम, बॉटनिकल गार्डन मुख्य द्वारा निर्माण, गिरौदपुरी मंदिर परिसर में सौदर्यीकरण, मोहरा मेला सौंदर्यीकरण, स्व. श्री ए.पी.जे. अब्दुल गार्डन	1107. 20
2017–18	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदिरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन चेतना केन्द्र मनगट्टा, नारायण विहार, वीर वाटिका सोनाखान, वन महोत्सव कार्यक्रम	1211.61
2018–19 (दिसम्बर)	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदिरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन महोत्सव कार्यक्रम, मोहरेंगा में विकास कार्य, गंगरेल पार्क में विकास कार्य, पखांजूर तालाब एवं राम वाटिका पार्क विकास, गमना तराई पार्क पक्षी विकास विकास, 900 हे. में रखरखाव कार्य	306.95

6.4 पौधा प्रदाय योजना

इस योजना के तहत् निजी भूमि में पौध रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ''पौधा प्रदाय योजना'' के नाम से एक योजना संचालित है । इस योजना में निजी भूमि–स्वामी को उसके स्वतत्व की भूमि पर पौधा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । विभाग द्वारा 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर प्रति भूमि–स्वामी को 1000 पौधे की अधिकतम सीमा तक पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।

पौधा प्रदाय योजना के अंतर्गत पौधा वितरण-सूरजपुर वन मंडल

वर्ष 2017–18 में 11.05 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण का कार्य किया गया तथा वर्ष 2018–19 में 11 लाख पौधा तैयारी एवं वितरण कार्य किया गया है।

6.5 बिगड़े बांस वनो का सुधार

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बांस वनों का चयन किया जाकर कार्य आयोजना में उनके उपचार का प्रावधान किया जाता है जिसमें बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो गए है अथवा अत्यधिक गुंथ गए है और जिसके फलस्वरुप उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है । इन चिन्हांकित बांस क्षेत्रों में मुख्यतः गुथे हुए बांस भिर्रो की सफाई, भिर्रो की परिधि में मृदा कार्य तथा विरल बांस के क्षेत्रों में बांस पौध से रोपण का कार्य किया जाता है । बांस भिर्रो की सफाई एवं मृदा संबंधी कार्य से अविकसित भिर्रो को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है जिनसे नये बांसों के करले निकलते है तथा उनकी गुणवत्ता सुधार एवं संख्या में वृद्धि होती है ।

बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य- पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल

सुधार उपरांत दृश्य

वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का सर्वे सीमांकन एवं आर.डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)
2016–17	34615
2017–18	29557
2018–19 (दिसम्बर)	21427

6.6 बिगड़े वनों का सुधार

आबादी से घिरे तथा अत्यधिक चराई एवं निस्तार आपूर्ति का दबाव सहते हुए ऐसे वन क्षेत्र जिसका घनत्व कम हो गया है, उसे सामान्यतः बिगड़े वनो के रुप में वर्गीकृत किया जाता हैं। इन विरल वनक्षेत्रों को पुनः सघन क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए, इन क्षेत्रों में उपलब्ध जल भंडार तथा रिक्त क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार का उपचार कर वृक्षारोपण द्वारा वन आवरण को पुनः स्थापित करने का प्रयास इस योजना में किया जाता है साथ ही यह प्रयास भी किया जाता है कि क्षेत्रा में मृदा एवं जल का संरक्षण करते हुए इन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढाया जाता है । ऐसे कार्यो की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब स्थानीय निवासियों का सहयोग क्षेत्रा के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्यो में प्राप्त किया जाये। इस योजना में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है और सुधार कार्य के प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली वनोपज को समितियों को प्रदान किया जाता है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बिगड़े वनों के सुधार की योजना में निर्धारित राशि इन समितियों को प्रदान की जाती है।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है:–

वित्तीय वर्ष	रोपण/रोपण सहित कार्य (हे.में)	पुराने रोपण क्षेत्रों का रख रखाव (हे.में)
2016–17	39166	190460
2017–18	37606	151683
2018–19 (दिसम्बर)	35400	128650

6.7 वनमार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण

इस योजना में वनक्षेत्रों से गुजरने वाले वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण किया जाता है जिससे दूरस्थ अंचलों में निवासरत् वनवासियों/ग्रामवासियों को बारहमासी आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। वर्ष 2017–18 में 290 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया गया। इस वर्ष 2018–19 में 306 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

6.8 कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य

राज्य के जिन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, उन कार्य आयोजनाओं में बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अलावा अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य विगत् वर्षो में किया गया :–

वर्ष 2016-17

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	42320
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	35351
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	545
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	14148
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	3322

वर्ष 2017-18

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	44615
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	400
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	11891
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	9727

वर्ष 2018-19

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	59750
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	1370
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	13517
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	2568

6.9 वृक्षारोपण

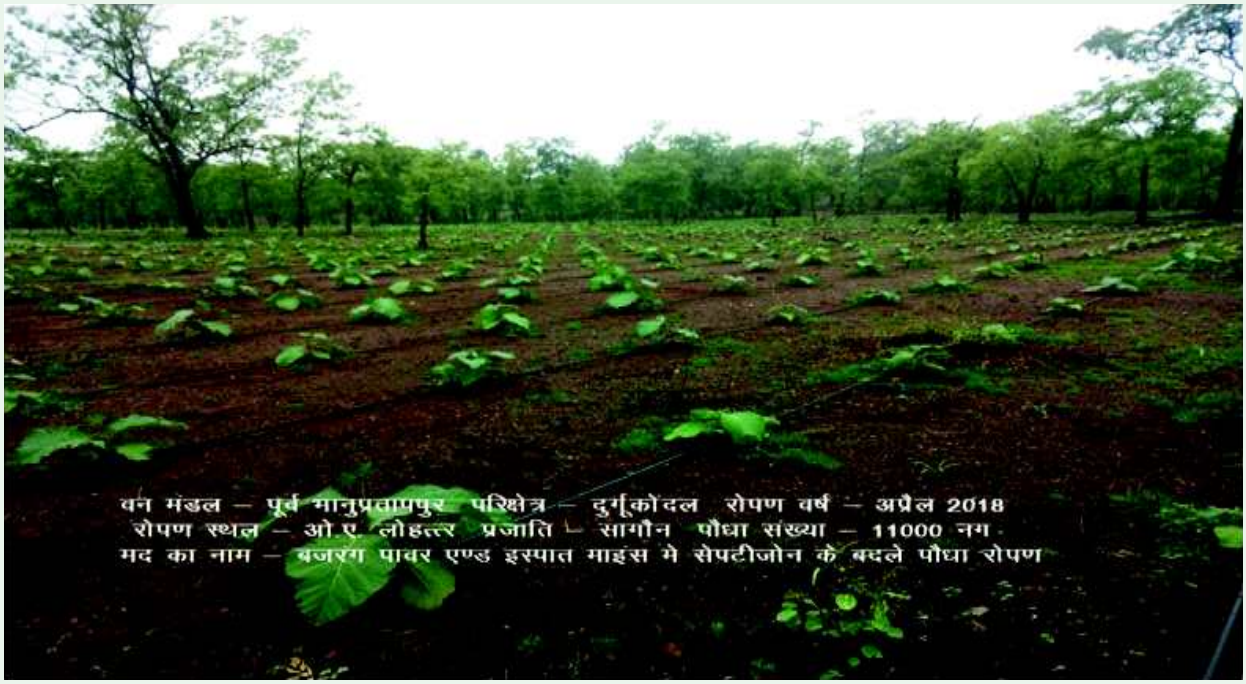

भारत सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों की अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार ऐसे वनक्षेत्र जिनमें वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान रखा गया है, में उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का रोपण विगत् तीन वर्षो में किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या (पौधें लाखों में)
2016.17	647.42
2017.18	546.94
2018.19	551.00

6.10 सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य

राज्य के सामान्य क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विभागीय प्रशासनिक इकाईयों के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण, अधिकारी/कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण, अभिलेखित वनमार्गो के उन्नयन का कार्य भी विगत् वर्षो में कराया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	भवनों/वनमार्गों की संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि
2016–17	58 परिक्षेत्र अधिकारी आवास 01 उपवनमंडल आवास 58 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	1480.00	1333.80
2017–18	58 परिक्षेत्र अधिकारी आवास 08 वनरक्षक आवास 01 वनमंडलाधिकारी आवास 58.49 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	1480.00	1381.09
2018–19 (दिसम्बर)	16 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. कार्यालय 15 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. आवास 58 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	1497.00	345.90

6.11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत केन्द्र शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत् समस्त ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गई है।

वन विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पथ वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण, आवागमन सुविधा हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण/उन्नयन, जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्य और अन्य रोजगार मूलक कार्य किए जा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार नवम्बर 2018 की स्थिति में विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

वर्ष	योजनांतर्गत				स्वीकृत कार्यों की प्रगति		निरस्त कार्यों की संख्या	रोजगार मानव दिवस	लाभान्वितों की संख्या
	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	पूर्ण	प्रगति पर			
2014.15	853	3120.599	1912.581	1914.814	746	49	58	691863	104759
2015.16	1800	14569.906	9919.265	8871.088	1053	715	32	3891953	429370
2016.17	1015	6457.344	3698.983	3503.521	569	436	10	1085650	131060
2017.18	2340	9557.573	4642.890	3641.318	764	1572	4	1178028	177137
2018.19	280	3444.686	2250.214	234.287	0	280	0	106289	30446
योग :–	**6288**	**37150.108**	**22423.933**	**18165.028**	**3132**	**3052**	**104**	**6953783**	**872772**

6.11 आयोजना - बजट प्रावधान एवं व्यय राशि (योजनावार)

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 की स्थिति में)

(राशि लाख में)

क्र.	बजट मद व योजना का नाम	प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4
1	(2723) – प्रशासन सुदृढ़ीकरण	120.51	2.43
2	(1859) – वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	405.60	228.96
3	(1859)–राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना (भवन निर्माण)	75.00	0.00
4	(6025) – वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	13.00	1.87
5	(2536) – पर्यावरण वानिकी	1322.00	306.95
6	(2965, 2962) – बिगड़े वनों का सुधार	16837.00	5305.39
7	(5089) – राज्य में वानिकी अनुसंधान	161.10	46.92
8	(6723) – संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	694.55	1295.58
9	(6827) – भू एवं जल संरक्षण कार्य	2330.00	983.70
10	(1004) – नदी तट वृक्षारोपण योजना	931.00	246.28
11	(1902) – तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	1461.00	428.55
12	(2533) – हरियाली प्रसार योजना	6300.00	2548.09
13	(2534) – पौधा प्रदाय योजना	124.00	25.38
14	(6724) – बांस वनों का पुनरोद्धार	4569.00	1514.93
15	(7731) – बाडी बांस योजना	1077.00	50.07
16	(6828) – पथ वृक्षारोपण	710.00	165.66

क्र.	बजट मद व योजना का नाम	प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4
17	(7563) – अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	486.00	189.11
18	(5420) – राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	880.00	880.00
19	(6792) – लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	580.00	358.00
20	(792) – कर्मचारी कल्याण योजना	280.60	53.82
21	(4342) – सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य **भवन**	1497.00	345.90
22	(6886) – वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	1538.00	565.82
23	(6516) – ग्राम वन समितियों के माध्यम से ल.वनो./औषधी रोपण	897.00	354.11
24	(4475) – सामाजिक वानिकी	358.00	83.08
25	(5091) – लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	291.50	171.85
26	(6854) – लाख विकास योजना	250.00	250.00
27	(7292) – छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेशन सोसायटी	22.00	22.00
28	(6992) – वन अधिकारों की मान्यता	60.00	0.00
29	(7322) – बांस प्रसंस्करण इकाई	70.00	18.00
30	(6699) – वन विकास उपकर निधि से व्यय	2000.00	353.58
31	(5231) – लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1719.21	759.21
	केन्द्र प्रवर्तित योजना		
32	(7732) – छ.ग. स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट योजना	220.00	0.00
33	(7261) – राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	9789.70	0.00
34	(7856) – ग्रीन इंडिया मिशन	539.00	0.00
35	(5538) – एकीकृत वन सुरक्षा योजना	1976.20	5.02
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ		
36	(7857) – पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना	864.00	312.00
	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना		
37	(5231) – लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	300.00	0.00
	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
38	(7351) – त्वरित वनक्षेत्र पुनरोत्पादन/पुनरोद्धार कार्यक्रम	1.10	0.00
	योग :– 10 + 41 + 64	**61750.07**	**17872.26**

7. छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

(Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA))
(छत्तीसगढ़ शासन, की अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2009 द्वारा गठित राज्य कैम्पा)

7.1 राज्य कैम्पा का गठन

भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार विभिन्न संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि के योजनाबद्ध उपयोग हेतु राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा) (Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority-CAMPA) का गठन 24 जुलाई 2009 में किया गया है।

7.2 उद्देश्य

क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनों के संरक्षण, सुरक्षा एवं संवर्धन, वानिकी विस्तार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वन्य प्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण, विभागीय अधोसंरचना विकास, वन सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास करना।

7.3 एड्हॉक कैम्पा से प्राप्त राशि

एड्हॉक कैम्पा नई दिल्ली से राज्य कैम्पा को ए.पी.ओ. 2009–10 से 2015–16 तक कुल रू. 1293.24 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। ए.पी.ओ. 2016–17 का 120.00 करोड़ एवं 2017–18 का रू. 361.00 करोड़ कुल रू. 481.00 करोड प्राप्त होना शेष है।

7.4 वित्तीय उपलब्धि

ए.पी.ओ. वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक प्राप्त राशि से माह मार्च 2018 तक रू. 1081.45 करोड़ व्यय जो प्राप्त राशि का लगभग 83.62 प्रतिशत है।

7.5 वृक्षारोपण एवं वन संवर्धन कार्य

7.5.1 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणः-वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विभिन्न संस्थानों को हस्तांतरित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। वर्ष 1980 से अद्यतन स्थिति तक कुल 64446 हे. क्षेत्रा में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 51922 हे. क्षेत्रा में (वर्ष 1980 से 2010 तक 23430 हे. तथा 2010 से 2017 तक 28492 हे.) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया है।

7.5.2 ए.एन.आरः- कैम्पा मद से 2.17 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में प्राकृतिक वनों के पुनरोत्पादन (ANR) कार्य संपन्न किया गया।

7.5.3 वृक्षारोपणः- वर्ष 2009–10 से वर्ष 2017–18 तक कुल 22160 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण (सिंचित वृक्षारोपण, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, ग्राम वन, मितव्ययी एवं बांस वृक्षारोपण आदि) संपन्न किये गये इसके साथ ही विभन्न मार्गों में 898 किलोमीटर लंबाई में सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।

ग्राम वन वृक्षारोपण वर्ष 2014 भानपुरी परिक्षेत्र, बस्तर वनमंडल, जगदलपुर

7.5.4 ऑक्सीवनः- शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु आक्सीवन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 87 नगरों में कुल 1301 हे. क्षेत्रा में ऑक्सीवन की स्थापना हेतु वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

7.5.5 नदी तट वृक्षारोपणः-प्रदेश की नदियों के तटों में 3855 हेक्टर क्षेत्र में नदी तटबंध रोपण कार्य कराया गया है।

7.6 अधोसंरचना विकास कार्य

क्षेत्रीय अमले हेतु कुल 968 आवासीय एवं 104 कार्यालयीन भवनों का निर्माण तथा वनोपज परिवहन हेतु 66 ट्रकों, 10 ट्रेक्टर, 06 बस, 05 प्रचार वाहन एवं सिंचाई कार्य हेतु 11 नग वाटर टेंकर की व्यवस्था।

7.7 वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्य

7.7.1 संरक्षित क्षेत्र एवं वनक्षेत्रः- वन्यप्राणी प्रभाग अमलों हेतु 110 आवासीय भवनों का निर्माण, वन्यप्राणियों के रहवास सुधार हेतु 944 हे. वनक्षेत्र में चारागाह विकास कार्य, 73 तालाब/ एनिकट निर्माण किये गये तथा 15 सोलर पंप की स्थापना की गयी है।

7.7.2 वनग्रामों का विस्थापनः-बारनवापारा अभ्यारण्य रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा ग्रामों को विस्थापित कर कुल 401 परिवारों के विस्थापन में कुल 3503.00 लाख का व्यय किया गया है।

7.7.3 गजराज परियोजनाः-जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्रों में रहवास सुधार हेतु 680 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास, जल स्त्रोंतों के विकास हेतु. 88 नग तालाब, स्टापडेम, एनिकट 2 ग्रामों में हाई मास्ट लाईट, 26 हाथी सहायता केन्द्र के निर्माण कार्य एवं जागरूकता अभियान आदि कराये जा रहे हैं। जंगली हाथियों द्वारा फसल एवं जनहानि करने पर कैम्पा निधि से रू. 23.00 करोड़ की राशि मुआवजा वितरण हेतु स्वीकृति दी गयी है।

7.7.4 जामवंत परियोजनाः-जंगली भालुओं की अधिकता वाले क्षेत्रों में लागू जामवंत परियोजना के तहत 310 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण एवं 31 जलस्त्रोतों का विकास, तालाब एवं स्टापडेम निर्मित किए गए हैं।

7.8 वन्यप्राणी प्रबंधन फंड

वन्यप्राणी प्रबंधन मद के अंतर्गत रू. 23.00 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल में दल्लीराजहरा–रावघाट रेल परियोजना बजरंग मेटाबोलिक लौह अयस्क खनन एवं परसा केते बासेन कोल माईन के तहत अब तक रू. 819.13 लाख की लागत से वन्यप्राणी रहवास सुधार एवं उनके प्रबंधन संबंधी कार्य किए गए है।

वन्यप्राणी रहवास सुधार कार्य (पक्का चेक डेम)

7.9 अधोसंरचना विकास एवं प्रशिक्षण कार्य

वनीकरण के साथ–साथ उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण एवं नर्सरियों के उन्नयन के कार्य किए गए। वन सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण, वन औषधीय पौधों का विकास, अधोसंरचना विकास के कार्य किये गये हैं।

7.10 विशेष कार्य

7.10.1 प्रधान मंत्री उज्जवला योजना:-संचालन समिति द्वारा इस योजना हेतु रू. 4762.00 लाख के विरूद्ध रू. 4747.58 लाख स्वीकृत।

7.10.2 जंगल सफारी:-अटल नगर रायपुर में जंगल सफारी के विकास हेतुरू 93.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

7.10.3 बॉटनिकल गार्डन:- अटल नगर रायपुर में एक बॉटनिकल गार्डन की स्थापना हेतु रू. 13.56 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गयी।

7.10.4 कंबल वितरण योजना:-56136 विशिष्ट पिछड़ी जनजाति परिवारों को दो–दो कंबल के मान से कुल 112272 नग कंबलों का वितरण किया गया है।

7.10.5 पेय जल व्यवस्था:-इस योजना में 222 सोलर ट्यूब वेल स्थापना हेतु रू 1142.06 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।

7.10.6 नल-जल योजना:-कवर्धा जिल में 50 नग तथा राजनांदगांव जिले में 19 स्थलों पर सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु क्रमशः रू. 245.00 लाख एवं रू. 231.98 लाख कुल रू. 476.98 लाख स्वीकृति दी गयी है।

7.10.7 कोसाकुकून संग्रहण:-कोसा कुकून संग्रहण हेतु वर्ष 2016–17 में रू. 425.00 लाख का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2017–18 में रू. 1135.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है।

7.10.8 सुजला योजना :- सुजला योजना के अंतर्गत सुकमा, नारायणपुर, बस्तर जिलों में सिंचाई सुविधा हेतु 3470.00 लाख की लागत से 835 सोलर वाटर पंप की स्वीकृति दी गयी है।

उपरोक्त विशेष कार्यों के अतिरिक्त कैम्पा निधि से निम्नलिखित कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है:–

अ.क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
1.	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों को वन सुरक्षा हेतु 87500 सोलर एल.ई.डी. लाईट एवं 97000 सोलर लैपों का वितरण (2013–14)	1000.00
2.	प्राचीन देववनों के संरक्षण एवं विकास कार्य (इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 200.00 लाख का प्रावधान)	450.00

अ.क.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
3.	हाईटेक रोपणी नया रायपुर की स्थापना (2016–17)	800.00
4.	वर्ष 2017–18 में राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर एवं सूरजपुर में हाईटेक रोपणी की स्थापना (वर्ष 2017–18 में प्रावधानित)	3400.00
5.	महाराजबंध वेटलैड कन्जरवेशन, रायपुर वनमंडल (2016–17 एवं 2017–18)	742.00
6.	ग्राम फरफौद में वेटलैंड कन्जरवेशन कार्य, रायपुर वन मंडल (2017–18)	41.845
7.	वनक्षेत्रों में मुनारा निर्माण (2013–14)	563.48
8.	बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण (2014–15)	267.40
9.	भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 900 नग शौचालय निर्माण (2015–16)	350.00
10.	वन ग्राम से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित 100 ग्रामों में मूलभूत सुविधा का विकास कार्य (वर्ष 2017–18 में प्रावधानित) अद्यतन स्थिति में सुकमा वन मंडल के 10 एवं बलौदाबाजार वन मंडल के 20 ग्रामों हेतु रू. 300.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।	1000.00
11.	टिशू कल्चर रोपणी गोढ़ी रायपुर वन मंडल की क्षमता विस्तार कार्य (2017–18)	100.00
12.	वनक्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा कार्य (2009–10 से 2017)	2068.00

7.11 वनक्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी एवं ईको विकास कार्य

अ.क.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
1.	मॉ जतमई एवं घटारानी वन क्षेत्र का विकास, गरियाबंद वन मंडल (2015–16)	216.77
2.	वन चेतना केन्द्र मनगट्टा का विकास, राजनांदगांव वन मंडल (2015–16 एवं 2016–17)	180.05
3.	नारायणपुर वनमण्डल में जंगल ट्रेल का निर्माण (2016–17)	31.94
4.	गड़िया पहाड़ का सौन्यदर्यीकरण, कांकेर वन मंडल (2016–17)	50.00
5.	राजाराव पठार का विकास, बालौद वन मंडल (2015–16 एवं 2017–18)	146.96
6.	प्राकृतिक झरण श्रोत तोंगकोंगेरा का संरक्षण संवर्धन (2016–17)	202.50
7.	पर्यावरण वाटिका डोंगरीगुड़ा का विकास (अर्जित ब्याज) (2014–15)	144.00
8.	पर्यावरण जैव संस्कृति बड़ें डोंगर का विकास (अर्जित ब्याज) (2015–16)	115.00
9.	मैनपाट वन क्षेत्र में विकास कार्य (2014–15 एवं 2016–17)	890.00

7.12 राज्य प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्रा दिनांक 03 अगस्त 2016 में The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 प्रकाशित किया गया। उपरोक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रत्यावर्तन के एवज् में उपभोक्ता संस्थान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति, समग्र प्रत्याशा मूल्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तों के परिपालन में जमा की गई राशियों के योजनाबद्ध उपयोग हेतु भारत सरकार के राजपत्रा दिनांक 10 अगस्त 2018 में प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि नियम 2018 प्रकाशित किया गया है। उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 14/09/2018 में दिनांक 30/09/2018 से ''छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण'' (राज्य प्राधिकरण) का गठन किया गया है तथा नवगठित राज्य प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों एवं वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग आदि के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण अधिनियम 2016 की धारा 10 एवं 11 के अनुसार निम्नानुसार समितियों का प्रावधान किया गया है:–

1. शासी निकाय (Governing Body)
2. संचालन समिति (Steering Committee)
3. क्रियान्वयन समिति (Executive Committee)

7.13 राज्य प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में उपयोगकर्ता संस्थाओं से वसूल की गयी क्षतिपूर्ति एवं एन.पी.व्ही. की राशि का योजनाबद्ध उपयोग हेतु छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य अनिवार्य कार्य तथा एन.पी.व्ही. मद की राशि से वन क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वृक्षारोपण, वन वर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा, वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन, अधोसंरचना विकास आदि कार्यों को कराया जाना है।

7.14 राज्य प्राधिकरण के कार्य

(i) उप नियम (2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में निवल वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की अस्सी प्रतिशत धनराशि राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यो के लिए उपयोग में लाई जाएगी

(a) सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरूज्जीवन (ए.एन.आर.)

(b) कृत्रिम पुनरूज्जीवन (रोपण द्वारा)

(c) वनों में वन–वर्धन संबंधी कार्यकलाप

(d) रोपणों और वनों का संरक्षण

(e) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्राण

(f) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

(g) वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य

(h) संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र बसाया जाना

(i) अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना / कार्यकारी योजना में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार

(j) वन्यजीव गलियारों में आने वाली वनेत्तर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरूज्जीवन

(k) पशु बचाव केन्द्र की स्थापना, अभिचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पशु उपचार सुविधाएं

(l) वन की सीमा के निकटतम गांव में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट काष्ठ और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति।

(m) जैव विविधता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन।

(ii) उपनियम (3) एक वित्त वर्ष में निवल वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की बीस प्रतिशत धनराशि का उपयोग निम्नानुसार कार्यों में किया जाना है

(a) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए आधुनिक पौध शालाओं एवं अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण।

(b) पर्यासंवर्धन के परीक्षण, भूमि पशुओं और सूक्ष्मजीवों की लोक विविधता और विशिष्ट विकसित किस्मों, पालतू पशुधन और नस्लों का संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के इतिवृत्त लेखन सहित जैवीय विविधता का संरक्षण, वहनीय उपयोग और प्रलेखन।

(c) वन और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए संसूचना तथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त होने वाले उपस्करों या उपकरणों की खरीद और अनुरक्षण ।

(d) निरीक्षण मार्गों, वन क्षेत्रों में सड़कों, अग्नि रेखाओं, निगरानी टावरों, चैक पोस्टों और इमारती लकड़ी के डिपो का संनिर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण ।

(e) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण ।

(f) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कार्यों के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारी वृंद की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को अनियमित लगाया जाना ।

(g) प्रतिकरात्मक वनरोपण कार्यों, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण।

(h) राज्य निधि से किए जाने वाले कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी सहित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन ।

(i) राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य निधि से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों का प्रचार–सह

जागरुकता कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी।

(j) राज्य सरकार द्वारा सवंर्धित सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के लिए सहायकी वाले मूल्य पर प्रमाणिक नर्सरी के माध्यम से गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण।

(k) वन प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण मानकों का विकास ।

(iii) प्रतिबंधित कार्य

उपनियम (4) उपनियम 1 में निर्दिष्ट रकम का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा

(a) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन, यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान

(b) विदेशी दौरे करना।

(c) अधिकरणों अथवा न्यायालयों में दर्ज किए गए मामलों, जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के संबंधित नहीं है, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान ।

(d) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के लिए भारी वाहनों और मशीनों और अधिकारियों के लिए वाहनों अथवा स्टॉफ कार की खरीद ।

(e) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयीन भवनों का निर्माण ।

(f) वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज़ पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करना ।

(g) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जनरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, फिक्सचर्स की खरीद ।

(h) कार्य योजना निर्धारण के तहत राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण ।

(I) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यों अथवा बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहत किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए।

(j) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।

(k) विद्यमान वन निगमों, बोर्डों आदि को नए वन निगमों, बोर्डों आदि को अनुदान या साम्या के जरिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना।

(iv) ब्याज राशि का उपयोग।

नियम 6 में ब्याज राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है:–

(क) एक वित्त वर्ष में अर्जित ब्याज की 60 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास हेतु

निम्नानुसार कार्य कराये जाने का प्रावधान किया गया है

I. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति वनीकरण और दांडिक प्रतिपूर्ति वनीकरण की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना ।

II. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर आवाह क्षेत्रा उपचार योजना की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना।

III. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर वन्यजीव प्रबंधन योजना की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना ।

IV. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों, नियमित और संविदात्मक, दोनों को वेतन और भत्तों के संवितरण के लिये ।

V. राज्य प्राधिकरण के मनोनीत सदस्यों को बैठक फीस और भत्तों के संवितरण के लिये ।

VI. नियम 5 के उप–नियम (2)और (3) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप।

(ख) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 40% और राज्य निधि में उपलब्ध रकम पर उपार्जित ब्याज राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय किया जावेगा

I. कार्यालय स्थापना का प्रबंधन।

ii. राज्य प्राधिकरण के लिये कंप्यूटरों और पेरिफेरल और उनके अनुरक्षण सहित कार्यालय उपकरण।

iii. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और पदाधिकारियों के उपयोग के लिय स्टाफ कार किराये पर लेना।

iv. राज्य प्राधिकरण के कार्यालय स्थापना और आवासों के लिये पट्टे पर भवन किराये पर लेना।

v. राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति के अनुमोदन से राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अन्य आकस्मिक व्यय।

vi. राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति और वार्षिक प्रचालन स्कीम के पूर्व अनुमोदन से वनों और वन्यजीवों के प्रबंधन के लिये कोई अन्य क्रियाकलाप जिनका उल्लेख उप नियम (2) और (3) में नहीं किया गया है।

7.15 राज्य प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan of Operation)

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना को प्रारूप 12 में तैयार किया जावेगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत सरकार के पत्राकमांक/15–2(0)/2018–कैम्पा, दिनांक 10 अप्रैल, 2018 द्वारा वर्ष 2018–19 का ए.पी.ओ. नवीन दिशा निर्देशों के अधीन तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था इसके साथ ही कैम्पा के पूर्व ए.पी.ओ. (वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक) की अवशेष राशि का वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना संचालन समिति से स्वीकृत कराकर उपयोग हेतु निर्देशित किया गया था। अतः भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में कैम्पा मद के उपयोग हेतु दो ए.पी.ओ. क्रमशः मुख्य ए.पी.ओ. 2018–19 एवं अतिरिक्त ए.पी.ओ. 2018–19 संचालन समिति से स्वीकृति प्राप्त की गयी।

7.16 लेखा प्रक्रिया

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 के नियम 37 में राज्य प्राधिकरण के लेखों का रखरखाव की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

(I) छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2018 (परिशिष्ट 20/8) द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप धारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 22 को उक्त के साथ पढ़ते हुए छत्तीसगढ़ शासन, इस अधिनियम के उपयोगार्थ, छत्तीसगढ़ के लोक–लेखा के ब्याज उपचित करने वाले खंड के अंतर्गत मुख्य–शीर्ष 8121– साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियों के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129– छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के अंतर्गत एक विशेष निधि के रुप में संदर्भित ''छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि'' का गठन किया गया है।

(ii) मासिक लेखा विवरण प्रारूप–7 में तैयार किया जावेगा।

(iii) राज्य प्राधिकरण की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों संबंधी मासिक विवरण प्रारूप–8 में तैयार किया जावेगा।

(iv) राज्य प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण प्रारूप–9 में तैयार किया जावेगा।

(अ) राज्य प्राधिकरण प्रारूप 10 में अपने अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।

7.17 अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

(i) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम की धारा 27 (2) के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण के लेखा का अंकेक्षण महालेखा परीक्षक एवं नियंत्राक को सौंपा गया है।

(ii) सामाजिक अंकेक्षण :–

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण संबंधित ग्राम सभा के माध्यम से कराया जायेगा।

(iii) वार्षिक प्रतिवेदन :–

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 के नियम 38 के अनुसार राज्य प्राधिकरण का वार्षिक लेखा प्रारूप–11 में तैयार किया जावेगा।

7.18 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा

1. राज्य को उपलब्ध कराये गये कोष के प्रभावी एवं उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, आबंटन से किये गये कार्यों की लगातार समीक्षा एवं मूल्यांकन राज्य प्राधिकरण की क्रियान्वयन समिति द्वारा की जावेगी।

2. राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का आंतरिक मूल्यांकन विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार निरंतर कराया जावेगा।

3. क्षेत्रीय कार्यों की वेब बेस्ड मॉनिटरिंग :–

कैम्पा निधि से संपादित कार्यों के वेब बेस्ड मॉनिटरिंग के लिये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित ई–ग्रीन वॉच पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल में राज्य प्राधिकरण द्वारा कैम्पा मद से स्वीकृत समस्त कार्यों के डाटा अपलोड किये जावेंगे। इस पोर्टल में वन भूमि हस्तांतरण के समस्त प्रकरणों को भी अपलोड किया जाना है। पोर्टल में अपलोड डाटा का निरीक्षण एवं परीक्षण का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून को सौंपा गया है।

8. संरक्षण

8.1 वन सुरक्षा

वनों की सुरक्षा विभाग का प्राथमिक दायित्व है एवं इसके लिए सतत् प्रयास किये जा रहे है इस हेतु विभागीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय अमले की क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वनवासी ग्रामीणों के वन सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, वन सुरक्षा गस्ती व्यवस्था को मजबूत करना आदि कार्य सतत् किये जा रहे हैं। विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ–साथ संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति के तहत ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के वन संपदा की सुरक्षा हेतु गठित 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां वन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

8.2 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु व्यवस्था

वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं वनोपजों के अवैध परिवहन एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए वनक्षेत्रों को वनमंडल, परिक्षेत्र एवं बीटों में विभाजित किया गया है। वनमंडलाधिकारी, उप–वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र सहायक एवं वन रक्षक(बीट गार्ड) को वन सुरक्षा एवं निगरानी हेतु तैनात किये गये हैं। वनमंडल स्तर पर बीट निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित किये गये हैं। इसके तहत् वनमंडलाधिकारी से लेकर वन रक्षक तक हर एक अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। वन सुरक्षा के प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग हेतु वन मुख्यालय स्तर पर कारगर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 (दिसम्बर 2018 की स्थिति में) में प्रदेश में वन अपराध की रोकथाम के तहत् की गई कार्यवाही के अनुक्रम में दर्ज प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

अनु. क्र.	वर्ष	वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वनोपज का मूल्य (लाख रू में)	वसूल किया गया मावजा/महसूल की राशि (लाख. रूमें)	जप्त वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2016	17892	514.42	74.00	231
2	2017	22594	462.49	95.78	304
3	2018	19163	507.46	103.417	283

8.3 वनोपज जांच नाका

अवैध वनोपजों की निकासी की रोकथाम हेतु राज्य के अंदर 247 एवं अंतर्राज्यीय 31 वनोपज जांच नाके स्थापित हैं। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है तथा वनोपज परिवहन कर रहे वाहनों की समस्त जानकारियां अभिलेखित की जा रही है।

8.4 वन सुरक्षा गश्त

वनों में अवैध कटाई, वनोपज के अवैध निकासी एवं वन्यप्राणियों के शिकार की रोकथाम हेतु राज्य के

वनवृत्तों में 06, वनमंडलों में 34, एवं वन परिक्षेत्र स्तर पर 212 स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं। इन स्ट्राईक फोर्स को वाहन एवं वन सुरक्षा बल उपलब्ध कराये गये हैं। वन सुरक्षा गश्त हेतु क्षेत्रीय ईकाईयों को संरक्षण प्रभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। क्षेत्रीय अमलों द्वारा की जा रही वन सुरक्षा गश्ती एवं कार्यवाही का वन मुख्यालय स्तर से सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

8.5 वन अपराध प्रकरणों का अनुश्रवण

वन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने के उद्देश्य से वन मुख्यालय द्वारा वन अपराध प्रकरणों की निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत् 15 प्रपत्रों में वनमंडलों से प्रत्येक माह के 10 तारीख तक प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है। इस आधार पर वन सुरक्षा एवं प्रबंधन के सम्यक उपाय किये जा रहे हैं।

8.6 राज्य में आरामशीनों की स्थिति

वर्ष 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संसूचित 1430 आरामशीनों में से वर्तमान में 1404 आरामशीनें राज्य के विभिन्न वन वृत्तों में निम्नानुसार पंजीकृत हैं:–

क्र.	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या	संचालित आरामशीनों की संख्या	बंद आरा मशीनों की संख्या	सी.ई.सी. द्वारा 19.01.2009 को नियमित की गई आरामशीनों की संख्या	कुल योग
1	रायपुर	523	500	23	0	523
2	दुर्ग	399	385	14	7	406
3	कांकेर	18	17	1	0	18
4	जगदलपुर	61	41	20	0	61
5	बिलासपुर	354	299	55	2	356
6	सरगुजा	65	57	8	1	66
योग		**1420**	**1299**	**121**	**10**	**1430**

आरामशीनों के नियमित निरीक्षण हेतु वनमंडल स्तर पर निरीक्षण रोस्टर तैयार किए गये हैं। क्षेत्रीय अमला रोस्टर अनुसार आरामशीनों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत आरामशीनों पर नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है इसका अनुश्रवण वन मुख्यालय द्वारा भी की जा रही है।

रिट याचिका क्रमांक– 202/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05/10/2015 में आरामशीनों के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में राज्य में वर्ष 1997 के पश्चात् किसी भी नई आरामशीन की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। आरामशीनों के नामांतरण, स्थल परिवर्तन एवं विक्रय के उपरान्त नामांतरण/स्थल परिवर्तन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरणों का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।

8.7 केन्द्र प्रवर्तित गहन वन प्रबंधन योजना

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये है। विगत 03 वर्षों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन(केन्द्रांश/राज्यांश की जानकारी वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19) एवं व्यय राशि निम्नानुसार हैः–

राशि लाखों में

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि			व्यय राशि	समर्पित राशि
	केन्द्रांश 60:	राज्यांश 40:	योग		
1	2	3	4	5	6
2016–17	224.94	00.00	224.94	00.00	224.94
2017–18	168.00	112.00	280.00	225.26	54.74
2018–19	280.00	112.00	392.00	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर
योग :–	**672.94**	**224.00**	**896.94**		

वर्ष 2016–17 में समर्पित राशि रू. 224.94 का पुर्नजीवित आबंटन भारत सरकार से वर्ष 2018–19 में प्राप्त हुआ है इसके तहत् दुर्ग एवं बिलासपुर वृत्त में ब्यूरो ऑफ फॉरेस्ट क्राईम के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

वन सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु बजट मद 3877 योजना के अंतर्गत 14,445 मुनारा निर्माण एवं 14266.66 कि.मी. सीमा रेखाओं के रख–रखावकार्य के लिए बजट मद 001 डिमार्केशन में राशि रूपये 481.50 लाख आबंटित की गई है।

वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि से वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए 3411 अग्नि सुरक्षा श्रमिक 04 माह(15 फरवरी 2019 से 16 जून 2019 तक)के लिए तैनात करने की कार्यवाही की जा रही है।

8.8 वनों की अग्नि सुरक्षा

वनों की अग्नि से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है इस हेतु सभी 3411 बीटों में एक–एक अग्नि रक्षक संपूर्ण अग्नि काल (15 फरवरी से 16 जून तक) के लिए तैनात किये जा रहे हैं। वनों की अग्नि से सुरक्षा की सतत् निगरानी व सहायता हेतु वनमंडल स्तरीय एवं परिक्षेत्र स्तरीय स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं।

राज्य में उपग्रह आधारित फायर अलार्म सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल(एफ.एम.आई.एस.) रायपुर द्वारा उपग्रह से प्राप्त डाटा के आधार पर अग्नि स्थल की सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों को एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से संसूचित की जाती है उक्त सूचना के आधार पर अधीनस्थ अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्निशमन करने के उपरान्त इसकी सूचना संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं एफ.एम.आई.एस. वनमंडल,रायपुर को दी जा रही है। उपग्रह आधारित प्रणाली एवं त्वरित संचार व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त वनों में अग्नि प्रकरणों पर कारगर नियंत्रण हो सका है तथा अग्नि प्रभावित क्षेत्र में भी काफी कमी आई है।

8.9 वन अपराध अभियोजन प्रकोष्ठ का गठन

वर्ष 2013–14 में प्रथम चरण में राज्य के 20 वनमंडलों में वन अपराध अभियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक वनमण्डल हेतु 01 विधिक सलाहकार (अंशकालिक), 01 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा), विभागीय अमले से– 01 लेखापाल/सहायक ग्रेड–2, 01 उप वनक्षेत्रपाल/वनपाल के पद स्वीकृत हैं। राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ हेतु 01 विधिक सलाहकार एवं 02 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद संविदा पर सृजन की सहमति/स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है।

वन/वन्यप्राणी अपराधों से संबंधित गंभीर किस्म के अपराध प्रकरणोंको दाण्डिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।न्यायालय में प्रकरणों के चालान प्रस्तुतीकरण, प्रकरणों में विभाग का पक्ष का प्रभावशील ढंग से प्रस्तुतीकरण, प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण, अभियोजन गवाहों का सही प्रस्तुतीकरण में यह अभियोजन प्रकोष्ठ काफी कारगर साबित हुए हैं।

8.10 ब्यूरो ऑफ फारेस्ट क्राईम की स्थापना

गंभीर वन अपराधों की पहचान, जांच विवेचना एवं अपराधों का अभियोजन न्यायालय में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 में प्रथम चरण में दुर्ग एवं बिलासपुर वनवृत्तों में ब्यूरो ऑफ फारेस्ट क्राईम की स्थापना की गई। इन ब्यूरों में सहायक वन संरक्षक – 01 पद एवं वनरक्षक – 06 पद संविदा पर, सहायक प्रोग्रामर–01 पद एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 01 पद तथा विभागीय अमले से वनक्षेत्रपाल – 2 पद, उपवनक्षेत्रपाल– 02 पद, वनपाल – 04 पद, वन चौंकीदार – 06 पद जॉब दर पर शासन से स्वीकृत है।

वन अपराध ब्यूरो का मुख्य कार्य निम्नानुसार है:-

(i) वन अपराधों के नियंत्रण हेतु क्रियाशील तंत्र एवं गुप्त सूचनाओं का संग्रहण,उनका विश्लेषण एवं आदतन अपराधियों का सूचीबद्ध करना।

(ii) वन संरक्षक/क्षेत्रीय संचालक (वन्यप्राणी) के निर्देशन में प्रमुख वन अपराधों की पहचान, पंजीयन एवं विवेचना।

(iii) ऐसे वन अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ करना जिनके विरुद्ध ब्यूरो द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

(iv) वन अपराध से संबंधित गुप्त सूचनाओं का वनमण्डलाधिकारी, वन्य–प्राणी अभिरक्षक, राज्य पुलिस, अन्तर्राज्यीय पुलिस एवं अन्य वनाधिकारियों को आदान–प्रदान।

8.11 गुप्त सूचना तंत्रा का विकास

वनों के संरक्षण के बढ़ते महत्व एवं वनोपज की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए वन अपराधियों के विरूद्व एक गुप्त सूचना तंत्र विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से वन अपराधों की गुप्त सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों को यथा–समय प्राप्त हो रही है तथा इसके आधार पर वन अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही एवं वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्राण हो पा रहा है।

वन अपराध प्रकरणों में अपराधियों के संबंध में सूचना के आधार पर वनोपज की जप्ती अथवा अपराधियों का सफलतापूर्वक गिरफ्तारी पर गुप्त सूचना देने वाले व्यक्ति को गुप्त निधि से पुरस्कृत करने का प्रावधान है। इस हेतु निम्नानुसार पारितोषक राशि का प्रावधान है:–

क्र.	वन अपराध प्रकरण जिनके लिये पुरस्कार देय है	पुरस्कार की पुनरीक्षित अधिकतम राशि
1	अपराधी से वनोपज प्राप्त होने पर	जप्त वनोपज मूल्य का 5% अधिकतम 3000/–
2	वनोपज के साथ जीप/कार/वैन/ट्रैक्टर जप्त किये जाने पर	10,000/– प्रति प्रकरण
3	वनोपज के साथ ट्रक जप्त किये जाने पर	20,000/– प्रति प्रकरण

9. संयुक्त वन प्रबंधन

9.1 संयुक्त वन प्रबंधन की अद्यतन स्थिति

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का मुख्य आधार बनाया गया है तथा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा वन सुरक्षा में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया गया है।

प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में से वनक्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं उक्त के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में कुल 7887 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। राज्य में गठित कुल समितियों की संख्या, उन्हें आबंटित किया गया वन क्षेत्र तथा सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

वन सुरक्षा में संलग्न समिति सदस्य गरियाबंद वन मंडल

वन प्रबंधन समितियों की संख्या	:	7,887
सं0व0प्र0 के अन्तर्गत क्षेत्रफल	:	33,190 वर्ग कि.मी
कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	55.52 प्रतिशत
कुल समिति सदस्यों की संख्या	:	27.63 लाख
I. अनुसूचित जन जाति	:	15.21 लाख
ii. अनुसूचित जाति	:	4.71 लाख
iii. अन्य	:	7.71 लाख
महिला सदस्यों की संख्या	:	14.36 लाख
पुरूष सदस्यों की संख्या	:	13.27 लाख

9.2 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्प

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंधन के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को आबंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बांस या काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद वन प्रबंधन समितियो को प्रदाय किया जाता था।

उपरोक्त प्रावधान को शासन के संकल्प क्रमांक एफ 7–36/ 2001/10–2 दिनांक 5 अगस्त 2013 के द्वारा संशोधित करते हुयें काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 20 प्रतिशत राशि एवं बॉस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 100 प्रतिशत राशि समिति को लाभांश के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

बांस कूप विदोहन उपरांत परिवहन- खैरागढ़ वन मंडल

उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियो को वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक काष्ठ/एवं बांस विदोहन से कुल रू 9.50 करोड़ लाभांश राशि प्रदाय की जा चुकी है। इस योजना के तहत् वन प्रबंधन समितियों को लाभांश के रूप में राज्य गठन के उपरान्त से अब तक कुल रू. 372.70 करोड़ की राशि प्रदाय की जा चुकी है।

9.3 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये कार्य

9.3.1 वानिकी कार्य

9.3.1.1 ग्राम वन समितियों के माध्यम से रोपण

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वनो के विकास के साथ–साथ वन प्रबंधन समिति सदस्यों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये गये है इसके तहत समिति क्षेत्रों में लघुवनोपज एवं औषधि पौधों का रोपण, उच्च घनत्व पल्पवुड रोपण एवं फार्म वानिकी को बढ़ावा दिया गया है। लघु वनोपज/ औषधीय रोपण की योजना के अंतर्गत मुंख्यतः ग्राटेड आवंला, हर्रा, बहेडा एवं बायबिडिंग प्रजातियों का उच्च तकनीक रोपण वन प्रबंधन समितियों में कराया जा रहा है।

आंवला वृक्षारोपण-बिलासपुर वन मंडल

9.3.1.2 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य के वन विकास अभिकरणो के संघ के रूप में State Forest Development Agency

(SFDA) का गठन किया जाकर वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सागौन वृक्षारोपण-कटघोरा वनमंडल

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में वर्ष 2001–02 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सहभागी तरीके के अंतर्गत द्विस्तरीय व्यवस्था ''वन विकास अभिकरण'' एवं '' संयुक्त वन प्रबंधन समितियों '' को सम्मिलित कर किया गया है। उपरोक्तानुसार वर्ष 2001–02 से प्रारंभ इस परियोजना में छ.ग. राज्य के अंतर्गत वर्ष 2018–19 तक 133077 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का कार्य किया जा चुका है। विगत 5 वर्षो में किये गये रोपण एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क	वर्ष	रोपित क्षेत्र (हे .)	स्वीकृत राशि (रू.लाख)
1	2013–14	2655	2063.76
2	2014–15	5491	1953.96
3	2015–16	4519	1968.86
4	2016–17	4475	876.38
5	2017–18	केवल रख रखाव कार्य	1541.85
6	2018–19	2055	707.65

9.3.1.3 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के वनमण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला का विकास किया जा रहा है। लोक संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, एक ऐसी जन–केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है ताकि यह क्षेत्र गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे जीवन की रूप–रेखा बना सके जिसमें मुख्यतः वनक्षेत्र में उपलब्ध औषधीय एवं लघु वनोपज प्रजाति के वनस्पतियों की सुरक्षा एवं संवर्धन, उपलब्ध वनोपजों के विनाश विहीन विदोहन, भू–जल संरक्षण, एवं अग्नि सुरक्षा इत्यादि के कार्य सम्मिलित हैं । 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के बड़े विस्तार एवं संपादित किये जाने वाले कार्यों पर व्यय की न्यूनता के कारण लोक संरक्षित क्षेत्रों के परियोजनाओं में अपेक्षित एवं बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है । विगत वर्षों के इन्ही अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–18 से योजना के प्रारूप में

निम्नानुसार आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं:–

अंतः स्थालीय संवर्धन कटघोरा वन मंडल

- लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना हेतु 200 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर तक उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है। चयनित किये जाने वाले वनक्षेत्रों में वन घनत्व 0.5 एवं इससे अधिक होना चाहिये ।
- लोक संरक्षित क्षेत्रों के चयन में लघु वनोपज/औषधीय प्रजाति के महत्वपूर्ण वानस्पतिक प्रजाति यथा – चिरौंजी, बेल, ऑवला, कुल्लू, माहुल पत्ता, शतावर इत्यादि जो विलुप्त होती जा रही हैं, को केंद्रित करते हुए क्षेत्रों का चयन किया जावेगा ।
- चूँकि योजना के उद्देश्य अनुसार चयनित क्षेत्रों को पूर्व की भांति पुनः स्थापित भी किया जाना है, अतः क्षेत्र के ग्रामीण/संग्राहकों को सूचीबद्ध कर इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है ताकि क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो । उन संग्राहकों को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया जा रहा है जो उस लघु वनोपज (जैसे – चिरौंजी, गुठली, ऑवला आदि) का संग्रहण करते हैं, जिस पर लोक संरक्षित क्षेत्र केन्द्रित है एवं उक्त संग्राहकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- स्थापना हेतु चयनित किये गये वनक्षेत्र के आस–पास के स्थानीय निवासियों के लिए वनो की सुरक्षा एवं विकास, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन में आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 600 हे. एवं वर्ष 2018–19 में 200 हे. क्षेत्र में नवीन अंतः स्थलीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2018–19 में 14934 हे. क्षेत्र में रख–रखाव का कार्य भी किया गया है। विगत 6 वर्ष में स्थापित अंतः स्थलीय क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वर्ष	अंतः स्थलीय क्षेत्रों की स्थापना (हे.)
1	2013–14	1000
2	2014–15	8000
3	2015–16	18264
4	2016–17	16120
5	2017–18	600
6	2018–19	200
योग		**44184**

9.3.2 पारिस्थिकीय विकास सेवा परियोजना (ESIP)

ESIP पर प्रशिक्षण बिलासपुर वन मंडल

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एनएईबी, नई दिल्ली, द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्व बैंक के समन्वय से छत्तीसगढ़ राज्य में Ecosystem Services Improvement

कार्बन स्टॉक प्रशिक्षण

Project (ESIP)का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन देश के मात्र दो राज्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में पायलट आधार पर किया जा रहा है। यह परियोजना ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत चयनित लैंडस्केप में ही क्रियानवित की जावेगी। चयनित क्षेत्र में ESIP Projectds अंतर्गत पारिस्थितकीय तन्त्र/पर्यावरण सेवाओं का विकास तथा वनों का विकास एवं संरक्षण, क्षमता विकास कार्यक्रम एवं जीवकोपार्जन की गतिविधियों पर आधारित छः वर्षीय परियोजना का क्रियान्वयन किया जावेगा । परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि विश्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराई जावेगी।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, विश्व बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जा चुका है तथा विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु इस योजना के अन्तर्गत रू. 49.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार 4 मुख्य कार्य घटकों के आधार पर कार्यो का क्रियान्वयन किया जावेगाः–

1. वानिकी और भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शासकीय संस्थानों का क्षमता विकास।
2. चयनित लैडस्केप में वनों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निवेश।
3. चयनित लैडस्केप में सतत् भू एवं पारिस्थितिकीय प्रबंधन विकास।
4. परियोजना प्रबंधन।

विषयांकित परियोजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चयनित लैण्डस्केप में ही किया जाना है उक्त के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार 04 वनमंडलों में ESIP Project क्रियान्वित किये जा रहे हैः–

क्रमांक	वृत्त	वनमंडल
1	सरगुजा	बलरामपुर
2	दुर्ग	कवर्धा
3	बिलासपुर	मरवाही
4	बिलासपुर	कटघोरा

योजना हेतु राज्य प्लान बजट मद के अन्तर्गत 10, 41, 64–2406–1201, 1202, 1203 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं (7857)पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना के अन्तर्गत नवीन बजट मद निर्मित कर वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु क्रमशः रू. 8.00 करोड़ एवं रू. 8.64 करोड की राशि का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) एवं वनमण्डल स्तर पर वन विकास अभिकरण (FDA) के माध्यम से परियोजना कार्यो का क्रियान्वयन किया जाना है। आगामी 6 वर्षो मे योजना के तहत 5000 हे. क्षेत्र का उपचार किया जावेगा।

9.3.3 ग्रीन इंडिया मिशन

ग्रीन इंडिया मिशन लैडस्केप में वृक्षारोपण : गारियाबंद

भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर आधारित ग्रीन इंडिया मिशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त के अंतर्गत प्रथम वर्ष में राज्य के 11 वनमण्डलों के अंतर्गत लैण्डस्केप का चयन कर कार्य कराये जा रहे है। स्वीकृत योजना के अनुसार सब मिशनवार क्षेत्र तैयारी, वैकल्पिक ऊर्जा का विकास, अनुसंधान एवं आयमूलक कार्य कराये जाने है। योजना अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ–साथ वृक्षारोपण, जल मृदा संरक्षण, आस्थामूलक कार्य, रोजगार मूलक कार्य एवं ग्राम विकास कार्यो को सम्मिलित करते हुये चयनित क्षेत्रों का संपूर्ण एकीकृत विकास किया जावेगा। इस हेतु राज्य के 11 वनमण्डलों के अंतर्गत क्लस्टर आधार पर कुल 80 वन प्रबंधन समितियों/ग्रामों का चयन किया गया है।

योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य के अनुसार कुल 19128 हे. क्षेत्र में रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसके रख–रखाव का कार्य वर्ष 2018–19 से कराया जा रहा है।

9.3.4 रोजगार मूलक एवं अधोसंरचना विकास कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समिति क्षेत्रों में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न आय वृद्धि मूलक कार्य कराये गये है। वन विभाग के प्रयास से दूरस्थ वन क्षेत्रों में स्थित वन प्रबंधन समितियां वन एवं गैर वन आधारित आय वर्धक गतिविधियो के प्रति भी आकर्षित हुई है तथा लाख, शहद, कोसा, जैविक खाद उत्पादन, बास प्रसंस्करण, हस्तशिल्प कला, सबई रस्सी निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, लघु वनोपज सग्रहण एवं प्रसंस्करण, रोपणियों का संचालन, उचित मुल्य की दुकान, पर्यटन विकास, एवं परिवहन विकास जैसे कार्यो का सफलतापूर्वक कियान्वयन कर रही है। इन गतिविधियों से आय में वृद्धि के साथ–साथ वनों में अग्नि, चराई तथा अतिक्रमण जैसे जैविक दबावो में कमी आने से वनो की पुनरूत्पादन क्षमता में भी आशातीत वृद्धि हुई है।

क्षमता विकास प्रशिक्षण : कटघोरा वनमंडल

क्षमता विकास प्रशिक्षण : कटघोरा वनमंडल

9.3.4.1 क्षमता विकास/प्रशिक्षण

वन प्रबंधन समितियों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसमें 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है जिसमें 3 दिवस विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे एवं चौथे दिवस में प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण कराया जाता है इसके अन्तर्गत राज्य के

6 वन वृत्तों में विगत 4 वर्ष में कुल 387 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम औसतन 40 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों हेतु आयोजित किया जाता है। इस प्रकार 6 वन वृत्तों से कुल 387 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15480 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों को प्रशिक्षित गया है। प्रशिक्षणार्थियों में 30 प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 37 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 1480 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

वन क्षेत्र में प्रायोगिक प्रशिक्षण : गरियाबंद वनमंडल

9.3.4.2 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये रोजगार मूलक कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वन प्रबंधन समितियों में विगत 3 वर्षो में निम्नानुसार अन्य रोजगार मूलक कार्य भी कराये गये है, जिससे समिति सदस्यो को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकें।

9.3.4.2.1 वन प्रबंधन समितियों में हस्त शिल्प कला विकास

(बेलमेटल आर्ट , लौह शिल्प , टेराकोटा शिल्प , काष्ठ शिल्पकला)

कोण्डागांव, रायगढ़, बस्तर एवं नारायणपुर वनमण्डलों की कई वन प्रबंधन समितियों के सदस्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार जो कि बेलमेटल, काष्ठ कला, लौह शिल्प कला, टेराकोटा कला के कार्य में पारंगत है तथा मूर्तिकला निर्माण कार्य में जलाऊ लकड़ी, ईमारती लकड़ी एवं कोयले का उपयोग कर पूर्णतः वनो पर आश्रित रहते है ।

बेलमेटल एवं संजीवनी केन्द्र : कोण्डागॉव वनमंडल

उक्त शिल्पकारो के बिचौलियों द्वारा किये जा रहे शोषण को समाप्त करने, उनके सशक्तिकरण एवं उनकी कला में नवीन तकनीकों को शामिल करने के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत कोण्डागांव, रायगढ़ एवं बस्तर वनमण्डल में बेलमेटल, टेराकोटा, एवं लौह शिल्प कला हेतु परियोजना तैयार कर जमीनी स्तर पर कार्य किया गया, जिसमें शिल्पकारों को आर्थिक रूप सुदृढ़ करने में सफलता मिली है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी एवं कोयले के विकल्प के रूप में गैंस भट्ठी, बायोब्रेकटस, आवश्यक उपकरण एवं चक्रीय राशि उपलब्ध कराई गई। इस कला के निर्माण कार्य हेतु कोण्डागांव से बेलमेटल के 5 समूह , रॉट आयरन के 2 समूह, टेराकोटा के 1 समूह

बेलमेटल एवं संजीवनी केन्द्र : कोण्डागॉव वनमंडल

निर्माण कर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें प्रत्येक समूह में 12 से 15 तक शिल्पकार परिवार है । हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देते हुए विभिन्न वनमण्डलों में समूह का गठन कर उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है जिसके तहत छत्तीसगढ़ स्तर पर कुल 120 समूह का गठन किया गया है, जिसमें 1341 शिल्पकार परिवार कार्यरत है।

9.3.4.2.2 वन प्रबंधन समितियों में जैविक खाद उत्पादन को बढ़ावा

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के तहत् वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से जैविक खाद का उत्पादन करते हुए इसे अतिरिक्त आयमूलक गतिविधियों के रूप में विकसित किया जा रहा है इससे एक ओर जहां समितियों को रोजगार एवं अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है वहीं दूसरी ओर रासायनिक खादों के उपयोग में कमी करते हुए जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में कोरिया एवं महासमुन्द वनमंडलों में जैविक खाद उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई है साथ ही राज्य के वनमंडलों में पूर्व वर्षो में स्थापित जैविक खाद उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए ऐसे केन्द्र जो किन्ही कारणों से बंद हो गये थे को पुनः प्रारंभ करने के प्रयास किये गये हैं।

जैविक खाद उत्पादन केन्द्र : धमतरी

9.3.5 वन प्रबंधन समितियों में अधोसंरचना विकास कार्य

सहभागिता के सिद्धांत अनुरूप राज्य की वन प्रबंधन समितियों में विगत 3 वर्षो में विभिन्न विकास कार्य कराये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

9.3.5.1 वन प्रबंधन समितियों में स्वच्छ भारत अभियान योजना का क्रियान्वयन

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया है जिसके तहत सम्पूर्ण भारतवर्ष को साफ–सुथरा रखे जाने की योजना तैयार की जा रही है। इस दिशा में पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी स्वच्छ भारत

स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण एवं जल आपूर्ति : बलरामपुर वनमंडल

अभियान को अत्यधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। उक्त के अनुक्रम में वन प्रबंधन समितियों को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाये रखने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा योजना तैयार की गई है।

इस कार्यक्रम के तहत वन प्रबंधन समितियों को स्वच्छ रखने हेतु प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण, सेप्टिक टेंक, पेयजल व्यवस्था, जल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, स्नान चबुतरा एवं पानी निकासी हेतु पक्का नाली निर्माण किये गये है। उक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में निर्माण किये गये शौचालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वृत्त का नाम	समिति की संख्या जहां शौचालय निर्माण किये गये हैं।	निर्मित शौचालयों की संख्या
1	रायपुर	1	100
2	सरगुजा	2	59
3	कांकेर	11	932
4	दुर्ग	17	316
5	बिलासपु र	4	220
योगः–		35	1627

9.3.5.2 वन प्रबंधन समितियों में आस्थामूलक कार्य

वन प्रबधंन समितियों में अधोसंरचना विकास एवं वनों की सुरक्षा एवं विकास के प्रति समिति सदस्यों की आस्था जागृत करनें के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत वन प्रबधंन समितियों में आस्थामूलक कार्य कराये जाते हैं जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों में स्टापडेम, एनिकट, नहर–नाली, सड़क निर्माण, ट्यूबवेल खनन, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन निर्माण, जैविक खाद निर्माण एवं लघुवनोपज आधारित आय मूलक कार्य मुख्य हैं। विगत 5 वर्षो में कराये गये आस्था मूलक कार्यो अनुसार वृत्तवार चयनित समितियों की संख्या निम्नानुसार हैः–

क्र.	वृत्त का नाम	वर्षवार समितियों की संख्या				
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	कांकेर	03	11	11	11	10
2	जगदलपुर	08	9	4	27	8
3	दुर्ग	09	9	0	14	9
4	बिलासपुर	15	17	7	17	16
5	सरगुजा	12	12	10	14	11
6	रायपुर	11	19	10	10	18
	योग	**58**	**77**	**42**	**93**	**72**

जल प्रबंधन संरचना : बलौदाबाजार वनमंडल

पेयजल सुविधा : धमतरी वनमंडल

आंवला प्रसंस्करण कार्य - कटघोरा वनमंडल

कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा- सरगुजा वन मंडल

10. राष्ट्रीय बांस मिशन

छत्तीसगढ़ में वन आवरण (Forest cover) 41.09 प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 76.24 प्रतिशत लोग ग्रामों में निवास करते हैं, जहॉ बांस का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। राज्य के कुल 55,547 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बांस वनों का क्षेत्राफल 11060 वर्ग किलोमीटर है जो कि कुल वन क्षेत्र का 19.91 प्रतिशत है। इनमें से 62.68 प्रतिशत बांस वन बिगड़े हालत में हैं (Source FSI Report 2017) जिनका पुनरोद्धार आवश्यक है। छ.ग. के बांस वनों से व्यापारिक बांस का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 10000 नोशनल टन है। राज्य के कुल पंजीकृत 5095 बसोड़ परिवार बांस के उत्पाद बेचकर अपना जीवन यापन करते है। विभाग द्वारा बसोड़ो को प्रदत्त बसोड बही पर बांस की उपलब्धतानुसार रियायती बसोड़ दर पर, 1500 बांस प्रति बसोड़ प्रदाय किया जाता है। इस केलेण्डर वर्ष में माह सितम्बर 2018 तक बसोड़ परिवार को 11.65 लाख बांस उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गई है एवं वर्तमान में इस वर्ष 2018–19 से यह पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये मुख्य नोडल विभाग कृषि विभाग को

बनाया गया है। अतः कृषि विभाग के मार्ग दर्शन में उक्त कार्य किया जायेगा।

10.1 मिशन के मुख्य उद्देश्य -

- वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक संचालित राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत वन क्षेत्र, गैर वन क्षेत्र में बांस रोपण, बिगड़े बांस वनों का पुनरोद्धार एवं किसानों के निजी पड़त भूमि में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के कार्य किये गये।
- बसोड़ एवं बांस उद्योग से जुड़े परम्परागत समुदायों के क्षमता का उन्नयन संबंधित कार्य संपादित किये गये।
- राज्य स्तर पर बांस एवं बांस के नवीनतम उत्पाद को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

10.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बांस मिशन से संबंधित वर्ष 2006-07 से वर्ष 2015-16 तक की प्रमुख उपलब्धियॉ

- राष्ट्रीय बांस मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक राज्य के 32 वन विकास अभिकरणों में वन क्षेत्र में 15708 हे. बांस रोपण, किसानों की पड़त, निजी भूमि में 5631 हे. बांस रोपण, 13258.5 हे. क्षेत्र में बिगड़े बांस वनों/गैर वन क्षेत्र में भिर्रों का सुधार तथा 279 हे. राजस्व क्षेत्र में बांस रोपण किया गया है।

- 28 बांस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना, किसानों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 29 महिला रोपणी एवं 28 किसान रोपणी की स्थापना की गई है तथा 38 केन्द्रीय रोपणी विभिन्न वन विकास अभिकरणों में स्थापित की गई है।
- वर्ष 2006–07 से 2012–13 तक 2427 कृषकों को राज्य के भीतर तथा 73 को राज्य के बाहर एवं 1561 विभाग के क्षेत्रीय अमले तथा 412 बांस शिल्पकारों को बांस रोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है।
- वर्ष 2006–07 से अबतक 03 राज्य स्तरीय एवं 33 जिला स्तरीय कार्यशाला/सेमीनार आयोजित किये गये हैं।
- वर्ष 2018 में दो दिवसीय राष्ट्रीय बांस आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में बसोड़, कंडरा जाति के लोग प्रदेश के विभिन्न भागों में निवासरत है। बिरहोर, पण्डो, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग बिलासपुर वृत्त के कोरबा तथा धरमजयगढ़ वनमण्डल तथा सरगुजा वृत्त के वनमण्डलों में निवास करते हैं। बैगा जनजाति के लोग कटघोरा एवं कवर्धा वनमण्डल में निवास करते है। ये सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है। वर्तमान में बांस की छोटी–मोटी वस्तुएं बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। इन वस्तुओं से इतनी आमदनी नहीं हो पाती जिससे इनका जीवन

बांस एम्पोरियम रायपुर छत्तीसगढ़

स्तर उन्न्यन हो सके।

इस हेतु प्रदेश के वनों एवं किसानों की पड़त भूमि में बांस रोपण को बढ़ावा देने, बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। योजनांतर्गत बसोड़, कमार, कंडरा, बिरहोर, पण्डो, कोरवा, जनजाति के जीवन यापन हेतु बांस आधारित आर्थिक स्थिति सुधार हेतु बांस पौधों का अधिक से अधिक रोपण कर बांस वनों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उनके कौशल उन्न्यन हेतु सहयोग दिया जा रहा है।

10.3 बांस प्रसंस्करण केन्द्रों का संचालन -

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसंस्करण केन्द्रों को सक्रिय करने हेतु विभाग द्वारा बांस की सामग्री बनाने वाले परिवारों को प्रशिक्षित कर बाजार उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से बांस प्रसंस्करण केन्द्रों को वर्ष 2018–19 में सक्रीय रूप से संचालन, शिल्प निर्माण, विक्रय एवं चक्रीय निधि के रूप में राशि रूपये 58.00 लाख का आबंटन किया गया है। बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में बांस विपणन केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है। इस दिशा में रायपुर मुख्यालय में बांस विपणन एवं विक्रय हेतु बैम्बू एम्पोरियम केन्द्र की स्थापना 02 नवम्बर, 2010 में की गयी है। एम्पोरियम से दिसम्बर 2018 तक राशि रूपये 163.00 लाख की सामग्री का विक्रय किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों द्वारा वर्ष 2006–07 से अब तक 55 राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के मेलों में छत्तीसगढ़ के 340 बांस शिल्पकारों द्वारा भाग लिया जा कर रूपये 42.22 लाख मूल्य की बांस सामग्री का विक्रय किया गया है।

10.4 मुख्यमंत्री बांस विकास योजना -

उपरोक्त योजना वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना के नाम से प्रांरभ की गई थी, जिसके अंतर्गत किसानों के घरों से लगी हुई बाड़ियों में बांस के उच्च गुणवत्ता के टिश्यू कल्चर के Bambusa balcooa, Bambusa nutans, Bambusa tulda तथा सामान्य प्रचलित प्रजाति Dendrocalamus Strictus के 2.62 लाख पौधों का रोपण वर्ष 2016–17 में एवं वर्ष 2017–18 में 3.43 लाख बांस पौधों का रोपण कार्य किया है। हितग्राहियों में बॉस की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु योजना के नाम एवं स्वरूप में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री बांस विकास योजना के नाम से यह योजना संचालित की जा रही है। पूर्व की योजना में प्रति हितग्राही 5 से 500 पौधे विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान को बढ़ाकर हितग्राहियों की मांग अनुसार बांस पौधे विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आगामी वर्षों में उच्च गुणधर्म वाले बांस की पर्याप्त निस्तार आपूर्ति ग्रामीणों की बाड़ियों से किया जाना तथा वनों एवं

वन विभाग पर ग्रामीणों की निर्भरता कम किये जाने एवं सतत् रूप से बांस आधारित कुटीर उद्योगों से आय का अर्जन सुनिश्चित् करना है। योजनान्तर्गत क्षेत्रा तैयारी व रोपण हेतु हितग्राहियों को पौधे विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराया जाकर उनकी भूमि पर रोपण का कार्य कराया जाकर पौधे रख–रखाव व उपयोग हेतु हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाता है जिस कार्य पर टिश्यु कल्चर बांस पौधों के लिए रू. 103.20/– तथा सधारण बांस पौधा के लिए राशि रू. 66.85/– प्रति पौधा व्यय किये जाने प्रावधान है। रोपण पश्चात् आगामी 02 वर्षों तक जीवित पौधों के आधार पर 5/– प्रति पौधा प्रतिवर्ष की दर से रख – रखाव हेतु अनुदान राशि दी जाती है।

11. भू-प्रबंध

11.1 प्रस्तावना

- भू–प्रबंध प्रभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रकरणों के पंजीयन, प्रसंस्करण, क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाता है।
- असीमांकित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है।
- 1980 के पूर्व के वन मार्गो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत उन्नयन/ डामरीकरण पक्की करने हेतु अनुमोदन तथा 1980 के बाद के सड़कों में कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाता है।
- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 3 पीढ़ियों से निवासरत काबिजों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है।
- नारंगी क्षेत्रों तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित क्षेत्रों के सीमांकन व मुनारे निर्माण कार्य।

11.2 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वन क्षेत्रों से गुजर रहे मार्गो के उन्नयन अंतर्गत कुल 1110 मार्गो के उन्नयन की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें राजनांदगांव के 42, बालोद के 14, कवर्धा के 47, खैरागढ़ 45, दंतेवाड़ा के 39, सुकमा के 12, बीजापुर के 15, बस्तर के 79, धमतरी के 43, महासमुन्द के 24, बलौदाबाजार के 17, गरियाबंद के 44, कांकेर के 36, पूर्व भानुप्रतापपुर 50, पश्चिम भानुप्रतापपुर, 02 केशकाल 53, दक्षिण कोण्डागॉव के 73, नारायणपुर के 30, कोरिया 53, बलरामपुर के 80, सरगुजा के 78, सूरजपुर के 73, जशपुर के 103 एवं मनेन्द्रगढ़ 58 मार्ग सम्मिलित है।

11.3 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति में वन क्षेत्रों में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के वितरण के संबंध में अनुसूचित जाति एवं

अन्य परंपरागत निवासी हेतु वर्गवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र	वृत्त का नाम	वितरित मान्यता पत्र				वितरित सामुदायिक अधिकार पत्र
		अनुसूचित जन जाति		अन्य परंपरागत वन निवासी		
		व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे .)	व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे .)	
1	दुर्ग	13322	16090.137	1611	1484.998	1135
2	जगदलपुर	16754	22090.163	–	–	694
3	कांकेर	29242	38169.368	848	987.136	1325
4	सरगुजा	36273	24418.261	1804	807.130	2107
5	बिलासपुर	35728	21463.229	1372	906.654	357
6	रायपुर	13584	15952.204	2331	2861.691	164
योग		**144903**	**138183.362**	**7966**	**7047.609**	**5782**

11.4 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रकरण

राज्य निर्माण उपरांत अब तक कुल 355 (सिंचाई 70, खनिज 67, विद्युत 82, एवं विविध 136 प्रकरणों) परियोजनाओं की राज्य शासन एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं नई दिल्ली (GoI, MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 145 प्रकरणों में राज्य निर्माण के पूर्व स्वीकृत की गई थी। वर्तमान तक 500 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें प्रभावित वन भूमि का रकबा 34715.758 हे. है।

12. उत्पादन

12.1 विदोहन

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपो के विदोहन से वर्ष 2017–18 में वन वृत्त वार निम्नानुसार वनोपज उत्पादन हुआ हैः–

वर्ष 2017-18 में काष्ठ का उत्पादन

वृत्त	इमारती काष्ठ (घ.मी)	बल्ली		डेंगरी		जलाऊ चट्टा (नग)
		नग	घ.मी	नग	घ.मी	
रायपुर	16152	77274	1603	140150	2055	27883
बिलासपुर	8029	71716	1488	26964	716	17579
दुर्ग	6743	56379	986	21972	314	10872
सरगुजा	22440	42480	1107	43782	1267	18034
कांकेर	7146	34284	841	4689	63	8275
जगदलपुर	4410	21486	415	9147	72	2634
योग	64920.00	303619	6440.00	246704	4487	85277

लगुण एवं पातन प्रशिक्षण - देवपुर परिक्षेत्र

वर्ष 2017-18 में बांस का उत्पादन

वृत्त का नाम	व्यापारिक बांस(नो.टन)	औद्योगिक बांस(नो.टन)	योग
रायपुर	1821	1235	3056
बिलासपुर	23	44	67
दुर्ग	3937	7451	11388
सरगुजा	16	0	16
कांकेर	333	324	657
जगदलपुर	157	64	221
योग	6287	9118	15405

काष्ठ एवं बांस के निर्वर्तन हेतु प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में 27 काष्ठागार एवं 15 बांसागार स्थापित हैं। इन अगारों में काष्ठ/बांस का निर्वतन घोष विक्रय द्वारा किया जाता है, जबकि औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है।

काष्ठागार अछोली खैरागढ़ वनमंडल

12.2 निस्तार व्यवस्था

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तारी दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है। 5 कि.मी. परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर पर वनोपज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2018 में निस्तारियों को निस्तार सीजन में वृत्तवार निम्नानुसार वनोपज उपलब्ध एवं प्रदाय किया गया है

अनु. क्र.	वृत्त	निस्तार डिपों की संख्या	बांस (नग में)		बल्ली (नग में)		जलाऊ चट्टे	
			डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	प्रदाय की गई मात्रा	डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	प्रदाय की गई मात्रा	डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	प्रदाय की गई मात्रा
1	रायपुर	94	222252	152949	14359	9151	23676	18128
2	बिलासपुर	92	42645	8982	8519	1993	2577	516
3	दुर्ग	88	299785	288340	1238	451	725	422
4	सरगुजा	178	55104	28310	16233	8110	4849	2217
5	कांकेर	149	84576	66160	5474	1109	1234	898
6	जगदलपुर	106	24439	10981	1166	786	2469	1456
योग		707	728801	555722	46989	21600	35530	23637

12.3 बसोडों को बांस प्रदाय

शासन द्वारा बंसोड़ों को प्रति वर्ष 1500 नग रॉयल्टी मुक्त बांस प्रदान किये जाने का प्रावधान है। कैलेण्डर वर्ष 2018 में 5095 पंजीकृत बसोड़ों को कुल11.65 लाख नग बांसप्रदाय किया गया है ।

13. अनुसंधान एवं विस्तार

13.1 उद्देश्य

- देश के विभिन्न वन अनुसंधान संस्थानों के द्वारा किये गये अनुसंधानों को विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों में प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु कार्य करना।
- विभागीय वनक्षेत्रों एवं कृषकों/अन्य की निजी भूमि पर रोपण किये जाने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों के उन्नत पौधों का उत्पादन एवं वितरण।
- क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को विभिन्न प्रजातियों की रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
- राज्य में निजी क्षेत्र में वानिकी को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

13.2 अनुसंधान एवं विस्तार संस्थागत संरचना

वन एवं वनेत्तर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने एवं इस हेतु वन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के 03 मुख्य एग्रोक्लाइमैटिक जोन्स में अधोसंरचना

तथा सुविधा का विकास करते हुए निम्नानुसार 03 अनुसंधान एवं विस्तार सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई :–

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)

वनमण्डलाधिकारी रायपुर	वनमण्डलाधिकारी (अनु.एवं वि.) बिलासपुर	वनमण्डलाधिकारी (अनु.एवं वि.) जगदलपुर
विस्तार इकाईयां	**विस्तार इकाईयां**	**विस्तार इकाईयां**
1 राजिम विस्तार इकाई	1 बिल्हा विस्तार इकाई	1 गीदम विस्तार इकाई
2 रायपुर विस्तार इकाई	2 कोटा विस्तार इकाई	2 बीजापुर विस्तार इकाई
3 महासंमुद विस्तार इकाई	3 कोरबा विस्तार इकाई	3 बस्तर विस्तार इकाई
4 सराईपाली विस्तार इकाई	4 पेंड्रा विस्तार इकाई	4 तोकापाल विस्तार इकाई
5 कसडोल विस्तार इकाई	5 पटिया विस्तार इकाई	5 कोण्टा विस्तार इकाई
6 रायपुर– अनुसंधान इकाई	6 अकलतरा विस्तार इकाई	6 जगदलपुर विस्तार इकाई

13.3 हरियाली प्रसार योजना (2533) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल प्राप्त बजट आबंटन (लाख में)	वृत्त का नाम	मद का नाम हरियाली प्रसार योजना (2533)	आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	10
6300 .00	जगदलपुर	41–2406	1416.60
	कांकेर	41–2406	847.45
	सरगुजा	41–2406	210.58
	दुर्ग	64–2406	391.82
	बिलासपुर	64–2406	1000.68
	रायपुर	10–2406	288.00
		41–2406	50.24
	योग रायपुर :–		338.24
6300.00	**महायोग**		**4205.37**

13.4 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

बजट प्रावधान	वर्तमान में प्राप्त आबंटन	मद का नाम 5089 राज्य में वानिकी अनुसंधान	कुल आबंटित राशि(लाख में)			
			रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या 10–2406 (5089)						
90.00	90.00	रु02 मजदूरी	12.76	9.57	31.52	**53.85**
50.00	50.00	रु25 सामग्री और पूर्तियां 006 अन्य व्यय	7.09	5.32	17.52	**29.93**
140.00	**140.00**	**योग :–**	**19.85**	**14.89**	**49.04**	**83.78**
मांग संख्या 10–4406 (5089)						
1.10	1.10	रु28 मशीन और उपकरण 006 अन्य व्यय	0.16	0.12	0.39	**0.67**
1.10	**1.10**	**योग :–**	**0.16**	**1.12**	**0.39**	**0.67**
141.10	**141.10**	**महायोग :–**	**20.01**	**16.01**	**49.43**	**84.45**

13.5 मांग संख्या 41-2406 (4475) सामाजिक वानिकी आयोजना मद के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

विकास/योजना शाखा से प्राप्त आबंटन	वृत्तवार आबंटित राशि (लाख में)				
	रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	कांकेर	योग
1	2	3	4	5	6
358.00 लाख	3.36	3.90	51.01	8.43	66.70
	2.24	2.60	34.00	5.62	44.46
योग :–	5.60	6.50	85.01	14.05	111.16

13.6 (4475) सामाजिक वानिकी योजना आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत वर्ष2018-19 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

मद का नाम	बजट प्रावधान	वित्त/बजट से प्राप्त कुल राशि	कुल आबंटित राशि (लाख में)			
			रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7
(4475)– सामाजिक वानिकी						
रु02 मजदूरी	3.68	3.68	1.19	1.19	1.30	3.68
रु009 विज्ञापन एवं प्रचार	2.00	2.00	1.00	0.50	0.50	2.00
रु024 अनुरक्षण कार्य						
001 मोटर गाड़ी,	3.30	3.30	1.09	1.09	1.12	3.30
002 मशीन उपकरण,	2.60	2.60	0.86	0.86	0.88	2.60
012 अन्य अनुरक्षण कार्य	2.00	2.00	0.66	0.66	0.68	2.00
रु0 25 सामाग्री और पूर्तियां						
006 अन्य व्यय	11.80	11.80	3.92	3.92	3.96	11.80
योग योजना–(4475)	25.38	25.38	8.72	8.22	8.44	25.38

13.7 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पृ.क्र./1886/1969/2015/10-2/बजट, दिनांक 03.07.15 के द्वारा हरियाली प्रसार योजना वर्ष 2015-16 के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देश निम्नानुसार हैः-

- योजना का संक्षिप्त विवरण :– योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समस्त वर्ग हेतु इच्छुक कृषकों को उनकी इच्छित प्रजाति के न्यूनतम 50 पौधे तथा अधिकतम 5000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किये जायेंगे। जहां तक ग्राटेड फलदार पौधे के रोपण का प्रश्न है, प्रति कृषक अधिकतम 50 पौधे का रोपण किया जायेगा।

  (2) इस रोपण में प्रति पौधा 22 रूपये सामान्य पौधों के लिये, 23.25 रुपये क्लोनल पौधों के लिये तथा 43.25 ग्राटेड फलदार पौधों के लिये व्यय आंकलित है जिसमें प्रथम वर्ष में पौधा तैयारी, पौधा परिवहन, रोपण, 2 बार निदाई एवं खाद / कीटनाशक तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में खाद / कीटनाशक व जीवित पौधों पर अनुदान का व्यय शामिल हैं।

- रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां :– खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, अमरूद, नींबू नीलगिरी, सिरस, मुनगा, शीशू, तथा शरीफा इत्यादि।

- योजना के क्षेत्र :– योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी। कम वन क्षेत्र वाले जिलों दुर्ग, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, बालोद तथा आदिवासी बहुल जिलों में मांग के अनुसार अधिक लक्ष्य दिया जावेगा।

- योजना लागत :– बजट उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा।

- योजना से लाभ :–
  - वामपंथ उग्रवाद एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार का सृजन
  - प्रति वर्ष लगभग 20 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन।
  - पड़त भूमि का विकास।
  - आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गो के आय में वृद्धि।
  - पर्यावरण में सुधार।
  - वनोपज के उत्पादन में वृद्धि।
  - गैर वनभूमि में वानिकी विस्तार।

13.7.1 योजना के अंतर्गत 03 वर्षों में किये जाने वाले व्यय का नॉर्म्स निम्नानसुार है

क्र.	पौधों का प्रकार	अधिकतम प्रति पौधा व्यय 03 वर्षों में
1	साधारण पौधा	22/–
2	क्लोनल पौधा	23.25/–
3	फलदार ग्राफ्टेड पौधा	43.25/–

13.7.2 योजना के अंतर्गत मदवार व्यय का नॉर्म्स निम्नानुसार है

वर्ष	कार्य का विवरण	साधारण पौधा	क्लोनल पौधा	फलदार पौधा
प्रथम वर्ष	पौधे का मूल्य	7.25 रू.	8.50 रू.	28.50 रू.
	परिवहन	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	स्टैकिंग, जुताई एवं रोपण	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जुताई तथा निंदाई, गुढ़ाई	2.75 रू.	2.75 रू.	2.75 रू.
	कीटनाशक एवं खाद्	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	प्रथम वर्ष का योग	16 रू.	17.25 रू.	37.25 रू.
द्वितीय वर्ष	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/कीटनाशक एवं दवा	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जीवित पौधों हेतु हितग्राही को रखरखाव हेतु अनुदान	1.00 रू.	1.00 रू.	1.00 रू.
	द्वितीय वर्ष का योग	3.00 रू.	3.00 रू.	3.00 रू.
तृतीय वर्ष	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/कीटनाशक एवं दवा	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जीवित पौधों हेतु हितग्राही को रखरखाव हेतु अनुदान	1.00 रू.	1.00 रू.	1.00 रू.
	तृतीय वर्ष का योग	3.00 रू.	3.00 रू.	3.00 रू.
महायोग		22.00 रू.	23.25 रू.	43.25 रू.

13.7.3 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रोपण का वृत्तवार विवरण

वृत्त का नाम	वर्षा ऋतु 2018 में रोपित किये गये पौधों की संख्या			रोपित पौधों की कुल संख्या	हितग्राहियों की संख्या
	साधारण	क्लोनल	ग्राफ्टेड		
1	2	3	4	5	6
कांकेर	150000	4654398	156900	4961298	4355
सरगुजा	930000	1200000	6000	2136000	1847
रायपुर	84830	4072806	9751	4167387	1638
जगदलपुर	0	8362139	0	8362139	3499
बिलासपुर	1932000	5699370	0	7631370	6042
दुर्ग	0	2108940	0	2108940	2346
योग	**3096830**	**26097653**	**172651**	**29367134**	**19727**

- हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत प्रथम 05 वर्षों (2005–06 से 2009–10) में वर्ष 2005–06 में 27.03 लाख, वर्ष 2006–07 में 31.08 लाख, वर्ष 2007–08 में 17.45 लाख, वर्ष 2008–09 में 79.92 लाख एवं वर्ष 2009–10 में 03 लाख पौधे का रोपण कार्य कराया गया। इस प्रकार प्रथम 05 वर्षों में 158.48 लाख पौधे रोपित किये गये।

13.7.4 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत द्वितीय 09 वर्षों में रोपित पौधों का विवरण

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्षाऋतु	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
हरियाली प्रसार योजना (2533)	2010–11	2010	65.56	19414
	2011–12	2011	33.50	9985
	2012–13	2012	44.27	7542
	2013–14	2013	44.21	6235
	2014–15	2014	98.18	9319
	2015–16	2015	255.10	46120
	2016–17	2016	288.81	28993
	2017–18	2017	296.85	21397
	2018–19	2018	293.67	19727
योग			**1420.15**	**168732**

- हरियाली प्रसार योजना के अंतगर्त प्रारंभ से अब तक कुल 14 वर्षो में15.78 करोड़ पौधों का रोपण कृषकों की भूमि पर किया गया है।

13.7.5 राज्य में उत्तम गुणवत्ता के बीजों के संग्रहण हेतु निर्मित बीजोद्यान क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है

वनमंडल का नाम	SSO		CSO		SPA		प्रदर्शन क्षेत्र		कलिंग ऑर्चर्ड	
	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में
अनु. एवं वि. बिलासपुर	4	60.0	5	45.0	10	255.86	1	10.00	0	0.00
रायपुर	5	65.0	6	65.0	12	169.90	1	10.00	0	0.00
अनु. एवं वि. जगदलपुर	3	80.5	3	55.0	3	120.00	2	20.00	1	7.00
योग :–	**12**	**205.5**	**14**	**165.0**	**25**	**545.76**	**4**	**40.00**	**1**	**7.00**

- **हरियाली प्रसार योजना**

योजना का नाम — हरियाली प्रसार योजना, क्लोनल निलगिरी रोपण
हितग्राही का नाम — हेमलाल/भस्का
ग्राम — हरवेल, रोपित पौधों की संख्या — 1000 , रोपण वर्ष — 2014
वन परिक्षेत्र बडेराजपुर — वन मंडल केशकाल फोटोग्राफी दिनांक — 18. 09. 2016

14. मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य में तीन वन विद्यालय जगदलपुर, महासमुंद एवं सक्ती जिले में स्थापित किये गये हैं। वन विद्यालय जगदलपुर में अप्रशिक्षित वनपाल एवं वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं एवं शेष वन विद्यालयों में अप्रशिक्षित वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वनपाल कौशल उन्नयन प्रशिक्षण अवधि छः सप्ताह एवं वनरक्षक प्रशिक्षण छःमाह हैं।

14.1 वनपाल- कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम

विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
वन विद्यालय, जगदलपुर	01.01.18 से 15.02.18	38
	01.03.18 से 15.04.18	37
	01.05.18 से 15.06.18	40
	01.07.18 से 15.08.18	41
	01.09.18 से 15.10.18	50
कुल		**206**

14.2 वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	वन विद्यालय, जगदलपुर	01.11.2017 से 30.04.2018	44
		01.07.2018 से 31.12.2018	25
कुल			**69**
2	वन विद्यालय, महासमुंद	01.11.2017 से 30.04.2018 (गेमगार्ड प्रशिक्षण)	73
कुल			**73**
3	वन विद्यालय, सक्ती	01.11.2017 से 30.04.2018	64
कुल			**64**

महासमुन्द वन विद्यालय में परेड का निरीक्षण करते श्री मुदित कुमार (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

14.3 भारतीय वन सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण

छत्तीसगढ राज्य में पदस्थ भारतीय वन सेवा स्तर के अधिकारियों को वर्ष 2018 में प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लेने हेतु विभिन्न संस्थान भेजे गये हैं:–

प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अधिकारियों की संख्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून/ टी .आई.आर.आई. नई दिल्ली/ आई.आई.एफ.एम. भोपाल/ ए.एस.सी.आई. हैदराबाद/ ब्ल्यू.आई.आई. देहरादून/ आई.आई.एम. लखनाउ/ आई.पी.पी.ए. नई दिल्ली/ के.एफ.आर. आई. पिच्ची/ एफ.एस.आई. देहरादून/ आई.आई.एम. बैंगलोर इत्यादि	91

14.4 राज्य वन सेवा अधिकारियों एवं वन क्षेत्रापालों का प्रशिक्षण

सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रापाल को वर्ष 2018 में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है:–

क्रं	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सहा. वन संरक्षक	वन क्षेत्रपाल
1.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय/ बर्णिहट/ कोयम्बटूर/ देहरादून/ भारतीय वन सर्वेक्षक्षण संस्थान देहरादून/ वन अनुसंधान संस्थान देहरादून/ पूर्वी वन क्षेत्रापाल महाविद्यालय कुरस्यांग/ छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	23	14

14.5 JICA परियोजना (Japan International Cooperation Agency)

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (JICA) से सहायता प्राप्त "Capacity Development Forest Management and Training of Personnel" के अंतर्गत वन विद्यालयों की अधोसंरचना के विकास, मैदानी स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता विकास तथा वन विद्यालयों में उत्तम प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने देश के 10 राज्यों का चयन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।

इस परियोजना अंतर्गत छ.ग. राज्य में निम्नानुसार कार्य चल रहा है:–

- भवन निर्माण/उन्नयन कार्य वन विद्यालय महासमुन्द एवं जगदलपुर में चल रहा है। जिसके अंतर्गत वर्तमान में आबंटन एवं व्यय संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

(राशि लाख में)

वन विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि 80%	व्यय राशि		
			Eligible	Non-Eligible	Total
महासमुन्द	508.35	457.52	450.81	17.91	**468.72**
जगदलपुर	499.09	449.17	432.19	22.04	**454.23**

- दोनों वन विद्यालय हेतु "Furniture & Training Equipment" क्रय हेतु कुल राशि 92.17 लाख स्वीकृत है, जिसका 80 प्रतिशत राशि 73.74 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। क्रय की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।
- वन विद्यालयों की अधोसंरचना के विकास, मैदानी स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता विकास तथा वन विद्यालयों में उत्तम प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु State Training Improvement Plan तैयार करने हेतु भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 40.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त है। इस कार्य हेतु JPS Associates Private Ltd. New Delhi फर्म को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है जिसके अंतर्गत राशि रू. 33.00 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा अध्ययन सामग्री मुद्रण का कार्य प्रगति पर है।

Boys Hostel Mahasamund Training School

15. सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Video Conferencing) :- अटल नगर, रायपुर स्थित वन मुख्यालय, अरण्य भवन, सेक्टर–19 एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों (रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/कांकेर/ सरगुजा/ जगदलपुर वृत्त) में Video Conferencing करने हेतु Complete Setup स्थापित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 27 वनमण्डल स्तर के कार्यालयों को भी Video Conferencing के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।

16. सतर्कता एवं शिकायत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सतर्कता एवं शिकायत प्रभाग द्वारा विभाग में प्राप्त शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इस प्रभाग में मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, शासन, जनदर्शन, भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन, पी.जी.एन., लोक आयोग, आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो तथा शिकायतकर्ता से सीधे शिकायतें प्राप्त होती हैं। उपरोक्त माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जांच के लिये जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है जो शिकायतें जांच में निराधार पायी जाती हैं उन्हें नस्तीबद्ध किया जाता है तथा जिनमें सत्यता पाई जाती है उनके लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव

सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जाते हैं। शिकायतों के विभिन्न स्रोत निम्नानुसार हैः–

16.1 मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त प्रकरण,मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त प्रकरण, शासन से प्राप्त प्रकरण, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पी.जी.एन. (Public Grievance Number) प्रकरण एवं विभाग को सीधे प्राप्त प्रकरण

16.2 लोक आयोग प्रकरण

वन विभाग से संबंधित शिकायतों को प्रकरण क्रमांक आवंटित कर माननीय लोकायोग द्वारा छ.ग. शासन, वन विभाग अथवा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को जांच हेतु प्रेषित किया जाता है। प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा करायी जाती है। जांच प्रतिवेदन एवं जांच के निष्कर्ष से माननीय लोक आयोग को अवगत कराया जाता है, जिस पर अन्तिम निर्णय माननीय लोक आयोग द्वारा लिया जाता है।

16.3 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो प्रकरण

राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त शिकायतों में से गम्भीर शिकायतों की जांच राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो द्वारा स्वयं की जाती है तथा शेष शिकायतों को जांच हेतु वन विभाग अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया जाता है। छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा कराई जाती है तथा जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन को अनुषांगिक अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है।

16.4 भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन

भारत सरकार की वेबपोर्टल CPGRAMS में देश के नागरिकों द्वारा सरकारी संगठनों के प्रति शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज कराने की व्यवस्था है । इस वेबपोर्टल में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा की जाती है । वन विभाग से संबंधित विषयों के प्राप्त आवेदनों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर, दिनांक अंकित कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निराकरण हेतु प्राप्त होता है तथा वेबपोर्टल से ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त की जाती है। वेबपोर्टल से प्राप्त आवेदनों का विवरण http;//pgportal. gov.in (CPGRAMS) वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा निराकरण उपरांत निराकरण के निष्कर्ष के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को सूचित किया जाता है तथा इसे वेबसाइट पर अंकित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील के माध्यम से प्राप्त अपील प्रकरणों पर सुनवाई की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा क्षेत्रीय छः मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के लिये मुख्य वन संरक्षक (सत.शिका.) प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं इन कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदन इस प्रभाग को प्रेषित होते हैं जिन पर सुनवाई कर अपील आवेदनों का निपटारा इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

17. अनुश्रवण मूल्यांकन

तत्कालीन वन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्रा क्र./5136/10/2/86 दिनांक 15.10.1986 एवं मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक/1490 दिनांक 22.04.1994 के अनुसार तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रमांक/अनु./मूल्यां./निर्देश/23 दिनांक 12.03.2013 के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा

संपादित वृक्षारोपणों का अंर्तवृत्तीय निरीक्षण वृक्षारोपण के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् संपन्न किये जाने का प्रावधान है तद्नुसार वर्ष 2011–12 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2015–16 में, वर्ष 2012–13 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2016–17 में, वर्ष 2013–14 में निर्मित वृक्षारोपण का 2017–18, वर्ष 2014–15 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2018–19 में मूल्यांकन हेतु कार्य आंबटित किया गया है।

17.1 जी.आई.एस. पद्धति से वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–7/2013/10–2 बजट, दिनांक 18.02.2014 के अनुसार वन विभाग द्वारा संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्य एवं उससे संबंधित कार्यो के अभिलेखन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जी.आई.एस. पद्धति का उपयोग तत्काल प्रभाव से करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। सभी वनमंडलों द्वारा वर्ष 2014–15 से 2018–19 के वृक्षारोपण के डेटाबेस की जानकारी .kml File के माध्यम से FMIS portal पर प्रविष्टि की जा रही है जिसका उपयोग कालांतर में रोपित पौधों की जीवितता की स्थिति के आंकलन में किया जा सकेगा।

18. कार्य आयोजना

छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्राफल 1,35,191 वर्ग कि.मी. है। इसके अंतर्गत कुल 59,772.40 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रफल है, जिसमें आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग कि.मी., संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग कि.मी.एवं अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग कि.मी. है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44.21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य के वन क्षेत्र में 43.13 प्रतिशत आरक्षित वन, 40.22 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 16.65 अवर्गीकृत वन सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है।

वनमण्डलों की कार्य आयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि समय अवधि समाप्त होने के पश्चात वनमण्डल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके।

वनमण्डलों की कार्य आयोजना की वर्तमान स्थिति

कुल वनमण्डलों की संख्या– 34		
स्थिति	संख्या	वनमण्डल का नाम
प्रचलित कार्य आयोजना वनमण्डल	20 वनमण्डल	रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, बीजापुर,, कांकेर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, कोरबा, कटघोरा, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़, कवर्धा, सरगुजा, सूरजपुर बलरामपुर, मनेन्द्रगढ एवं जशपुर
कार्य आयोजना पुनरीक्षित किये जा रहे वनमण्डल	14 वनमण्डल	रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव,रायगढ़, धरमजयगढ़, बिलासपुर, दक्षिण कोण्डागांव, पश्चिम भानुप्रतापपुर, पूर्व भानुप्रतापपुर, एवं बस्तर
पुनरीक्षित किये जा रहे वनमण्डलों की वर्तमान स्थिति		
पुनरीक्षित किये जा रहे वनमण्डलों के द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण संपन्नः–	09 वनमण्डल	रायगढ़, धरमजयगढ़, मुंगेली, कोरिया, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, एवं राजनांदगांव
पुनरीक्षित किये जा रहे वनमण्डलों के प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण संपन्नः–	05 वनमण्डल	गरियाबंद, दंतेवाडा, बीजापुर, सुकमा, एवं सूरजपुर

19. वित्त-बजट

बजट (आयोजनेत्तर)

(राशि करोड़ में)

वर्ष 2017–18		
मांग संख्या 10 – आयोजनेत्तर	प्राप्त बजट	व्यय
मतदेय	670.85	557.43
भारित	26.75	26.47
योग – आयोजनेत्तर	**697.60**	**583.90**
राजस्व प्राप्ति		
0406 – राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियॉ	लक्ष्य	प्राप्तियॉ
–	**600.00**	**291.16**
वर्ष – 2018–19 (दिसम्बर, 2018 की स्थिति में)		
मांग संख्या 10 – आयोजनेत्तर	प्राप्त बजट	व्यय
मतदेय	719.79	411.90
भारित	28.20	0.47
योग – आयोजनेत्तर	**747.99**	**412.37**
राजस्व प्राप्तियॉ		
0406 – राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियॉ	लक्ष्य	प्राप्तियाँ
–	**600.00**	**185.15**

20. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

S.F.R.T.I.& Climate Change "Office"

राज्य में वानिकी के विभिन्न विधाओं पर अनुसंधान करने एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2007 में गठित राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कुल 63 हेक्टेयर क्षेत्रा में फैला हुआ है जिसमें मुख्य भवन का क्षेत्रफल 9544 वर्ग मीटर है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित इस भवन की कुल लागत रूपये

835.00 लाख है। संस्थान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है। संस्थान 100 किलो वाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों (Solar Photovoltaic System) से सुसज्जित है।

छ.ग. वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पूर्व स्वीकृत सेटअप तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) हेतु स्वीकृत सेटअप

स्वीकृत सेटअप		
वानिकी प्रोफेशनल्स पद		
स.	**पदनाम**	**पद संख्या**
1	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं निदेशक	1 (फरवरी 2019 तक स्वीकृत)
2	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान)	1
3	अपर संचालक (वन संरक्षक)	1
4	सहायक संचालक (सहायक वन संरक्षक)	2
5	वनक्षेत्रापाल	2
6	वनपाल	2
7	वनरक्षक	5
	योग	**15**
वैज्ञानिक पद		
स. क.	**पदनाम**	**पद संख्या**
1	वैज्ञानिक एस.सी.	3
2	वैज्ञानिक एस.बी.	6
	योग	**9**
तकनीकी पद		
1	अनुसंधान सहायक	6
2	तकनीकी सहायक	3
3	लैब टैक्निशियन	2
4	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1
5	सहायक प्रोग्रामर	1
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर	4
	योग	**17**
गैर तकनीकी पद		
1	सहायक संचालक वित्त प्रतिनियुक्ति पर	1
2	प्रशासकीय अधिकारी	1
3	निज सहायक	1
4	अधीक्षक	1
5	सहायक ग्रेड–1	2
6	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (अंग्रेजी)	1
7	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (हिन्दी)	1
8	सहायक ग्रेड–2	4
9	सहायक ग्रेड–3	6

10	स्टेनोटायपिस्ट	1
11	हल्का वाह न चालक	5
12	भारी वाहन चालक	1
13	भृत्य / अर्दली	7
14	चौकीदार	3
	योग	**35**
	कुल योग	**76**

20.1 संस्थान के प्रभाग

संस्थान में निम्नानुसार प्रभाग हैं:–

1. जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
   (Biodiversity & Climate Change Division)
2. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग
   (Biotechnology Division)
3. वन वर्धन, वन मापिकी एवं वन वर्गीय प्रभाग
   (Silviculture, Mensuration & Forest Taxonomy Division)
   - फारेस्ट टेक्सोनॉमी (Forest Taxonomy)
   - वन वर्धन एवं वन मापिकी (Silviculture & Forest Mensuration Division)
   - मृदा विज्ञान (Soil Science)
   - बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)
4. गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रभाग
   (Non Timber Forest Produce Division)
5. वन संरक्षण प्रभाग (रोग एवं कीट)
   (Forest Protection Division)
   - वन रोग विज्ञान (Forest Pathology)
   - वन कीट विज्ञान (Forest Entomology)
6. कृषि वानिकी एवं आजीविका प्रोत्साहन प्रभाग
   (Agroforestry & Livelihood Promotion Division)
7. मानव संसाधन विकास प्रभाग
   (Human Resource Development Division)
8. सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभाग
   Information, Education & Communication Division)

20.2 संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण

20.2.1 संस्थान में भारतीय वन सेवा अधिकारीयों का दो दिवसीय कार्यशाला काडवम्ष द्वारा आयोजन

- छत्तीसगढ राज्य में प्रथम बार वर्ष 2016 में MoEF द्वारा संस्थान में राष्ट्रीय स्तर का आई.एफ.एस.

आफिसर्स का दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हेतु SFRTI को चयनित किया गया। उक्त कार्यशाला में 23 राज्यों से 45 आई.एफ.एस. आफिसर्स का नामांकित किया गया एवं 16 राज्यों से 21 IFS आफिसर्स ने कार्यशाला में भाग लिया। शीर्षक "New Initiatives पद Forestry : Oppurtunities and Challanges" पर कार्यशाला आयोजित हुआ जिसमें National/ International Reputed अतिथी व्याख्याताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया।

IFS Officers Workshop at S.F.R.T.I.

- MoEF द्वारा वर्ष 2018 में संस्थान में शीर्षक "New Initiatives in Forestry: Oppurtunities and Challanges" पर दिनांक 29 जनवरी 2018 से 2 फरवरी, 2018 तक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 17 राज्यों से 34 I.F.S. आफिसर्स को कार्यशाला में भाग लेने हेतु नामांकित किया गया था।
- MoEF & CC द्वारा 17–18 July 2018 को दो दिवसीय भा.व.से. अधिकारियों हेतु कार्यशाला अयोजित की गई जिसमें 11 राज्यों के 15 अधिकारीयों ने भाग लिया। कार्यशाला हेतु 22 राज्यों के 37 भा.व.से. अधिकारी नामांकित किये गए थे।

20.2.2 संस्थान में वनरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण

संस्थान में वर्ष 2013–14 से वनरक्षकों के छःमाही बुनियादी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमे विभिन्न वन वृत्तो के वनमण्डलो के वनरक्षको द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में वनरक्षकों के पांचवा बैच को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक कुल 332 वनरक्षक संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किये है।

वन रक्षक प्रशिक्षण दीक्षांत परेड S.F.R.T.I

20.3 संस्थान में संचालित अनुसंधान परियोजनाएँ

20.3.1 कांगेर वैली नेशनल पार्क में हिल मैना की आबादी का मूल्यांकन (प्र.मु. व.सं. वन्य जीव द्वारा पोषित) Evaluation of hill myna population with respect to its conservation of KVNP)

- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर प्र.मु.व.सं. वन्यप्राणी को प्रेषित किया जा चुका है। परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना शेष है ।
- Hill Myna Population Census हेतु दोनों परिक्षेत्रों कुटुंबसर एवं कोलेंग अंतर्गत 42 Transect line बनाकर Kanger Valley National Park में शोध कार्य किया गया।

20.3.2 ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना गेवरा, कोरबा के मुख्य क्षेत्रा के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना।(Preparation of wildlife conservation plan including alternative habitat development plan for the affected avifauna of core area of OCP Gevra Under Katghora Forest Division.)

- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है एवं एस ई सी एल गेवरा को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

20.3.3 छत्तीसगढ़ के आंवला वृक्षारोपण में कम फल लगने के कारणों एवं उनके सम्भाव्य उपचार का अध्ययन

To find out the causes and its possible remedial measures of poor fruiting in Aonla plantation in Chhattisgarh (Period- 2 yrs.)

- रा.व.अ.प्र.सं. में 0.8 हेक्टेयर ऑवला रोपड़ क्षेत्र में शोध हेतु 6–7 पहलूओं पर शोध कार्य प्रगति पर है।
- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राज्य कैम्पा को प्रेषित किया जा चुका है। परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना शेष है ।

आंवला वृक्षारोपण क्षेत्र, माना -1979-80

20.3.4 जामपाली के मुख्य क्षेत्रा के प्रभावित पक्षीवृन्द के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना की तैयारी ओ.सी.पी. (Preparation of alternative habitat development plan for the affected avifauna of the core area of Jampali OCP. (Period- 2 yrs.))

- 253 hac. Mining core boundary एवं 10 किलोमीटर Buffer area ds avifauna का सर्वे स्पदम Transect Method द्वारा Summer, Winter and Rainy season का सर्वे किया गया।
- परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध कुल 52 avifauna species के 497 पक्षी की गणना एवं पहचान कर चेकलिस्ट तैयार किया जा चुका है।
- Alternative habitat develop करने हेतु 05 किलोमीटर पेरीफेरी के Buffer areaesa स्थल का चयन किया गया।
- परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन पॉच वर्षो के संरक्षण योजना के साथ तैयार कर एस.ई.सी.एल. रायगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है।

20.3.5 धरमजयगढ़ रायगढ़ ट्रांसमिशन लाईन पार्ट-II 765 KvDc पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, रायगढ़ के मुख्य क्षेत्रा के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना। (Preparation of ecofriendly alternative habitat development plan for the affected

avifauna due to the diversion of 153.448 ha. Forest land in favour of power grid corporation of india limited, raigarh for construction of 765 kv d/c jharsuguda-dharamjaygarh transmission line - 2 in raigarh area.)

- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

20.3.6 छत्तीसगढ़ के साथ जिलों के प्रमुख आद्र क्षेत्रों के जैव विविधता मूल्यांकन और पारिस्थितिक स्थिति पर एक पायलट अध्ययन (A pilot study on biodiversity assessment & ecological status of major wetlands of seven districts of Chhattisgarh. (Period- 2 yrs.)

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा राशि रू 29,93,600/– लाख की वित्तीय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- इस परियोजना अंतर्गत कुल 7 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगाव, मुंगेली, कोरबा, बलौदाबाजार, कवर्धा में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर परिधि में स्थित 5 हेक्टेयर क्षेत्र एवं उसके ऊपर के wetland का Ecological Status and Biodiversity Assesment शोध कार्य प्रगति पर है।

आद्रभूमियों के जैवविविधता मूल्यांकन एवं परिस्थितिकीय स्थितियों का अध्यन

- वर्तमान में 07 जिलों के 289 तालाबों में से 06 जिलों के 138 तालाबों का प्रारंभिक सर्वे एवं चिन्हांकन तथा Ecological Status and Biodiversity Assesment कार्य किया जा चुका है।
- वर्ष 2019 हेतु प्री एवं पोस्ट मानसून का सर्वे कार्य किया जाना शेष है ।

20.3.7 ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना छाल, रायगढ़ के मुख्य क्षेत्रा के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना। (Preparation of wildlife conservation plan including alternative habitat development plan for the affected avifauna of core area of OCP Chhal, Raigarh area.)

- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर एस ईसी एल रायगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है। परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

20.3.8 ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना बरौद, रायगढ़ के मुख्य क्षेत्रा के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना। (Preparation of wildlife conservation plan including alternative habitat development plan for the affected avifauna of core area of OCP Baroud, Raigarh area.)

- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर एस ईसी एल रायगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है। परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

20.4 अनुसंधान मूलक गतिविधियों का विवरण

i. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

ट्रापिकल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, जबलपुर (टी.एफ.आर.आई) के तकनीकी सहयोग तथा राज्य कैम्पा के वित्तीय अनुदान (रू 50.00 लाख) से संस्थान में 2013 में एक आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है इसमें राज्य में किये जाने वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों की मिट्टी की जांच की जा रही है। अब तक 1576 से अधिक सैम्पल्स की जांच कर रिपोर्ट उपचार सलाह सहित फिल्ड भेजा जा चुका है।

ii. केन्द्रीय वन पुस्तकालय की स्थापना

राज्य कैम्पा के वित्तीय अनुदान से संस्थान में एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना प्रगति पर है। वर्तमान तक वानिकी एवं संबंधित विषयों पर 1000 से अधिक पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध है। यहां पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र/पत्रिकायें, लेख, माइक्रोफिल्म इत्यादि रखे जायेंगे। अतिशीघ्र ई–लाईब्रेरी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

20.5 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने UNDP की सहायता से जलवायु परिवर्तन के लिए एक समग्र राज्य कार्य योजना तैयार की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी आर्थिक विकास को लक्षित किया गया है, साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम को भी कम करना है।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के अंतर्गत 8 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जो कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वन और जैव विविधता, जल संसाधन, शहरी विकास, परिवहन, ऊर्जा उद्योग और खनन और मानव स्वास्थ्य हैं।
- छत्तीसगढ़ राज्य ने जून 2017 में बीजिंग, चीन में आयोजित अंडर–2 डिग्री कोयलिशन (Coalition), जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब–नेशनल राज्यों की एक कोयलिशन है, में इस संबंध में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है। ऐसा करने वाला भारत में तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है, जो कि राज्य के लिए गर्व की बात है।
- उक्त कार्यक्रम में अंडर–2 गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो उप–राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अपने ग्रीन हाउस गैस 2050 तक शून्य की स्थिति में लाने हेतु अंडर–2 डिग्री कोयलिशन उप राष्ट्रीय सरकारों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन फंड के अंतर्गत प्रायोजित रुपये 21.47 करोड़ की एक 04 वर्षीय

(2016–17 से 2020–21) पायलट परियोजना ''महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का संचालन राज्य के तीन वनमण्डलों धमतरी, बलौदाबाजार एवं महासमुंद में किया जा रहा है।

- विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के सशक्तिकरण हेतु रु. 2.62 करोड़ की एक 05 वर्षीय (2016–17 से 2021–22) परियोजना का संचालन किया जा रहा है। परियोजनांतर्गत केंद्र के सशक्तिकरण हेतु जी. आई. एस. प्रकोष्ठ की स्थापना, कर्मचारियों के क्षमता विकास एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान का दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़ REDD++ दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना तैयार करने वाला एक मात्रा राज्य है।
- राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की गतिविधियों के संचालन मार्गदर्शन हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन की अध्यक्षता में विभिन्न संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव की संचालन समिति का गठन किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के विधिवत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ एवं संबंधित आठ विभागों में सेक्टोरल जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।
- केन्द्र द्वारा राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित निम्नानुसार अध्ययन किये गये है
- UNDP के सहयोग से राज्य में जिला स्तरीय जोखिम सूचकांक का अध्ययन।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के वानिकी सेक्टर का समीक्षा अध्ययन।
- रायपुर के सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन में संभावनाओं का अध्ययन।
- साथ ही महानदी बेसिन में जल वितरण एवं छत्तीसगढ़ में जलवायु अनुकूल कृषि विषयों पर अध्ययन प्रगति पर है।
- केन्द्र द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन केन्द्र के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जा रहा है एवं वेबसाईट का निर्माण किया गया है।
- केन्द्र द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयासो में से एक जलवायु परिवर्तन विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन है जिसके अंतर्गत देश के जलवायु परिवर्तन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञो द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों, नीति निर्धारकों, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनो एवं स्थानीय व्यक्तियों का ज्ञान वर्धन एवं क्षमता विकास किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से भी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन किया रहा है।

- नवम्बर 2017 में बोन जर्मनी में आयोजित UNFCCC COP-23 में नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया एवं तदानुसार राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया है एवं राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किये गये अभिनव प्रयासों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है।

भाग–दो

21. वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 अभ्यारण्य तथा 3 टायगर रिजर्व गठित हैं। इसके अतिरिक्त मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में एक बायोस्फियर रिजर्व अचानकमार–अमरकंटक अधिसूचित है। वन्यप्राणियों के बचाव, पुनर्वास एवं जन सामान्य को वन्यप्राणियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 2 लघु चिड़ियाघर नंदनवन, रायपुर एवं कानन पेंडारी, बिलासपुर तथा 1 नंदनवन जंगल सफारी की स्थापना की गई है। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु जांजगीर–चांपा में मगरमच्छ संरक्षण योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं टायगर रिजर्व का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

21.1 राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/टायगर रिजर्व/बायोस्फियर रिजर्व

क.	राष्ट्रीय उद्यान	वनवृत्त	वनमंडल	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
			राष्ट्रीय उद्यान		
1.	कांगेर घाटी	जगदलपुर	बस्तर	बस्तर	200.000
2.	गुरूघांसीदास	सरगुजा	बैकुण्ठपुर	कोरिया/सूरजपुर	1440.705
	योग –				**1640.705**
			अभ्यारण्य		
1.	बादलखोल	सरगुजा	जशपुर	जशपुर	104.454
2.	गोमार्डा	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	277.820
3.	बारनवापारा	रायपुर	रायपुर	बालौदाबाजार	244.660
4.	तमोरपिंगला	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	608.527
5.	सेमरसोत	सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर	430.361
6.	भैरमगढ़	जगदलपुर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	138.950
7.	पामेड़	जगदलपुर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	262.120
8.	भोरमदेव	दुर्ग	कवर्धा	कबीरधाम	351.240
	योग–				**2418.132**
			टायगर रिजर्व		
1.	इन्द्रावती	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	2799.070
2.	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	914.017
3.	उदन्ती–सीतानदी	रायपुर	गरियाबंद/धमतरी	गरियाबंद/धमतरी	1842.540
	योग –				**5555.627**

बायोस्फियर रिजर्व					
1	अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व	बिलासपुर	मुंगेली, मरवाही एवं बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	**2610.530 (914.017 अचानकमार टायगर रिजर्व को छोड़कर)**
	महायोग				**11310.977**

राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग कि.मी. है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 11310.977 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वनक्षो 59,772 वर्ग किलोमीटर का 18.92 प्रतिशत है। यह राज्य के कुल कार्य योग्य वन क्षेत्राफल का लगभग 20 प्रतिशत है।

21.2 टायगर रिजर्व

ट्रेप कैमरा फोटो ''बाघ'' उदन्ती सीता नदी टाइगर रिजर्व

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टायगर योजना में वर्ष 1982 से सम्मिलित हैं परंतु इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर टायगर रिजर्व का दर्जा अधिसूचना क्रमांक/एफ8–43/2007/10–2 दिनांक 20.02.2009 द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/08/2006 को दी गई है। राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/2007/10–2 दिनांक 20/02/2009 द्वारा उदन्ती–सीतानदी एवं अचानकमार टायगर रिजर्व घोषित किया है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नीचे दी गयी टायगर रिजर्ववार कोर एरिया (Critical Tiger Habitat) एवं बफर एरिया के विर्निदिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित किया गया है:–

स.क.	टायगर रिजर्व	कोर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	बफर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	योग (वर्ग कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अचानकमार टायगर रिजर्व	626.195	287.822	914.017
2.	उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व	851.090	991.450	1842.54
3.	इंद्रावती टायगर रिजर्व	1258.370	1540.700	2799.07
महायोग –		**2735.655**	**2819.972**	**5555.627**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में बाघों की गणना वैज्ञानिक पद्धति से करायी जाती है। वर्ष 2010 की गणना अनुसार राज्य में 26 बाघ थे। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा बाघों की गणना करायी गयी जिसमें राज्य में बाघों की संख्या 26 से बढ़कर 46 हो गयी है। राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि होना शासन द्वारा बाघों की संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों का परिणाम है। वर्ष 2018 में अखिल भारतीय बाघ आंकलन कार्य राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश

अनुसार किया जाकर डाटा विश्लेषण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को प्रेषित किया गया है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली से डाटा विश्लेषण का परिणाम अपेक्षित है।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/1–57/2009/10–1/वन दिनांक 19/11/2009 द्वारा मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर तथा वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं संचालक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा के तीन नये पदों का सृजन कर संबधित अधिकारियों की पदस्थिति की गई है। मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अपने अधीनस्थ संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है। संरक्षित क्षेत्र के बाहर के वन क्षेत्रा में मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के साथ संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसका कुल क्षेत्राफल 1440.705 वर्ग किलोमीटर है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य जिसका कुल क्षेत्राफल 608.527 वर्ग किलोमीटर है, से जुड़ा हुआ है। गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रा मिलकर मध्यप्रदेश के संजय डुबरी टायगर रिजर्व तथा झारखंड के पलामू टायगर रिजर्व के बीच एक निरंतर क्षेत्रा बनाते हैं अतः संजय डुबरी टायगर रिजर्व से लेकर पलामू टायगर रिजर्व तक बाघों के संरक्षण के लिए निरंतर क्षेत्रा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ तमोर पिंगला के क्षेत्रा को भी टायगर रिजर्व में सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस क्षेत्र को टायगर रिजर्व के रूप में गठित किया जाये। भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्रा को टायगर रिजर्व के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस आशय का एक प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड की 5वीं बैठक दिनांक 30/05/2012 को बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है जिसे बोर्ड द्वारा पारित कर टायगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा की है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की नवम बैठक में प्रस्तावित टायगर रिजर्व क्षेत्रा के कोर एवं बफर क्षेत्रा के निर्धारण हेतु वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(ट) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, एन.जी.ओ., स्थानीय समुदायों से गहन चर्चा कर कोर तथा बफर क्षेत्रा का निर्धारण किया गया। गुरूघासीदास–तमोर पिंगला टायगर रिजर्व का कोर एरिया का क्षेत्राफल 1249.633 वर्ग कि.मी. तथा बफर एरिया का क्षेत्राफल 1051.940 वर्ग कि.मी. इस प्रकार कुल एरिया 2301.573 वर्ग कि.मी. विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिस पर राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा संबंधित क्षेत्रों के कलेक्टर से अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक योजना क्रमांक 3730–प्रोजेक्ट टायगर योजनांतर्गत प्राप्त विमुक्त एवं व्यय का विवरण नीचे दिये गये तालिका अनुसार हैः–

वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक

क्र.	टायगर रिजर्व क्षेत्रा का नाम	2016.17		2017.18		2018-19 (Dec.2018)	
		विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय
1	अचानकमार टा.रि.	497.10	384.24	587.676	587.265	447.384	95.00
2	इन्द्रावती टा.रि.	300.21	270.01	331.42	301.372	201.336	29.09
3	उदन्ती–सीतानदी टा.रि	409.79	409.67	299.060	299.003	246.120	69.10
योग		**1207.10**	**1063.92**	**1218.156**	**1187.64**	**894.84**	**193.19**

21.3 जंगली हाथियों का प्रबंधन

जंगली हाथी सरगुजा वन मंडल

जंगली हाथियों के अलग–अलग समूह छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा, महासमुन्द एवं बलौदाबाजार जिलों में लगातार विचरण करते आ रहे हैं। ये हाथी वर्ष 2002 से स्थाई रूप से छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य में जंगली हाथियों की संख्या लगभग 32 थी। अखिल भारतीय समकालिक हाथी जनसंख्या आंकलन का कार्य दिनांक 09 से 12 मई 2017 को संपन्न हुआ, जिसमें राज्य में (14 दल में) 247 हाथी पाये गये। जंगली हाथियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जंगली हाथियों के उपयुक्त रहवास विकास एवं उनके प्रबंधन हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

जंगली हाथियों की संख्या बढ़ने से हाथी–मानव द्वंद्व में वृद्धि हुई है। जंगली हाथियों के द्वारा जनहानि के साथ फसल/ सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है। विभाग द्वारा हाथी रहवास क्षेत्रों के विकास एवं हाथी–मानव द्वंद को कम करने हेतु ''हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास'' नाम से एक योजना प्रांरभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत हाथी के विचरण क्षेत्रों में उनके रहवास विकास के कार्य किये जा रहे हैं तथा हाथी मानव द्वंद्व को कम करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित किये गये एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय अमलों को जागरूक करते हुये हाथी द्वारा जानमाल की नुकसानी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी प्रभावित वनमंडलों में हाथी–मानव द्वंद्व कम करने हेतु क्षेत्रा के ग्रामों में व्यापक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। हाथियों के विचरण की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ''हमर हाथी हमर गोठ'' प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अंबिकापुर केन्द्र से प्रति दिवस शाम 5.15 बजे पर किया जाता है। जंगली हाथियों पर सतत् निगरानी रखे जाने हेतु 14 चलित हाथी सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया है। इन चलित हाथी सुरक्षा दस्तों के संचालन हेतु 84 गेमगार्ड की नियुक्ति की गयी है। वाहन चालक के 28 संविदा पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। 14 रेस्क्यू वाहन (गजराज वाहन) का क्रय किया जा चुका है। यह चलित हाथी सुरक्षा दस्ता दो पालियों में 24 घंटे जंगली हाथियों के समूहों की सतत् निगरानी में सक्रिय रहेगा।

जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों की फसल एवं अन्य संपत्ति की नुकसानी तथा जनहानि होने पर सहायता/मुआवजा राशि का भुगतान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रावधानित अवधि अनुसार किया जाता है।

हाथी रेस्क्यू वाहन का शुभारंभ - सरगुजा वन मंडल

जंगली हाथियों को उपयुक्त रहवास स्थल उपलब्ध कराने तथा हाथी–मानव द्वंद्व को कम करने के लिए भारत शासन द्वारा ''प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना'' के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रू. 108.80 लाख की राशि प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को उपलब्ध कराई गई है, जिससे

रहवास सुधार के विभिन्न कार्य तथा जान–माल की क्षति को रोकने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2009–10 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक (विगत 10 वर्षों का) हाथी रहवास क्षेत्रा का विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेण्ट योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्न में दर्शायी जा रही है:–

हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेण्ट योजनांतर्गत प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2018–19 (माह दिसम्बर 2018) तक (राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना का नाम	6991– हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास		5502– प्रोजेक्ट एलीफेण्ट		योग	
	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2009.10	210.00	206.66	121.00	118.27	**331.00**	**324.93**
2	2010.11	399.98	241.06	75.00	73.30	**474.98**	**314.36**
3	2011.12	500.00	478.04	90.00	98.27	**590.00**	**576.31**
4	2012.13	596.10	583.70	120.29	115.24	**716.39**	**698.94**
5	2013.14	749.00	714.87	54.67	45.43	**803.67**	**760.30**
6	2014.15	758.20	739.12	53.93	52.50	**812.13**	**791.62**
7	2015.16	825.00	809.69	29.33	29.00	**854.33**	**838.69**
8	2016.17	1155.00	340.25	103.136	8.12	**1258.136**	**348.37**
9	2017.18	1247.40	1227.06	80.00	80.00	**1327.40**	**1307.06**
10	2018.19	1250.10	440.18	108.80	0.00	**1358.90**	**440.18**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कैम्पा मद अंतर्गत 1960.63 लाख रूपये प्रावधानित है। गजराज परियोजना के अंतर्गत सोलर पॉवर फेंसिंग, बड़े तालाब का निर्माण, चारागाह विकास, क्षतिपूर्ति राशि, हाथी हेल्प सेंटर, जागरूकता अभियान, रेडियो कॉलरिंग आदि कार्य किए जा रहे हैं।

महासमुन्द वन मंडल रेडियो कालर जंगली हाथी

हाथियों के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उनके विचरण की सतत निगरानी के उद्देश्य केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा राज्य के 12 हाथियों में रेडियो कॉलर लगाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है जिसके अनुपालन में वर्तमान तक 04 जंगली हाथियों को सेटेलाईट रेडियो कॉलर किया जाकर उनकी विचरण की सतत निगरानी की जा रही है। रेडियो कॉलरिंग किये जाने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं वाईल्ड लाईफ एस.ओ.एस. का तकनीकी मार्गदर्शन लिया गया।

हाथी पुनर्वास केन्द्र तमोर पिंगला अभ्यारण सूरजपुर

21.4 हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र, पिंगला

सूरजपुर जिले में स्थित तमोर पिंगला अभ्यारण्य के रमकोला बीट के 4.71 हेक्टेयर क्षेत्रा में वाईल्ड ऐलीफेण्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इस केन्द्र में समस्यामूलक

जंगली हाथियों को पकड़कर, उनका पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा। कक्ष क्र. 246–पी.एफ. के लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्रा में हाथियों के लिए ट्रांजिट फैसिलिटी का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यों के लिए कैम्पा मद से रूपये 400.00 लाख विमुक्त किया गया है। वर्तमान में अचानकमार टायगर रिजर्व के 2 हाथियों को इस रेस्क्यू सेंटर में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु रखा गया है।

21.5 जंगली भालूओं का प्रबंधन (जामवंत परियोजना)

भालूओं के प्रबंधन हेतु एवं भालू मानव संघर्ष को कम करने हेतु राज्य कैम्पा से जामवंत परियोजना प्रारंभ की गई है, जो मरवाही, कटघोरा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा तथा कांकेर वनमण्डल में लागू है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु राशि रूपये 1068.08 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना में, फलदार वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, भालू रहवास क्षेत्रों के पहचान तथा संरक्षण, क्षतिपूर्ति राशि, मानव भालू संघर्ष कम करने हेतु क्षमता विकास तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान-जंगली भालू

21.6 बस्तर पहाड़ी मैना

पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी घोषितहै। पहाड़ी मैना का वर्तमान में मुख्य रहवासक्षेत्रा दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, कांगेरघाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, पुल्चा आदि वन क्षेत्रा हैं। मैना के बारे में स्थानीय स्तर की जानकारियों का संकलन, कार्यशालाओं का आयोजन, मैना से संबंधित साहित्य का वितरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत मैना के देखे जाने के अभिलेखीकरण आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं साथ ही बहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किये जा रहे है। बस्तर हिल मैना के संरक्षण के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार तथा बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के वैज्ञानिकों से सहायता ली जा रही है। पहाड़ी मैना के रहवास क्षेत्र एवं उनके जीवनचक्र के संबंध में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के रिसर्च अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य रहवास क्षेत्र में बस्तर मैना द्वारा पसंद किए जाने वाले वृक्ष प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल, सेम्हल, तेजम आदि का रोपण कराया गया है।

राज्य पक्षी-बस्तर हिल मैना, कांगेर घाटी उद्यान

21.7 वन भैंसों का संरक्षण

छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्यजीवों में वनभैंसा प्रमुख है। वर्तमान में वनभैसें छत्तीसगढ़ के उदन्ती अभ्यारण्य तथा इन्द्रावती टायगर रिजर्व में सीमित रह गए है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली

उदंती सीतानदी प्रोजेक्ट टाइगर वन भैंसा (रेडियो कालर)

वनभैसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के वनभैसों का विशेष महत्व है।

वनभैसों को महत्व देते हुए राज्य शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वनभैंसों पर संकट बढ़ा है। प्रदेश में वनभैंसों को संरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदंती टायगर रिजर्व में एक मात्रा बची मादा वनभैंस को लगभग 26 हेक्टेयर के चेनलिंक से घिरे बाड़े में संरक्षित रखा गया है इस मादा वनभैंस के साथ नर वनभैंसे को समय समय पर बदल बदल कर रखा जाता है। मादा वनभैंसा से अभी तक 5 नर पाड़ों का जन्म हुआ है। वनभैंसों की वंश वृद्धि के लिए यह प्रक्रिया जारी है। उदन्ती अभ्यारण्य में दिनांक 12.03.2015 को एक स्वस्थ मादा वनभैंसे का जन्म हुआ जिसका नाम 'खुशी' रखा गया है। इन्हें मिलाकर उदन्ती वन्यप्राणी अभ्यारण्य में अब 08 नर तथा 02 मादा कुल 10 वनभैंसे हो गये हैं। इन्द्रावती टायगर रिजर्व में विशेष परिस्थितियों के कारण आंकलन न होने से वनभैसों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है परन्तु उक्त क्षेत्र में वनभैंसों को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है ।

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान-वन भैंसा

राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों के सहयोग से क्लोंनिंग से वंशवृद्धि का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों के द्वारा उदंती–सीतानदी में उपलब्ध मादा वनभैंस एवं नर भैंसों के ऊतकों के सैम्पल संग्रहित कर अनुसंधान संस्थान में क्लोनिंग की कार्यवाही किया गया। हैंण्ड ग्लाइडेड क्लोनिंग तकनीक (Hand Guided Cloning Technique) द्वारा अर्द्धबंदी (semi-captivity) द्वारा छत्तीसगढ़ में अकेले जंगली भैंस का मादा क्लोन दिनांक 12 दिसम्बर 2014 को उत्पन्न हुआ जिसका नामकरण दीपआशा किया गया। उक्त बछड़े का जन्म सामान्य प्रसव द्वारा हुआ तथा जन्म के समय इसका भार 32 कि.ग्रा. तथा वर्तमान में वह स्वस्थ है। इस मादा क्लोन को माह अगस्त 2018 में जंगल सफारी के वनभैंसा ब्रीडिंग सेंटर में लाकर रखा गया है।

21.8 मगरमच्छ प्रबन्धन

जांजगीर चांपा वनमंडल के अंतर्गत कोटमीसोनार ग्राम के तालाब में मगरमच्छ एवं मानव द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में मगरमच्छ संरक्षण योजना के नाम से नवीन योजना प्रारंभ

कोटमी सोनार मगरमच्छ संवर्धन केन्द्र

की गई। योजना के अंतर्गत समीप के तालाबों से मगरमच्छों को कोटमी सोनार तालाब में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में लगभग 110 मगरमच्छ इस तालाब में संरक्षित हैं। इस स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया गया है।कोटमीसोनार स्थित मगरमच्छ प्रक्षेत्रा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा की धारा –36 (i) के अंतर्गत संरक्षण आरक्षित (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित किए जाने हेतु प्रस्ताव राज्य वन्यजीव बोर्ड की 5वीं बैठक दिनांक 30/05/2012 को बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इसके पूर्व ग्रामसभा कोटमी द्वारा भी इसे संरक्षण आरक्षित (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित करने का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित किया गया है। ग्रामसभा के पारित प्रस्ताव एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में मगरमच्छ संरक्षण प्रक्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 57.037 हेक्टेयर है एवं जिसका समस्त क्षेत्र वन विभाग को हस्तांतरित एवं उसके कब्जे में है, को संरक्षण आरक्षित (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में मगरमच्छ संरक्षण हेतु राशि रू. 82.00 लाख आबंटित किया गया है।

21.9 कछुआ पार्क

कोटमी सोनार कछुआ पार्क जांजगीर चांपा

नदी तट के विकास कार्यों के फलस्वरूप आज के दिन में ज्यादातर नदी तट का सीमेंटीकरण हो चुका है, या तो वो पथरीली है। इस हेतु यहां के जो कछुए पानी में हैं पानी के बहाव में बाहर चले आते हैं तथा वापस जा नहीं पाते है, या तो स्वयं मर जाते हैं। इनके संरक्षण एवं लोगों को जागरूक करने हेतु कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण प्रक्षेत्रा में कछुआ पार्क की स्थापना डी.एम.एफ. निधि से राशि रूपये 16. 31 लाख की लागत से की गयी है जिसमें कछुओं को रेस्क्यू कर रखा जावेगा तथा एवं उन्हें उपयुक्त स्थान पर भविष्य में पुनर्वासित किया जावेगा। विभाग द्वारा अब तक 40 कछुओं को रेस्क्यू किया गया।

21.10 राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रा एवं उसके बाहर वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं विकास

राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टायगर रिजर्व, 8 अभ्यारण्य, 1 बायोस्फियर रिजर्व एवं 1 मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्रा स्थित है। इन सभी क्षेत्रा में वन्यप्राणियों की संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं रहवास क्षेत्र का विकास कार्य किया जाता है। इस हेतु योजना क्र. 3943–वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास, 6722–मगरमच्छ संरक्षण योजना, 5090– जैव विविधता संरक्षण, 6991– हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास, 7459–वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतावास का समन्वित विकास संचालित है। इन योजनाओं के तहत जलस्रोतों का विकास, तालाब निर्माण, एनीकट निर्माण, स्टॉप डेम, नलकूप खनन, चारागाह विकास, लेन्टाना उन्मूलन, बाड़ा निर्माण, रहवास क्षेत्र का विकास आदि कार्य किये जाते हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों के बाहर कई ऐसे वनक्षेत्र हैं, जो चारों ओर से आबादी से घिरे हुए हैं, परंतु इन क्षेत्राों में वन्यप्राणियों की बहुलता है ऐसे क्षेत्रों में आसपास के ग्रामीणों एवं उनके मवेशियों का भारी दबाव है, जिससे वन्यप्राणियों के प्राकृतावास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन्यप्राणियों को चारे तथा पानी के लिए ग्रामीण

मवेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

वन्यप्राणी गणना -बाघ गणना 2014

21.11 राज्य में वन्यप्राणियों का आंकलन

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के संयुक्त निर्देशन में वर्ष 2014 में राज्य में वन्य प्राणी आंकलन हेतु क्षेत्रीय आकड़े एकत्रित किये जाकर इन्हें भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून सम्प्रेषित किया गया। नवीनतम पद्धति से वन्यप्राणियों के आंकलन कार्य हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। अचानकमार टायगर रिजर्व में बाघों की उपस्थिति के विभिन्न प्रमाणों एवं कैमरा ट्रैप लिये जाने का कार्य भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को सौंपा गया था। वर्ष 2010 की गणना अनुसार राज्य में 26 बाघ थे। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा बाघों की गणना करायी गयी जिसमें राज्य में बाघों की संख्या 26 से बढ़कर 46 हो गयी है। वर्ष 2018 में संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय बाघ आंकलन का कार्य किया जाकर डाटा विश्लेषण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है, जिसका परिणाम अपेक्षित है।

21.12 अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व की अधिसूचना भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च 2005 को जारी की गई है। इसका कुल क्षेत्राफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का कुछ भाग तथा मध्यप्रदेश के डिण्डोरी एवं अनूपपुर जिले के भाग सम्मिलित है। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है। इस जीवमंडल (बायोस्फियर रिजर्व) में छत्तीसगढ़ राज्य का 2610.53 वर्ग कि.मी. सम्मिलित है, जिसमें कोर जोन 551.55 वर्ग कि.मी. है।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू. 332.87 लाख का प्रावधान किया गया है वर्तमान में भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है। अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व की महत्ता को देखते हुये यूनेस्को के मानव व जैव विविधता कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (International Co-ordinationing Council of the Programme on Man the Biosphere) की बैठक में इसे बायोस्फिर रिजर्व की विश्व श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है एवं इस हेतु प्रमाण पत्रा भी जारी किया गया है।

21.13 चिड़ियाघर एवं सफारी

21.13.1 नंदनवन जू एंड सफारी, अटल नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में वन्यप्राणियों तथा राज्य के प्राकृतिक सौन्दर्य को प्रतिबिंबित करने के साथ भारत में विश्व स्तरीय प्राकृतिक मनोरंजन तथा आधुनिक वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र के रूप में जंगल सफारी चिड़ियाघर विकसित किया गया है। जंगल सफारी को विकसित करने के लिए ग्रीन टेक्नालॉजी की श्रेष्ठतम

नंदन वन जंगल सफारी एवं चिड़िया घर अटल नगर

तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक आयु वर्ग के नागरिकों, छात्रा–छात्राओं एवं पर्यटकों के हृदय में वन एवं वन्यप्राणियों को प्रतिस्थापित करने के लिए इनके रहवास, व्यवहार एवं विचरण प्रकृति को सहज सुलभ ढंग से प्रदर्शित किया गया है, ताकि वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन श्रेष्ठतम तरीके से हो सके।

21.13.2 क्षेत्राफल एवं स्थिति

खंडवा वेटलैंड एवं जंगल सफारी द्रोण फोटो

नंदनवन जू एवं सफारी, नया रायपुर के सेक्टर 39 में रायपुर शहर से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इसकी दूरी 15 कि.मी. है। यह सफारी लगभग 791 एकड़ क्षेत्रा में विस्तारित है। इसके उत्तर पश्चिम भाग में 130 एकड़ का खण्डवा जलाशय है, जो अनेक प्रकार की जलीय प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है शेष क्षेत्रा विभिन्न प्रजातियों के हरे–भरे वृक्षों से आच्छादित है जो प्राकृतिक वन का एहसास कराते हैं। इसमें हर्बीवोर, बीयर, टायगर तथा लॉयन सफारी है तथा निर्माणाधीन जू में 33 विभिन्न प्रकार के वन्य प्रजातियों को रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त मछली घर, स्नेक पार्क, वाक–इन लैण्ड बर्ड एवियरी एवं वाक–इन वेटलैण्ड बर्ड एवियरी का भी निर्माण किया जायेगा। जंगल सफारी की योजना का निर्माण तथा विकास छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा मद से तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं मापदंडों के अनुरूप किया गया है।

जंगल सफारी का लोकार्पण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की 16 वीं राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 01 नवंबर 2016 को भव्य समारोह में किया गया। जंगल सफारी को स्थापित करने के लिये राज्य कैम्पा निधि से राशि उपलब्ध कराई गई है। अनुमोदित मास्टर प्लॉन में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 तक क्रियान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना में 10 वर्षों में 226 करोड़ रूपये का व्यय प्रावधानित है।जंगल सफारी लोगों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र बन रहा है। दिनांक 06.11.2016 से 31 दिसम्बर 2018 तक 4,54,979 पर्यटक जंगल सफारी का भ्रमण कर चुके हैं। इस क्षेत्रा में उपलब्ध पक्षियों का सर्वे कराया गया है जिसमें 57 प्रकार के पक्षियों की पहचान की गई है।

21.13.3 हर्बीवोर सफारी

हर्बीवोर सफारी-जंगल सफारी

हर्बीवोर सफारी का कुल क्षेत्राफल लगभग 76 एकड़ है, जो शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिये पूर्णतया विकसित है। इसमें 5 प्रजातियों के कुल 80 वन्यप्राणी रखे गये हैं। सफारी में रखे गये शाकाहारी वन्यप्राणियों के प्रकृति के अनुसार घास के मैदान तथा वृक्षों के हरियाली मौजूद है। पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2 तालाब तथा 5 वाटर चैनल निर्मित है। भव्य एवं आकर्षक सफारी का प्रवेश द्वार निर्मित किया गया है। सफारी के बाहरी क्षेत्र 2.6 मीटर ऊंचे चैनलिंक फेंसिंक से घिरी

है तथा पर्यटकों को सफारी में घूमने के लिये 2.5 किलोमीटर सड़क है। वन्यप्राणियों को प्राकृतावास में निहारने के लिये बैटरी चलित 14 सीटर बसें उपलब्ध है।

21.13.4 टायगर सफारी

''शिवाजी'' टाइगर जंगल सफारी

टायगर सफारी का क्षेत्राफल लगभग 50 एकड़ है। टायगर सफारी में 02 नर एवं 02 मादा बाघ रखे गये हैं। इनमें से बाघिन 'किशोरी' द्वारा 03 शावकों को दिनांक 07 जून 2017 को जन्म दिया गया है। दो नर शावकों को क्रमशः कान्हा एवं चेन्दरू नाम दिया गया है तथा मादा शावक को बिजली नाम दिया गया है। सफारी चारों ओर 5.5 मी. ऊंची चैनलिंक फेंसिंग से घिरी है। बाघ को गर्मी से राहत देने के लिये 3 छोटे पानी टंकियों का निर्माण कराया गया है। दर्शकों को सफारी के अंदर प्राकृतावास में बाघ देखने के लिये 2.3 कि.मी. सड़क है। सफारी प्रवेश तथा निकास के लिये सुरक्षित सफारी गेट है एवं पर्यटकों के सफारी के अंदर भ्रमण के लिये सुरक्षित वाहन की सुविधा है।

21.13.5 बीयर (भालू) सफारी

सफारी गेट बीयर सफारी

बीयन सफारी का क्षेत्राफल लगभग 50 एकड़ है, जिसमें 3 नर तथा 2 मादा स्लॉथ बीयर रखे गये हैं। भालू हिमालय की तराई से समुद्री सीमा तक बहुतायत में पाये जाते हैं यह सर्वभक्षी प्राणी है। इनका मुख्य भोजन जंगली फल, फूल है विशेषकर महुआ, इनकी इसी प्रकृति को ध्यान में रखकर बीयर सफारी विकसित किया गया है। यह क्षेत्रा चारों ओर से 5.50 मी. ऊंचाई तक चैनलिंग फेंसिंग से घिरा है। भालू के व्यवहार के अनुसार पहाड़ी तथा कृत्रिम गुफा का निर्माण कराया गया है। एक रात्रि विश्राम सह क्राल है, जिसमें भालू को भोजन दिया जाता है। सफारी में प्रवेश एवं निवास हेतु गेट है एवं 2.4 कि.मी. पर्यटक पथ है जिसमें वाहन में सुरक्षित बैठकर पर्यटक भालू को प्राकृतिक अवस्था में विचरण करते देख सकते हैं।

21.13.6 लॉयन (सिंह) सफारी

विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 21 मार्च 2017 को नये लॉयन सफारी का लोकार्पण किया गया। सफारी का निर्माण 20 हे. वन आच्छादित भूमि पर किया गया है। प्रारंभ में 04 सिंह सफारी में रखे गये हैं। अक्टूबर 2017 में 03 शावकों को जन्म दिया है तथा 6 जून 2018 को 02 शावकों को जन्म दिया। वर्तमान में 05 नर तथा 04 मादा सिंह हो गये हैं। लॉयन सफारी में वन्यप्राणियों की सुविधा हेतु क्राल एवं फिडिंग सेल का भी निर्माण किया गया है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के नार्मस के अनुसार गेट एवं पैडॉग क्षेत्र का निर्माण किया गया है।

21.13.7 जू-प्रक्षेत्रा

जंगल सफारी के अंतर्गत ही पृथक से जू–प्रक्षेत्र का निर्माण किया गया है। उक्त जू–प्रक्षेत्र में विभिन्न वन्यप्राणियों हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित नार्मस एवं गाईड लाईन के अनुसार 37 इनक्लोजर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 10 इनक्लोजर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

चित्रा बाघ जंगल सफारी जू-क्षेत्र

- **रॉयल बंगाल टायगर इन्क्लोजर**

  रॉयल बंगाल टायगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। जंगल सफारी अंतर्गत जू क्षेत्रा में 2430 वर्ग मी. क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है जिसमें लगभग 1945 वर्ग मी. क्षेत्रफल पैडॉक क्षेत्र प्राकृतिक छायादार वृक्षों से आच्छादित है, दर्शकदीर्घा को प्राकृतिक रूप दिया गया है। दर्शकदीर्घा तथा पैडाक क्षेत्र के बीच में गहरा सूखा गढ्ढा (Dry moat) बनाया गया है। ताकि बंगाल टायगर अपने बाड़े को न लांघ सके। पूरे इन्क्लोजर को चैनलिंक फेंसिंग से घेरा गया है। वर्तमान में 01 नर तथा 01 मादा टायगर को रखा गया है।

बाघ इन्क्लोजर जू-क्षेत्र जंगल सफारी

- **लायन इन्क्लोजरः-** लायन इन्क्लोजर का निर्माण सूखे मोट (Dry Moat) के साथ 2550 वर्ग. मी. क्षेत्र में किया गया है जिसका पैडॉक क्षेत्र 2511 वर्ग मी. है। इन्क्लोजर को एक गुफा के रूप में प्राकृतिक पत्थर के साथ खूबसूरती से डिजाईन किया गया है तथा छायादार वृक्षों से आच्छादित है एवं एक प्राकृतिक झरना है। इन्क्लोजर को चैनलिंक फेंसिंग से घेरा किया गया है। वर्तमान में 02 नर लायन को रखा गया है।

सफेद बाघ इन्क्लोजर जू-क्षेत्र जंगल सफारी

- **लेपर्ड इन्क्लोजरः-**नंदनवन जंगल सफारी में निर्मित इस इन्क्लोजर को आकर्षक बनाया गया है, दर्शक और तेंदुए के बीच पारदर्शी टफंड ग्लास है। इस इन्क्लोजर का कुल क्षेत्रफल 2070 वर्ग मी. है, पैडॉक क्षेत्र 1670 वर्ग मी. है। इसमें प्राकृतिक छोटे पत्थरों से गुफा को डिजाईन किया गया है, इन्क्लोजर को चैनलिंक फेंसिंग से घेरा किया गया है। वर्तमान में 02 नर लेपर्ड को रखा गया है।

सफेद बाघ ''जया'' - जू-क्षेत्र जंगल सफारी

- **सफेद बाघ इन्क्लोजरः-**इस इन्क्लोजर का कुल क्षेत्रफल 2590 वर्ग मी. है एवं 1999 वर्ग मी. पैडॉक क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक छायादार वृक्ष, घास तथा झरना है। इन्क्लोजर को प्राकृतिक गुफा की तरह डिजाईन किया गया है, दर्शक एवं सफेद शेर के बीच चौड़ा गहरा (Dry Moat) है। इन्क्लोजर को चैंनलिंक फेंसिंग से घेरा गया है। 01 नर, 01 मादा सफेद बाघ कानन पेंडारी चिड़ियाघर, बिलासपुर से प्राप्त कर रखा गया है।

- **कछुआ इन्क्लोजरः**-नंदनवन जंगल सफारी में कछुए के लिए 70 वर्ग. मी. क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। इसमें 57.4 वर्ग मी. का पैडॉक क्षेत्र है, पानी एवं रेतीले क्षेत्र और होल्डिंग पैन एवं एक स्टैंडऑफ बेरियर है। दर्शकों को कछुआ देखने हेतु छायादार गेलरी का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 11 कछुओं को रखा गया है।

दरियाई घोड़ा ''हिप्पो'' नंदन वन चिड़िया घर जंगल सफारी

- **दरियाई घोड़ा (Hippopotamus) इन्क्लोजरः**-3200 वर्ग. मी. क्षेत्र में में इसका निर्माण किया गया है। इसमें 02 छोटे तालाब का निर्माण किया गया है। इन्क्लोजर को कांक्रीट की उंची दीवाल से घेरा गया है। 01 नर, 01 मादा दरियाई घोड़ा नंदनकानन भुवनेश्वर (ओडिसा) से प्राप्त कर रखा गया है।

घड़ियाल-नंदन वन चिड़िया घर जंगल सफारी

- **घड़ियाल इन्क्लोजरः**- 800 वर्ग. मी. क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। इसमें 01 तालाब तथा 3 पेड़ों के बीच तथा चारो ओर चैंनलिंक फेंसिंग के किनारे बासकिंग पैड का निर्माण किया गया है। पीछे होल्डिंग पैन बनाया गया है तथा 01 नर, 01 मादा कानन पेंडारी बिलासपुर से प्राप्त कर रखा गया है।
- **उदबिलाव (Otter) इन्क्लोजरः**-1050 वर्ग. मी. क्षेत्र में में इसका निर्माण किया गया है। इसमें 01 छोटे तालाब का निर्माण किया गया है तथा सामने टफंड ग्लास जिसमें दर्शक ऑटर को पानी में अठखेलिया करते देख सकता है। इन्क्लोजर को ईंट की पक्की दीवाल से घेरा गया है।

क्रोकोडायल पार्क जंगल सफारी

- **बंगाल मॉनीटर लिजार्ड (गोह) इन्क्लोजरः**-175 वर्ग. मी. क्षेत्र में में इसका निर्माण किया गया है। सीमेंट कांक्रीट के इन्क्लोजर को प्राकृतिक गुफा की तरह बनाया गया है। सामने टफंड ग्लास लगाया है।
- **क्रोकोडायल पार्कः**- नंदनवन जंगल सफारी के जू क्षेत्र में 1 हे. क्षेत्र में कृत्रिम जलाशय निर्मित कर उसे क्रोकोडायल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। क्रोकोडायल पार्क में वर्तमान में 08 मगरमच्छ रखे गये हैं जो निरंतर पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं।

ऑनलाईन टिकट बुकिंग सुविधा

दिनांक 14 अक्टूबर 2017 को जंगल सफारी में ऑनलाईन टिकट बुकिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। वेबसाईट www.junglesafari.cg.nic.in पर आम जनता के लिये ऑनलाईन टिकट बुकिंग सुविधा

उपलब्ध है। दिनांक 06.11.2016 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल 4,54,979 पर्यटकों द्वारा जंगल सफारी का भ्रमण किया गया, जिनमें 210 विदेशी पर्यटक, 58,711 स्कूली बच्चे, 1,37,873 हमर छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि सम्मिलित है। इन पर्यटकों से रूपये 777.89 लाख प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। जंगल सफारी में पर्यटकों के भ्रमण के लिए 14 नॉन ए.सी. वाहन, 12 ए.सी. वाहन तथा 03 बैटरी चलित बसें उपलब्ध करायी गयी है।

21.14 चिड़ियाघर

राज्य में दो चिड़याघर नंदनवन जू, रायपुर एवं कानन पेण्डारी जू, बिलासपुर में स्थित है। दोनों चिड़ियाघर में वन्यप्राणियों के रहवास हेतु बेहतर स्थल उपलब्ध है। आमजनों को वन्यप्राणियों को जानने उन्हें करीब से समझने हेतु ये दोनों चिड़ियाघर चल रहे हैं। कानन पेण्डारी चिड़ियाघर बिलासपुर में 66 प्रजातियों के कुल 625 वन्यप्राणियों को रखा गया है, जिसमें 33 स्तनधारी प्रजातियों के 386 वन्यप्राणी, 12 सरीसृप प्रजातियों के 76 वन्यप्राणी तथा 20 पक्षी प्रजातियों के 163 पक्षियों को चिड़ियाघर में पर्यटकों के अवलोकन हेतु रखा गया है। इसी प्रकार नंदनवन चिड़ियाघर में प्रमुख रूप से भालू, तेन्दुआ, हिरण, कोटरी, सांभर, मगरमच्छ, अजगर एवं अन्य वन्यजीव प्रदर्शन हेतु रखे गये हैं। पर्यटक यहां निर्धारित शुल्क प्रवेश द्वार पर जमा कर निर्धारित समयावधि में जू का भ्रमण कर सकते हैं। जू में बच्चों के मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के मनोरंजन स्थल, झूला आदि का निर्माण किया गया है उक्त दोनों चिड़ियाघर को घायल वन्यप्राणियों के लिए स्थायी रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। विभिन्न कारणों से वनों एवं आसपास दुर्घटना से घायल हुए वन्यप्राणियों को यहां लाया जाकर बेहतर उपचार एवं रखरखाव किया जाता है।

कानन पेंडारी चिड़िया घर-बिलासपुर

21.14.1 चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लेने की व्यवस्था

चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लेने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर का आदेश क्रमांक/एफ–8–6/2013/10–2 दिनांक 24.09.2013 द्वारा राज्य शासन द्वारा सामान्य जनो में वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने उनके प्रति स्नेह एवं सह अस्त्तिव की भावना विकसित करने तथा जनसहभागिता के साथ वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के चिड़ियाघरो के जानवरो को गोद लिए जाने के संबंध में योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना से सामान्य जनता में उनके द्वारा गोद लिये गये वन्यप्राणियों को करीब से समझने का अवसर प्राप्त होगा। किसी भी आवेदक के द्वारा चयनित वन्यप्राणियों को गोद लेने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित चिड़ियाघरों द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी। आवेदक द्वारा जमा की गयी निर्धारित राशि का उपयोग आवेदक द्वारा चयनित वन्यप्राणियों के भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उनका समुचित रखरखाव के लिये किया जावेगा। उपरोक्त योजना के तहत कानन पेण्डारी चिड़ियाघर बिलासपुर एवं नंदनवन चिड़ियाघर रायपुर में व्यक्तियों के द्वारा

कानन पेंडारी चिड़िया घर - एनीमल एडप्शन

विभिन्न जानवरों को गोद लिया जा रहा है।

21.15 वन्यजीवों के लिए राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास केन्द्र

जंगल से आबादी क्षेत्रों या गांवों की सीमा के आसपास भटक कर आये हुए वन्यप्राणियों का रेस्क्यू किया जाकर उसको बचाया जाता है। इसके लिए राज्य में दो स्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाये गये हैं जो कानन पेण्डारी जू, बिलासपुर और नंदनवन जू, रायपुर में स्थित है। रेस्क्यू किये गये वन्यजीवों को उचित चिकित्सा एवं देखभाल हेतु रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है तथा स्वस्थ होने के पश्चात इन्हें पुनः उनके रहवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। रेस्क्यू कार्य प्रशिक्षित अमला द्वारा किया जाता है।

कानन पेंडारी चिड़िया घर -चिकित्सा पद्धति

21.16 मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व दूर करने हेतु जनहितकारी पहल

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 7–32/2003/10–2, दिनांक 12.06.2015 द्वारा शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगल हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा, सियार बंदर एवं मधुमक्खी हिंसक वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर मुआवजा राशि में वृद्धि की गई है। विगत वर्षों की तुलनात्मक मुआवजा राशि की दरें निम्नानुसार हैः–

विवरण	अगस्त 2014 से जून 2015 तक	जून 2015 के पश्चात्
जनहानि	3,00,000	4,00,000
स्थायी रूप से अपंग होने पर	1,50,000	2,00,000
जनघायल	40,000 अधिकतम	59,100 अधिकतम
पशुहानि	20,000 अधिकतम	30,000 अधिकतम

जंगली हाथियों के अलावा किसानों की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाने पर मुआवजा भुगतान हेतु जंगली सुअरों, नील गायों एवं बनैला गायों को भी नवम्बर 2004 से सम्मिलित किया गया है।

वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने पर तथा ग्रामीणों की घरों को तोड़ने/क्षति पहुंचाने पर सहायता राशि की भुगतान के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7–32/2003/10–2 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा (राजस्व पुस्तक परिपत्र में) पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया गया :–

21.16.1 फसल हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर आर्थिक सहायता अनुदान दिया जावेगा।

(1) 2 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को फसल हानि होने पर असिंचित भूमि के लिए 6,800/– प्रति हे. एवं सिंचित भूमि के लिए 13,500/– रूपये प्रति हे. दिया जावेगा। प्रति हे.

न्यूनतम सहायता 1,000/– रूपये कम नही होगी। आर्थिक सहायता अनुदान बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) 2 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को बारहमासी फसल हानि होने पर 18,000/– रूपये प्रति हे., न्यूनतम सहायता 2,000/– रूपये से कम नहीं होगी दी जावेगी।

21.16.2 मकान क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

(छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र पृ.क्रमांक एफ 7–32/2003/10–2, दिनांक 28.06.2016)

(1) पूर्ण नष्ट पक्का/कच्चा मकानः–

(अ) पक्का/कच्चा मकानः- पूर्ण मकान हानि हो जाने पर सामान्य क्षेत्रों में रूपये 95,100/– (रूपये पंचानबे हजार एक सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

क्रमांक	क्षतिपूर्ति का प्रतिशत	पक्का/कच्चा मकान क्षतिपूर्ति
1	25 प्रतिशत	23,775/– या 23,800/–
2	50 प्रतिशत	47,550/– या 47,600/–
3	75 प्रतिशत	71,325/– या 71,400/–
4	100 प्रतिशत	95,100/–

(ब) एकीकृत कार्य योजना के जिलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पक्का / कच्चा पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 1,01,900/– (रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

क्रमांक	क्षतिपूर्ति का प्रतिशत	पक्का/कच्चा मकान क्षतिपूर्ति
1	25 प्रतिशत	25,475/– या 25,500/–
2	50 प्रतिशत	50,950/– या 51,000/–
3	75 प्रतिशत	76,625/– या 76,400/–
4	100 प्रतिशत	1,01,900/–

(2) साधारण क्षति

- पक्का मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 5,200/–(रूपये पांच हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।
- कच्चा मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 3,200/– (रूपये तीन हजार दो सौ)प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।

(3) झोपड़ी के क्षतिग्रस्त

प्राकृतिक प्रकोपों से अस्थाई आवास, मिट्टी, छप्पर, गीली मिट्टी से बना या प्लास्टिक सीट से बनी झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति झोपड़ी अनुदान सहायत देय होगी उक्त झोपड़ी चाहे स्वयं की आवास भूमि या शासकीय भूमि पर बना हो, सभी को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(4) पशुगृह (जो आवास से संलग्न हो)

प्राकृतिक प्रकोपों से पशुगृह जो आवास के साथ संलग्न है, क्षतिग्रस्त होता है, तो रूपये 1,500/– (एक हजार पांच सौ) प्रति शेड अनुदान सहायता प्रदान की जाय।

21.16.3 हाथी प्रभावित क्षेत्रा हेतु

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 141/2801/2018/10–2 दिनांक 10.01.2019 के अनुसार जंगली हाथियों द्वारा फसल हानि करने पर देय क्षतिपूर्ति मुआवजा (अंतर की राशि) रू. 9000/– प्रति एकड़ की दर से आर.बी.सी. (राजस्व पुस्तक परिपत्र में) के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान करने के पश्चात् प्रति एकड़ अंतर की राशि का भुगतान विभागीय मद से करने हेतु राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।

योजना (3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति मद में वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि/पशुहानि/फसल हानि/संपत्ति हानियों के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति के रूप में निम्न में दर्शाये योजनानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू. 2300.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2017 तक निम्न व्यय किया गया है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018–19 में प्रावधान	वर्ष 2018–19 व्यय (दिसम्बर 2018 तक)
1	(3896)–वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति	2300.00	837.77
2	(3730)– प्रोजेक्ट टायगर	6.42	0.00
3	(6991)–हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	26.00	6.93
	योग	**233242**	**844.70**

21.17 वन्यप्राणियों द्वारा वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में (माह दिसम्बर 2018 तक) में किये गये जनहानि/जनघायल/पशुहानि/फसल हानि/मकान/संपत्ति हानि का विवरण तथा राज्य शासन द्वारा किये गये भुगतान का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन्यप्राणियों द्वारा की गई जन धन क्षति की जानकारी

वृत्त	जनहानि		जनघायल		पशु हानि		फसल हानि		मकान हानि	
	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि
बिलासपुर	30	12000000	94	2220914	268	2817600	9414	63007339	668	22944721
सरगुजा	59	23600000	238	3155269	464	4137609	15809	55747544	2048	36865152
रायपुर	14	5225000	119	1378093	184	1738700	3241	10640406	43	627360
दुर्ग	2	800000	62	576844	89	709800	65	374046	29	92250
कांकेर	3	1200000	23	420813	148	1301700	8	33180	3	9720
जगदलपुर	5	2000000	36	914146	53	549500	0	0	0	0
योग	**113**	**44825000**	**572**	**8666079**	**1206**	**11254909**	**28537**	**129802515**	**2791**	**60539203**

वित्तीय वर्ष 2018-19 (31 दिसंबर की स्थिति) में वन्यप्राणियों द्वारा की गई जन धन की क्षतिपूर्ति

	जनहानि		जनघायल		पशु हानि		फसल हानि		मकान हानि	
वृत्त	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि
बिलासपुर	28	10400000	101	2440082	79	759050	4067	25318055	533	7963290
सरगुजा	21	8175000	111	1579733	227	1434758	10773	41065575	1696	28158294
रायपुर	7	2425000	51	614053	48	312000	1264	5050787	11	114400
दुर्ग	2	600000	58	449130	0	0	76	1641907	118	311720
कांकेर	1	400000	3	1200000	74	592700	11	17286	0	0
जगदलपुर	0	0	20	371072	9	107000	0	0	0	0
योग	**59**	**22000000**	**344**	**6654070**	**437**	**3205508**	**16191**	**73093610**	**2358**	**36547704**

शासन के आदेश दिनांक 24.04.2015 से लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत ट्रेजरी से बिल पारित होने के पश्चात जनहानि/जनघायल के प्रकरण में 10 दिन के भीतर तथा फसल/संपत्ति, पशु हानि होने पर 15 दिन के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

21.18 वेटलैण्ड

छत्तीसगढ़ राज्य वनों से अच्छादित प्रदेश है एवं यहां भौगोलिक क्षेत्र का 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है। राज्य में जलस्त्रोत काफी अधिक मात्रा में है। जलस्रोत (Water Bodies) के मैनेजमेंट हेतु भारत शासन द्वारा आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010 बनाया गया है। इन नियमों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आर्द्र भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन) हेतु मुख्य वन संरक्षक (इको–टूरिज्म तथा जैवविविधता संरक्षण) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मीनी माता बाघ वेट लैंड -कोरबा/कटघोरा

वैटलैण्ड के चयन एवं प्रबंधन पर चर्चा हेतु माह सितंबर 2016 में एक कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें योजना आयोग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग तथा अशासकीय संस्था के व्यक्ति उपस्थित थे इस कार्यशाला के माध्यम से 10 वैटलैण्ड को शार्ट लिस्ट कर 05 वैटलैण्ड जो वन क्षेत्र से बाहर है का चयन कर संक्षिप्त दस्तावेज बनाकर अधिसूचना का प्रकाशन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया, जिसे राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है। वनक्षेत्र में स्थित वैटलैण्ड वन विभाग द्वारा संरक्षित किये जाते हैं, अतः 5 वैटलैण्ड जो वन क्षेत्र से बाहर है उनका चयन नोटिफिकेशन हेतु किया गया है। वैटलैण्ड के संक्षिप्त अभिलेखीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं इनका Ground truthing भी किया गया है।

21.19 वन अपराधों की सूचना देने से संबंधित पुरस्कारों में वृद्धि

वन्यप्राणियों से संबंधित अपराधों को पकड़वाने में सहयोग करने के लिये सूचना प्रदाय कर्ताओं को दी जाने

वाली पुरस्कार की राशि अत्यंत कम होने से यह आवश्यक हो गया था कि संबंधित पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाये। राज्य शासन द्वारा विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुये आदेश क्रमांक एफ 8–24/2007/10–2 दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 द्वारा पुरस्कार की राशि में निम्नानुसार वृद्धि की गयी है:–

क्र	अवैध शिकार संबंधित विषय जिसके लिये पुरस्कार देय है	पूर्व में प्रावधानित पुरस्कार की अधिकतम राशि	पुरस्कार की पुनरीक्षित अधिकतम राशि			अभियुक्ति
			प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) स्तर पर	वन संरक्षक स्तर पर	वनमंडल अधिकारी स्तर पर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बाघ, जंगली हाथी, वनभैंसा, गौर, तेन्दुआ, भालू, जिसमें अपराधी की सूचना दी गई हो।	500/–	10000/– तक पूर्ण अधिकार	7500/–	5000/–	वन संरक्षक तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रकरण का विवरण एवं प्रदाय पुरस्कार की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित की जाएगी।
2	बाघ, जंगली हाथी, वनभैंसा, गौर, तेन्दुआ, भालू, जिसमें अपराधी का पता नहीं किया गया।	100	–	5000/–	2000/–	अपराधी का पता न लगने की स्थिति में केवल अपराध हुआ है, यह सिद्ध होने पर, पुरस्कार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर की पूर्व अनुमति प्राप्त कर देय होगा।
3	अन्य वन्य पशु, मगर, घड़ियाल, बस्तर पहाड़ी मैना तथा मोर आदि जिनमें अपराधी की सूचना दी गयी हो।	200	–	5000/–	2000/–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना दी जाएगी।
4	अन्य वन्य पशु, मगर, घड़ियाल, बस्तर पहाड़ी मैना तथा मोर आदि जिनमें अपराधी की सूचना नहीं दी गयी।	25	–	2000/–	1000/–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना दी जाएगी।
5	अन्य पक्षी जिसमें अपराधी की सूचना दी गयी।	05	–	1000/–	500/–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना दी जाएगी।

21.20 वन्यप्राणियों के आवागमन व अनुवांशिकी उन्नयन हेतु कॉरिडोर निर्माण व प्रबंधन

राज्य शासन द्वारा राज्य में 3 टाईगर रिजर्व, 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं 8 अभ्यारण्यों तथा 1 हाथी रिजर्व की स्थापना की गयी है। इसके साथ साथ वन्यप्राणियों के अनुवांशिक उन्नयन व अनुवांशिक उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिये एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र तक उनके आने जाने हेतु एवं एक दूसरे से मिलते रहने की प्रक्रिया निर्बाध व निरंतर रखने हेतु कॉरिडोर की आवश्यकता को देखते हुये विभाग द्वारा बाघों के लिये कान्हा–भोरमदेव–अचानकमार तथा हाथियों के लिये तमोर पिंगला–सेमरसोत–बादलखोल के बीच के वन क्षेत्रों को कॉरिडोर के रुप में चिन्हित किया जाकर कॉरिडोर प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिये कान्हा टायगर रिजर्व एवं भोरमदेव अभ्यारण्य तथा अचानकमार टाईगर रिजर्व के बीच आने वाले संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें वन्य जीवों

के संरक्षण के लिये चलायी जा रही योजना (3943) वन्य जीवों का संरक्षण व विकास मद सेस्वीकृत की जाकर दस पेट्रोलिंग कैंम्प स्थापित किये गये हैं इसके साथ ही वन्यप्राणियों को पीने के पानी उपलब्ध कराने हेतु जलस्त्रोतों का निर्माण कराया गया है।

हाथियों के लिये चिन्हित तैमोर पिंगला–सेमरसोत–बादलखोल कॉरिडोर में बॉस सहित हाथियों के लिये उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण तथा वहुवर्षीय पेय जल स्त्रोतों के विकास हेतु केंद्र शासन की योजना प्रोजेक्ट एलीफेंट एवं राज्य शासन की योजना हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास मद से राशि प्रदान की जाकर वृक्षारोपण व तालाब निर्माण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं।

21.21 प्रवासी पक्षियों और उनके आवासीय स्थलों का संरक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई प्रवासी पक्षी विभिन्न मौसमों में आते हैं जिनका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रवासी पक्षियों के स्टेटस एवं उनके रहवास स्थलों के सर्वे किया जाएगा इसमें प्रवासी पक्षियों के आवागमन, प्रवास पैटर्न, प्रवास क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय विशिष्टताओं, रहवास स्थलों के प्रबंध का तकनीकी डाटाबेस तैयार करने के कार्य किए जाएंगे। यह राज्य की एवियन–जैवविविधता के संरक्षण, संवर्धन तथा नैसर्गिक पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगा। छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वेक्षण के उद्देश्य से 6 प्रक्षेत्रों बस्तर, नगरी, रायपुर, राजनांदगांव रायगढ़ एवं सरगुजा में विभक्त किया गया है। अभी तक किए गए प्रवासी पक्षियों एवं उनके रहवास स्थलों के सर्वेक्षण से 21 ऐसे रहवास स्थलों, जिनमें आर्द्र भूमि एवं वृक्षयुक्त रहवास स्थल सम्मिलित हैं, की पहचान की गई है। पक्षी प्रजातियों में 15 प्रजातियां प्रवासी पायी गई हैं।

ग्राम लचकेरा, फिंगेश्वर परिक्षेत्र, गरियाबंद

रायपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर गिधवा डैम एवं गिधवा तालाब जिनका क्षेत्रफल क्रमशः लगभग 200 एकड़ एवं 55 एकड़ है, में बहुतायत में प्रवासी पक्षी एवं स्थानीय पक्षियों की उपस्थिति देखी गयी है। यह दोनों आर्द्र भूमि एक दूसरे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है एवं इनमें पक्षियों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। पक्षियों के लिए यह एक आदर्श रहवास स्थल बन सकता है।

21.22 राज्य वन्यजीव बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की दिनांक 14.11.2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दसवीं बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित की गई। बोर्ड में नवम बैठक में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही को सदस्य सचिव के द्वारा अवगत कराया गया। दसवीं बैठक में मुख्य रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

- गोमर्डा अभ्यारण्य के ग्राम कनकबीरा में पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति।
- गोमर्डा अभ्यारण्य में बी.एस.एन.एल. द्वारा आप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के कार्य की स्वीकृति।
- बलौदाबाजार वनमण्डल में बाघमरा गोल्ड स्टॉक हेतु पूर्वेक्षण की स्वीकृति ।
- बारनवापारा अभ्यारण्य के विस्तारीकरण पर पुनः जनप्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत पुनरीक्षित प्रस्ताव

तैयार किया जाये।

- बोदई दलदली बाक्साईट माईन उत्पादन क्षमता में वृद्धि बाबत् ।
- भोरमदेव अभ्यारण्य को टायगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव।
- बंदरों के बंध्याकरण कार्यक्रम प्रारंभ करने बाबत् ।
- एस.एफ.आर.टी.आई के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेंटर) की स्थापना ।
- छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी के शुभंकर का अनुमोदन ।
- भोरमदेव अभ्यारण्य के राजस्व क्षेत्र में मार्ग उन्नयनीकरण चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति ।

21.23 वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण

वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्यप्राणी कभी–कभी गांवों के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण भी जंगलों में जाते हैं, जहां मानव–वन्यप्राणी द्वंद्व की घटनायें सामने आती है। इसी द्वंद्व का प्रबंधन करने हेतु विभाग द्वारा ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र का विकास एवं संरक्षण एवं वन्यप्राणियों से हुई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति किये जाने के प्रावधान हैं। जन धन हानि के रोकथाम हेतु प्रत्येक प्रभावित वनमंडल में हाथियों को ग्रामीण क्षेत्र से भगाने हेतु हुल्ला पार्टी का गठन किया गया है, जिन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है।

जंगल सफारी गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम

गेम गार्ड प्रशिक्षण

21.24 वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह (02-08 अक्टूबर)

राज्य में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। यह कार्यक्रम राजधानी के साथ–साथ राज्य के समस्त अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यान, टायगर रिजर्व एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में मनाया जाता है। आमजन में वन्यप्राणियों के सरंक्षण के प्रति जागरूकता एवं स्नेह का प्रचार हेतु सायकल रैली का आयोजन किया जाता है। इस रैली में आमजनता, विद्यार्थियों तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया जाता है। वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान स्कूली छात्रा–छात्राओं के लिए निबंध, चित्रकला एवं वादविवाद प्रतियोगिताऐं आयोजित की गयी। इस दौरान ऑनलाईन फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। प्रति दिन शाम को मरीन ड्राईव तेलीबांधा रायपुर में वन्यप्राणियों से संबंधित चलनचित्र का प्रदर्शन किया जाता है तथा छायाचित्रों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी। शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, एल.ई.डी स्क्रीन के माध्यम से आकर्षक प्रचार–प्रसार किया गया। वाहनों में वन्यप्राणियों के स्टीकर लगाये गये। दूरदर्शन, एफ.एम. रेडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वनमंत्रीजी के संदेश का प्रसारण कराया गया। राजकीय

पशु एवं राजकीय पक्षी के पोस्टर का शैक्षणिक संस्थाओं में वितरण किया गया। नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाकर जन–जागरूकता के प्रयास किये गये। वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन समारोह एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया।

21.25 वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण योजनाओं हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय

वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित आयोजनेत्तर एवं आयोजना मदों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दो वर्षो में प्रावधानित, आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख में)

क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2017–18			2018–19 (व्यय माह दिसंबर 2018)		
		प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्रावधान	आबंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आयोजनेत्तर –							
1.	(3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनो सहित संरक्षण)	81.00	81.00	80.96	0.00	0.00	0.00
2.	(8912) वन्यप्राणी बचाव पुर्नवास बचाव एवं हेल्थकेयर प्रबंधन	127.50	127.50	127.25	127.50	19.50	4.39
3.	(3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति	2000.00	2000.00	1859.24	2300.0	2070.00	958.46
4.	(6885) प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	429.80	427.05	358.28	659.70	611.63	272.43
5.	(2899) राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रा	1531.27	1531.27	1256.54	1183.69	1140.19	729.38
6.	(2900) अभयारण्य क्षेत्रा	3251.77	3245.14	2632.64	2930.99	2830.75	2322.50
7.	(8644) वन्यप्राणी वन वत्तों की स्थापना	433.35	433.35	315.11	374.06	371.26	252.94
8.	(4349) सड़कों का निर्माण तथा सड़कें एवं पुलों की दुरस्ती	130.00	130.00	129.90	135.00	71.00	35.93
9.	(6218) भवनों की मरम्मत	136.50	136.50	136.13	136.50	67.00	31.33
	योग–	**8121.19**	**8111.81**	**6896.05**	**7846.28**	**7181.33**	**4607.36**
आयोजना –							
1.	(2965) बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	300.00	300.00	296.86	300.00	300.00	175.47
2.	(6724) बांस वनों का पुनरूद्वार	110.00	110.00	109.99	110.00	110.00	31.37
3.	(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	880.00	880.00	873.45	880.00	561.21	324.47
4.	(6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	1460.09	1458.74	1461.68	1697.65	1696.58	1064.68
5.	(6722) मगरमच्छ संरक्षण योजना	82.00	82.00	76.79	82.00	82.00	25.65
6.	(6723) संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण	60.00	60.00	57.42	60.00	0.00	0.00
7.	(6793) छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड स्थापना	55.00	55.00	55.00	55.80	55.80	22.32
8.	6699–वन विकास उपकर निधि से व्यय	520.00	520.00	507.93	500.00	370.26	0.00
9.	(6993) नैसर्गिक पर्यटन का विकास योजना	165.00	165.00	152.45	170.00	160.00	124.08
10.	(5502) प्रोजेक्ट एलीफेंट	200.00	80.00	80.00	215.10	0.00	0.00
11.	(6539) राष्ट्रीय उद्यान /अभयारण्य का विकास	1000.00	767.58	761.80	1212.67	590.02	17.19
12.	(6886) वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	240.00	240.00	239.83	240.00	237.37	91.88
13.	(5090) जैव विविधता संरक्षण	930.00	930.00	912.54	950.00	808.55	205.90
14.	(6991) हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास योजना	1247.40	1247.40	1227.06	1250.10	1209.47	440.18
15.	(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	480.00	480.00	473.51	500.00	472.24	188.40
16.	(3730) प्रोजेक्ट टायगर	2340.00	1238.51	1222.86	2624.00	894.60	193.20
17.	(6771) अचानकमार अमरकंटक बायोस्फिर रिजर्व का विकास	253.30	235.27	148.17	332.87	0.00	0.00
18	(4342) सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य	300.00	300.00	297.91	300.00	292.94	92.51
19	(7887) हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन	0.00	0.00	0.00	545.50	246.12	138.21
	योग–	**10622.79**	**9149.50**	**8955.25**	**12025.69**	**8087.16**	**3135.51**
	महायोग –	**18743.98**	**17261.31**	**15851.30**	**19963.13**	**15268.49**	**7742.87**

भाग – तीन

22. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

22.1 निगम का गठन एवं उद्देश्य

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–5–2/ वन/2001/ दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का कम्पनीज़ एक्ट 1956 के तहत् पंजीयन दिनांक 22.05.2001 को किया गया।

गठन के समय से निगम मुख्यतः वनक्षेत्रों को वन विभाग से लीज़ पर लेकर औद्यौगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान प्रजातियों जैसे सागौन, नीलगिरी आदि का रोपण करता रहा है। इसके लिए निश्चित अवधि में विरलन एवं पूर्ण विदोहन कर व्यापारिक प्रजाति के वृक्षों का नीलाम द्वारा विक्रय किया जाता है। प्राप्त काष्ठ की बाजार की आवश्यकताओं की दृष्टि से लॉगिंग की जाती है ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इसके साथ ही प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन निगम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खदानी एवं औद्यौगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण भी निगम द्वारा किया गया है। निगम के कार्यो से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार में सहायता मिली हैं।

22.2 निगम की संरचना, सेटअप एवं प्रबंधन

- निगम के कार्य का संचालन शासन द्वारा गठित 11 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। श्री मोहम्मद अकबर निगम के अध्यक्ष एवं श्री के.सी. यादव, भा.व.से. निगम के प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ हैं।
- निगम के 2 क्षेत्रीय एवं 9 मंडल कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय वन सेवा के वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ किये जाते हैं। परियोजना/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल का प्रबंधन उप वन संरक्षक/प्रबंधक (वानिकी) स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में कुल स्वीकृत 734 पदों के विरूद्ध कुल 377 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं 110 नियमित चौकीदार सांख्येत्तर पद पर कार्यरत हैं।

22.3 निगम की अंशपूंजी

- **अधिकृत अंशपूंजी :-** निगम की अधिकृत अंशपूंजी 30 करोड़ है।
- **प्रदत्त अंशपूंजी :-** निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 26.655 करोड़ रूपये है।

निवेशक	अंशपूंजी
छत्तीसगढ़ शासन	रू. 25.731 करोड़
भारत सरकार	रू. 0.924 करोड़
योग :	**रू. 26.655 करोड़**

22.4 निगम की क्षेत्रीय ईकाईयां

निगम को वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन क्षेत्र हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में कुल 2,17,391 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। निगम के 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं परियोजना मंडल/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल के रूप में 9 ईकाईयॉ निम्नानुसार कार्यरत हैः–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना मण्डल का नाम	गठन दिनांक	वन क्षेत्रा फल (हे.)
1.	रायपुर	01. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	30.10.1975	35,201
		02. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	17.12.1976	49,910
		03. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	17.12.1976	29,040
		04. कवर्धा परियोजना मण्डल, कबीरधाम	11.09.2003	25,147
		05. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, जगदलपुर	29.06.2016	14,349
2.	बिलासपुर	06. कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	30.10.1975	30,623
		07. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	11.09.2003	33,121
		08. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, कोरबा	23.08.2001	औद्योगिक/राजस्व क्षेत्र में रोपण
		09. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, रायगढ़	23.12.2017	औद्योगिक/राजस्व क्षेत्र में रोपण
		योग :		**2,17,391**

22.5 गतिविधियॉ

22.5.1 सागौन, बांस एवं नीलगिरी का व्यावसायिक रोपण

कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रजातियों का रोपण कार्य निगम की स्वयं की राशि से किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वनक्षेत्र में वर्ष 2001 से 2018 तक कुल 70948 हेक्टेयर में सागौन, बांस, एवं नीलगिरी के रोपण किये गये । वर्ष 2014 से 2018 तक किये गये वृक्षारोपण निम्नानुसार हैः–

रोपण वर्ष	प्रजाति						योग	
	सागौन		नीलगिरी		बांस		क्षेत्रफल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में.)
	क्षेत्रफल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में.)	क्षेत्रफल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (हे.)	पौध संख्या (लाख में.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	4887	80.99	120	1.87	.	.	5007	82.86
2015	3847	62.20	139	2.70	.	.	3986	64.90
2016	1538	25.79	225	4.33	.	.	1763	30.12
2017	2206	45.10	194	2.92	.	.	2645	48.02
2018	3481	58.88	51	0.98	63	0.30	3595	60.16

वर्ष 2019 में 2000 हेक्ट में 50 लाख सागौन एवं नीलगिरी पौधा रोपण प्रस्तावित है।

सागौन रोपण

नीलगिरी रोपण

22.5.2 औद्योगिक क्षेत्रों में रोपण

वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण विकास एवं संतुलन के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों जैसे–भिलाई इस्पात संयंत्रा, एन.एम.डी.सी बस्तर (नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन)., एम.सी.एल.(महानदी कोलफील्ड्स लि.), एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी (एन.टी.पी.सी. एवं सेल का संयुक्त उपक्रम), एस.ई.सी.एल. (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.) बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) कोरबा एवं लारा के खदानी एवं गैर खदानी क्षेत्राो में मिश्रित प्रजातियों का सघन रोपण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल्को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल आदि संस्थानों के क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य किया जाता है। यह योजना विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से ''न लाभ न हानि'' के सिद्धांत पर अग्रिम राशि प्राप्त कर डिपाजिट कार्य के रूप में संचालित की जाती है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में निगम द्वारा 1990 से अब तक कुल 259.00 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2014 से 2018 तक वर्षवार रोपित पौधों की संख्या निम्नानुसार है:–

(पौधा संख्या लाख में)

2014	2015	2016	2017	2018	योग
8.00	6.31	6.10	9.34	8.10	**37.85**

वर्ष 2019 में इस योजनान्तर्गत 10.00 लाख पौधों के रोपण का कार्य प्रस्तावित है।

खदानी क्षेत्रों में हरियाली प्रसार-कुसमुण्डा

केपिटल कॉम्पलेक्स रोपण वर्ष 2009 नया रायपुर

22.5.3. राजस्व क्षेत्रा में वृक्षारोपण

निगम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में हरियाली विकास हेतु योगदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष पथ एवं पड़त भूमि के ब्लॉक्स का चयन कर विभिन्न प्रजातियों यथा पीपल, शीशु, बांस, करंज, कहुआ, पेल्टाफारम, चिरौल आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है। विगत 5 वर्षो में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	पथ (कि.मी.)	ब्लाक (हे.)	रोपित पौधा संख्या
2014	97.160	64.00	317572
2015	220.400	993.460	1401110
2016	56.341	464.542	551381
2017	28.04	821.68	814676
2018	–	321.60	353760

वर्ष 2019 में 350 हे. में ब्लाक रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

अल्प वनक्षेत्र वाले जांजगीर–चांपा जिले में वृहद रूप से वृक्षारोपण किये गये है। विगत 04 वर्षो में 834 हेक्ट. एवं 3 कि.मी. क्षेत्र में 8.05 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मुख्य रूप से कहुआ, शीशु, आंवला, पीपल आदि पौधों का रोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि जांजगीर–चांपा जिले में अधिकांश भूमि जिला कलेक्टर द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराकर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई है। निगम द्वारा हरियाली बढ़ाने के प्रयासों से वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

ऑक्सीवन सांकरा

शहरी वनीकरण ई.ए.सी. कॉलोनी रायपुर

वर्ष 2017–18 में रेल्वे की 31 हेक्ट. भूमि पर 34000 पौधों का रोपण किया गया है। रेल्वे की रिक्त भूमि पर आगामी वर्षो में वृक्षारोपण हेतु रेल्वे एवं वन विकास निगम के मध्य एम.ओ.यू. किया गया है जिसके तहत वर्ष 2019 में वर्तमान तक 20.800 हेक्टेयर क्षेत्रा में 22880 पौधों का रोपण किया जा रहा है।

वन विकास निगम द्वारा विगत कई वर्षो से छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक एवं नवीन राजधानी नया रायपुर में पथ एवं ब्लाक वृक्षारोपण किये गये है। मुख्य मार्गो पर छायादार एवं फूलदार प्रजातियों के पौधों का सघन रोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम सांकरा में ऑक्सीवन एवं ई.ए.सी. कॉलोनी रायपुर में शहरी वनीकरण किया गया।

22.6 निगम की रोपणियॉ

निगम की 6 रोपणियों में निगम के रोपण हेतु सागौन रूटशूट तैयार किए जाते है। मिश्रित प्रजाति के पौधों के तैयारी हेतु आवश्यकतानुसार अस्थायी रोपणी तैयार की जाती है विगत् पॉच वर्षों में वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में सागौन पौधों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(पौधा संख्या लाख में)

वर्ष	परियोजना मंडल का नाम						
	बारनवापारा	कोटा	पानाबरस	अंतागढ़	कवर्धा	सरगुजा	योग
2015	20.79	13.17	11.71	4.74	16.55	27.00	93.96
2016	22.00	7.97	13.20	10.00	19.24	22.56	94.97
2017	12.73	12.36	7.09	19.22	7.40	5.22	64.02
2018	35.44	7.00	16.25	13.00	24.00	16.00	111.69
2019	29.76	.	.	2.20	5.75	.	37.71

सागौन रोपणी-रायकेरा

मीडीयन रोपण नया रायपुर

22.7. विदोहन

निगम द्वारा प्रतिवर्ष सागौन वृक्षारोपणों का विरलन कार्य, क्राप–I में सुधार कार्य के तहत् मार्किंग एवं विदोहन कार्य, बांस कूपों एवं बांस रोपणों में विदोहन का कार्य किया जाता है। विदोहन से प्राप्त वनोपज को निगम के 6 व्यावसायिक डिपो से नीलाम द्वारा निर्वतन किया जाता है। औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है। विगत् 5 वर्षों में विभिन्न वनोपज का निम्नानुसार उत्पादन हुआ है:–

कोडार काष्ठागार - बारनवापारा परियोजना मण्डल

वानिकी वर्ष	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग)	व्यापारिक बांस	औद्यो.बांस (नो.टन)
2013.14	33439	33309	474490	1002
2014.15	41238	34386	226395	596
2015 .16	43133	35510	455510	1117
2016.17	26170	14621	369890	776
2017.18	23845	20308	228250	536

22.8 आधारभूत प्रशिक्षण एवं कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

छ.ग. राज्य वन विकास निगम कम्पनी एक्ट में पंजीकृत कम्पनी है। निगम ने अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत 142.248 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत किये है जिसमें से 115.45 लाख व्यय किया जा चुका हैं।

22.9 आय-व्यय

विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ रू. में.)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2015.16	67.70	27.80	39.90	37.52
2016.17	38.86	27.13	11.73	8.75
2017.18	45.60	27.71	17.89	16.02

22.10 लेखा एवं अंकेक्षण

22.10.1 अंकेक्षण एवं लेखे की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2017–18 तक का सांवधिक अंकेक्षण एवं सी.ए.जी. का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने की हेतु शासन को प्रेषित किया गया है।

22.10.2 राज्य शासन को लाभांश-वर्ष 2016–17 के लिये राज्य शासन को 0.84 करोड़ रूपये लाभांश का भुगतान किया गया है।

भाग –चार

23. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

प्रदेश में सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 30/10/2000 को किया गया है। लघु वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज (तेन्दू पत्ता, कुल्लू, खैर, बबूल एवं धावड़ा गोंद) के संग्रहण एवं विपणन का कार्य जिला यूनियनों तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सालबीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी गुठली, महुआ बीज, कुसुमी तथा रंगीनी लाख का संग्रहण, विपणन एवं

प्रसंस्करण का कार्य भी किया जाता है। अन्य अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण तथा विपणन आदि कार्य तेन्दूपत्ता के लाभ के 15 प्रतिशत राशि से कराये जा रहे है।

23.1 लघु वनोपज संघ की संरचना

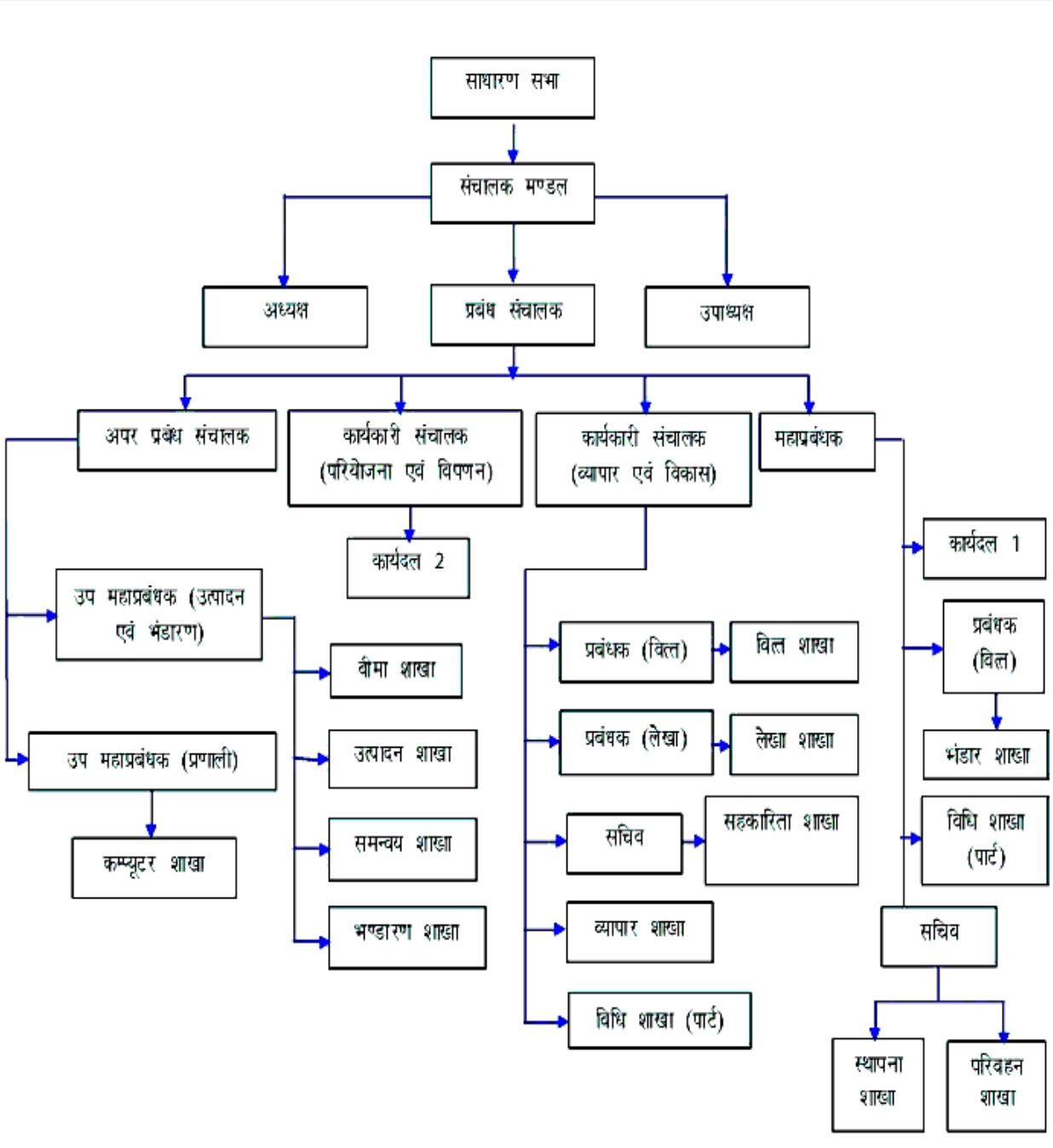

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 31.12.2018 की स्थिति में

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु. व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	0	2	6	1	5	30	19	11	38	20	18
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	5	5	11	5	6
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	167	13	180	167	13
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	3	1	6	6	0	27	18	9	37	27	10
26	कनिष्ट लेखापाल	7	5	2	0	0	0	21	16	5	28	21	7
27	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	7	0	6	5	1	31	28	3	44	40	4
अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

23.2 वनोपज सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को 901 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया जा चुका है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाकर संचालक मण्डल का गठन पूर्ण किया जा चुका है, वनोपज संघ के निर्वाचित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

01) **माननीय श्री भरत साय,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर — **अध्यक्ष**

02) **श्री टीकम टांडिया,** छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर — **उपाध्यक्ष**

03) **कु.समीरा पैकरा,** छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर — **संचालक**

04) **श्रीमती सुशीला बाई,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर — **संचालक**

05) **श्री कपूर चंद बिसाई,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर — **संचालक**

06) **श्री यज्ञ दत्त शर्मा,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर — **संचालक**

23.3 राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

23.3.1 तेन्दूपत्ता

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 951 लाट बनाये गये हैं, वर्ष 2018 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 2500/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 951 लाटों में से 916 लाटों में 14.80 लाख मानक बोरा का संग्रहित एवं भण्डारित की गयी। 916 में से 786 लाटों की 12.86 लाख मानक बोरा का विक्रय रू. 724.38 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 5645/– प्रति मानक बोरा रहा।

संग्रहण वर्ष 2018 का तेन्दू पत्ता व्यापार

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
बीजापुर	45	80500.000	41	76884.609	75763.444	430079273.78	5676.61
सुकमा	48	90400.000	20	35912.868	22180.958	95409481.62	4301.41
दंतेवाड़ा	8	19000.000	7	13254.315	8432.490	38053043.31	4512.67
जगदलपुर	15	25100.000	15	24325.822	21140.847	81315808.06	3846.38
दक्षिण कोंडागांव	11	21000.000	11	21704.813	14753.977	55071069.33	3732.63
केशकाल	16	29300.000	16	30763.290	20904.320	82564683.23	3949.65
नारायणपुर	12	23100.000	12	22357.805	12550.880	52030364.21	4145.56
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96900.000	56	92774.338	44250.300	240178307.49	5427.72

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	80400.000	53	73202.740	34580.265	160904958.92	4653.09
कांकेर	24	38100.000	24	33683.443	31703.225	186299961.25	5876.37
राजनांदगांव	51	84400.000	51	74620.570	66066.705	341462787.75	5168.45
खैरागढ़	24	42600.000	24	34476.310	14027.415	59502306.24	4241.86
बालोद	18	26900.000	18	22179.300	22179.300	146071070.75	6585.92
कवर्धा	24	40800.000	24	42216.370	31900.010	171993668.94	5391.65
धमतरी	23	27300.000	23	28394.805	28394.805	159966441.67	5633.65
गरियाबंद	62	84300.000	62	79539.825	71137.480	473823909.09	6660.68
महासमुंद	69	95400.000	69	82002.970	82002.970	540669206.74	6593.29
बलौदा बाजार	16	25600.000	16	21289.680	20408.870	132451690.75	6489.91
बिलासपुर	21	32200.000	21	29489.110	29489.110	173447145.81	5881.74
मरवाही	14	21900.000	14	18089.329	18089.329	109841041.31	6072.15
जांजगीर–चांपा	7	10700.000	7	9667.255	2105.500	8955131.86	4253.21
रायगढ़	41	60700.000	41	55257.875	55257.875	331649723.40	6001.85
धरमजयगढ़	53	82500.000	53	74036.225	74036.225	524990903.65	7091.00
कोरबा	34	53200.000	34	48430.995	47385.645	353929032.57	7469.12
कटघोरा	39	78500.000	39	65129.395	64193.615	450087677.00	7011.41
जशपुर नगर	20	39000.000	20	38433.680	38433.680	190673601.35	4961.11
मनेन्द्रगढ़	20	44500.000	20	39477.715	39477.715	210577872.05	5334.09
कोरिया	16	33400.000	16	35855.490	35855.490	203028026.56	5662.40
सरगुजा	15	38000.000	15	33595.225	33595.225	179293174.66	5336.86
बलरामपुर	64	165700.000	64	152792.660	152792.660	681024954.71	4457.18
सूरजपुर	30	80300.000	30	70196.150	70196.150	378404012.29	5390.67
कुल योग	**951**	**1671700.000**	**916**	**1480034.977**	**1283286.480**	**7243750330.35**	**5644.69**

वर्ष 2019 सीजन में तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रू. 4000/– प्रति मानक बोरा राज्य शासन द्वारा घोषणा की गई है। प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2019 में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। तेन्दू पत्ते के अग्रिम निर्वतन हेतु दिनांक 17.01.2019 से 22.01.2019, 08.02.2019 से 12.02.2019 एवं 22.02.2019 से 26.02.2019 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है। इस ऑनलाईन निविदा की विशेषता यह है कि इसमें निविदाकारों द्वारा निविदा दरों का प्रस्ताव तथा सत्यंकार की राशि दोनों ऑनलाईन दी जाती है, जिससे कि निविदाकारों तथा शासकीय अमले दोनों को ही बहुत सुविधा होती है।

तेन्दुपत्ता संग्रहण केन्द्र

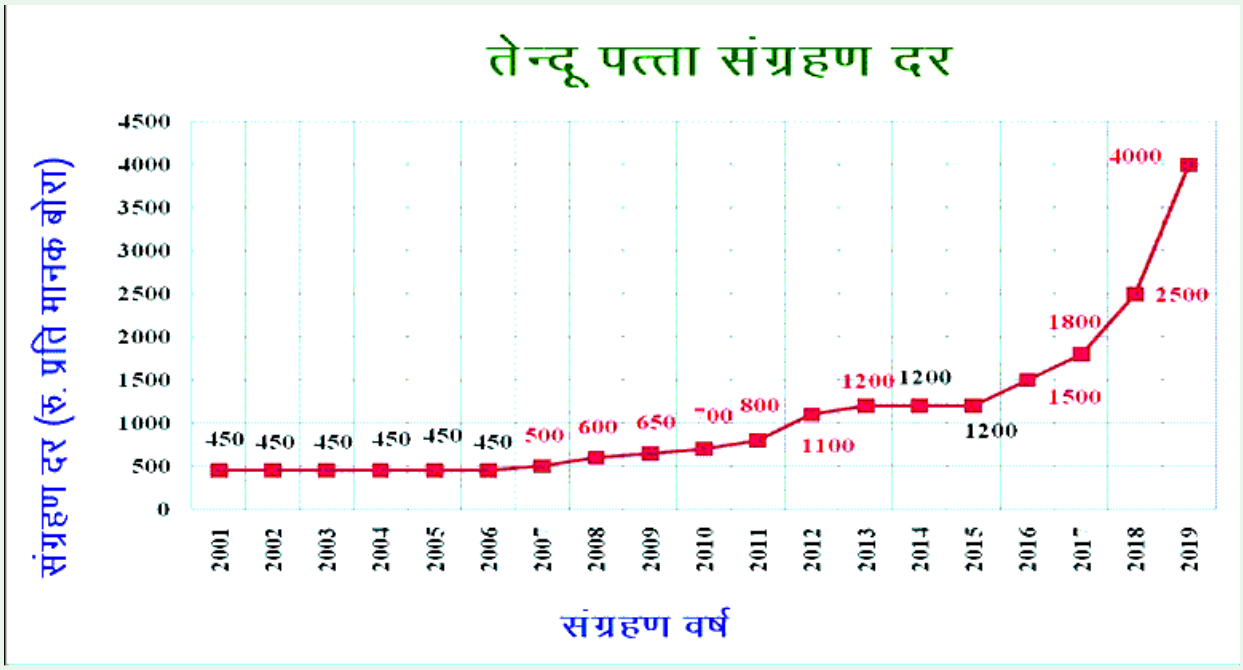

23.3.2 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना - क्रय वनोपज

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय योजना भारत शासन के प्रारंभ की गई, इस हेतु लघु वनोपज संघ को वर्ष 2014–15 में भारत शासन से रू. 80.16 करोड़ तथा राज्य शासन से रू. 13.22 करोड़, वर्ष 2015–16 में भारत शासन से रू. 73.50 करोड़ तथा राज्य शासन से रू. 15.22 करोड, वर्ष 2016–17 में राज्य शासन से रू. 15.00 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में राज्य शासन से रू. 7.81 करोड़ कुल राशि रू. 204.91 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त योजना की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13–7/2012/10–2 दिनांक 22.09.2017 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय समयन्वय एवं अनुश्रवण समिति'' का गठन किया गया है, जिला स्तर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

क्रमांक	वनोपज का नाम	वर्षवार संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)				
		2014	2015	2016	2017	2017–18
1.	सालबीज	125676.050	111982.610	2807.580	123181.970	1224.680
2.	हर्रा	34644.720	57126.900	3087.760	127.070	–
3.	इमली	35445.650	893.610	–	–	
4.	चिरौंजी गुठली	–	6329.280	7860.293	135.670	1467.210
5.	महुआ बीज	–	4879.229	50.700	1490.445	4.50
6.	कुसमी लाख	–	3349.806	3506.339	20.436	890.83
7.	रंगीनी लाख	–	1400.488	1011.066	160.995	373.801

राज्य में 07 वनोपज क्रमशः सालबीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी–गुठली, महुआ बीज, कुसमी एवं रंगीनी लाख का क्रय समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है।

आंवला संग्रहण - दुगली

आंवला प्रसंस्करण

23.3.3 वनोपजवार संग्रहण का विवरण

23.3.3.1 साल बीज

- उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 में 1,224.680 क्विंटल सालबीज रू. 13/– प्रति किलो ग्राम की दर से क्रय किया गया। समस्त मात्रा का निर्वर्तन औसत दर रू. 105.31 प्रति क्विटल की दर से रू. 8.71 लाख में विक्रय किया गया।
- वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा सालबीज क्रय दर रू. 20/– प्रति किलो ग्राम निर्धारित की गई है।

23.3.3.2 हर्रा

- प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 127.070 क्विंटल हर्रा का संग्रहण रु. 11/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। समस्त मात्रा का निर्वर्तन औसत दर रू. 1100.00 प्रति क्विंटल की दर से रू. 1.40 लाख में विक्रय किया गया।
- वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा हर्रा क्रय दर रू. 15.00 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है। हर्रा संग्रहण के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

23.3.3.3 इमली

- वर्ष 2017 हेतु भारत सरकार द्वारा इमली की क्रय दर रू. 18/– प्रति किलो ग्राम पुनरीक्षित की गई थी, जिसमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित वनोपज के संग्रहण के साथ बोनस प्रोत्साहन राशि रू. 7.00 प्रति किलो (न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि) कुल राशि रू. 25.00 प्रति किलो ग्राम संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार दर अधिक होने पर संग्राहक खुले बाजार में अपनी वनोपज विक्रय करने हेतु स्वतंत्र हैं, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इसी कारण प्राथमित वनोपज सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2017 में इमली नहीं क्रय किया गया था।
- 2वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा इमली क्रय दर रू. 31.00 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है।

23.3.3.4 चिरौंजी गुठली

- वर्ष 2018 में 1472.710 क्विंटल चिरौंजी गुठली रु. 105/– प्रति किलो ग्राम की दर से न्यूनतम

समर्थन मूल्य पर क्रय की गई। उक्त मात्रा में से 5.50 क्विंटल चिरौंजी गुठली का प्रसंस्करण किया गया शेष 1467.210 क्विंटल औसत दर रू. 7340.87 प्रति क्विंटल की दर से रू. 107.61 लाख में विक्रय किया गया है।

- वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा चिरौंजी गुठली की क्रय दर रू. 109/– प्रति किलो ग्रामपुनरीक्षित की गई है।

23.3.3.5 महुआ बीज

- प्रदेश में वर्ष 2018 में उक्त योजना के अंतर्गत महुआ बीज का संग्रहण रु. 22/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 4.50 क्विंटल किया गया, जिसका विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा महुआ बीज की क्रय दर रू. 25/– प्रति किलो ग्राम निर्धारित की गई है।

23.3.3.6 कुसुमी लाख

- प्रदेश में वर्ष 2018 में उक्त योजना के अंतर्गत कुसमी लाख का संग्रहण रु. 200/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 890.83 क्विंटल किया गया उक्त मात्रा में से 116.060 क्विंटल औसत दर रू. 8700.00 प्रति क्विंटल की दर से रू. 10.10 लाख में विक्रय किया गया शेष मात्रा 774.77 क्विटल में से 115.75 क्विंटल प्रसंस्करण किया गया है तथा 509.25 क्विंटल अप्रसंस्कृत है, जिसके निर्वतन की कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा कुसमी लाख क्रय दर रू. 203.00 प्रति किलो ग्राम पुनरीक्षित किया गया है। कुसमी लाख संग्रहण के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

23.3.3.7 रंगीनी लाख

- प्रदेश में वर्ष 2018 में उक्त योजना के अंतर्गत रंगीनी लाख का संग्रहण रु. 130/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 373.801 क्विंटल किया गया। उक्त मात्रा में से 63.690 क्विंटल औसत दर रू. 6027.19 प्रति क्विंटल की दर से रू. 3.84 लाख में विक्रय किया गया। शेष मात्रा 310.111 क्विटल में से 163.870 क्विंटल प्रसंस्करण किया गया है तथा 72.13 क्विंटल अप्रसंस्कृत है, जिसके निर्वतन की कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा रंगीनी लाख का क्रय दर रू. 130.00 प्रति किलोग्राम पुनरीक्षित किया गया है। रंगीनी लाख संग्रहण के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

लाख फसल कटाई कांकेर

लाख सुखाई

- भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज क्रय हेतु 49 वनोपजों का दर निर्धारित किया गया।

23.3.3.8 शहद संग्रहण

- छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। राज्य में कच्चे शहद का वार्षिक औसत उत्पादन 3750 क्विंटल है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से सीधे शहद क्रय किया जाता है, इस हेतु कच्चे शहद का दर निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में 190 रू. प्रति कि.ग्रा. है। बाजार दर के अनुसार समय–समय पर कच्चे शहद के क्रय दर में संशोधन किया जाता है।

  उक्त संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा किया जाता है, जिसे ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम से विक्रित किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

शहद संग्रहण नगरी परिक्षेत्र

शहद प्रसंस्करण केन्द्र बिलासपुर

23.4 तेन्दू पत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेन्दू पत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दू पत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। वर्ष 2016 के तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 274.54 करोड़ तेन्दू पत्ता संग्राहकों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2017 के तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 749.69 करोड़ तेन्दू पत्ता संग्राहकों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण किया जा रहा है, जिसमें से राशि रूपये 733 करोड़ वितरित किया जा चुका है। शेष राशि के वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रोत्साहन पारिश्रमिक की जानकारी (राशि लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2017	संग्रहण वर्ष 2016
		वितरण योग्य	वितरित राशि
1	2	3	4
1	बीजापुर	4,829.66	1,454.53
2	सुकमा	3 907 39	909 34

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2017	संग्रहण वर्ष 2016
		वितरण योग्य	वितरित राशि
1	2	3.	4.
3	दंतेवाड़ा	682.28	285.13
4	जगदलपुर	590.76	103.28
5	दक्षिण कोण्डागांव	731.30	167.15
6	केशकाल	850.54	236.35
7	नारायणपुर	786.54	199.73
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	4,942.39	2,291.10
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	3,138.64	1,140.17
10	कांकेर	1,891.05	723.98
11	राजनांदगांव	4,103.66	1,542.29
12	खैरागढ़	1,643.85	472.73
13	बालोद	1,264.51	409.22
14	कवर्धा	1,647.24	594.92
15	धमतरी	1,158.44	516.01
16	गरियाबंद	4,573.17	1,914.15
17	महासमुंद	4,314.58	1,641.74
18	बलौदाबाजार	1,069.39	502.56
19	बिलासपुर	1,379.28	527.43
20	मरवाही	992.82	299.09
21	जांजगीर–चांपा	287.47	93.91
22	रायगढ़	2,658.79	1,119.02
23	धर्मजयगढ़	4,462.60	2,103.88
24	कोरबा	2,970.74	1,369.83
25	कटघोरा	3,970.04	1,543.78
26	जशपुरनगर	1,578.88	506.35
27	मनेंद्रगढ़	2,101.04	661.20
28	कोरिया	1,634.81	446.28
29	सरगुजा	1,610.33	618.59
30	बलरामपुर	5,687.12	1,776.16
31	सूरजपुर	3,509.50	1,359.95
योगः–		**74,968.81**	**27,529.85**

23.5 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका वितरण

वर्ष 2017–18 में 12 लाख तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरण पादुका वितरण हेतु शासन निर्णय के पालन में चरण पादुका क्रय कर वितरण की गयी।

23.6 तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना दिनांक 01.05.2016 से बीमा योजनाओं का लाभ उस परिवार को प्राप्त होगा, जिन्होंने वर्ष

2017 या 2018 में कम से कम 500 गड्डी तेंदू पत्ता तोड़ा हैं। बीमा हेतु संग्राहक परिवार को किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना है।

23.6.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: यह बीमा योजना तेंदू पत्ता परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, के लिए 01.03.2018 से लागू किया गया है। इस बीमा योजनांतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके वारिश को रू. 2.00 लाख बीमा राशि प्रदाय किया जाता है। इस योजना अंतर्गत शामिल होने की उम्र 50 वर्ष तक है लेकिन एक बार शामिल होने के बाद इस योजना का लाभ 55 वर्ष तक की आयु तक मिलेगा। इस योजना में शामिल होने की पात्राता विगत दो वर्ष में किसी भी वर्ष में 500 या उससे अधिक तेंदू पत्ता गड्डी का संग्रहण करना अनिवार्य है।

23.6.2 आम आदमी बीमा योजना: इस योजना के अंतर्गत 50 वर्ष से 59 वर्ष के आयु के तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया शामिल होंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हैं वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इस योजना में 31.3.2017 तक के शामिल परिवार के मुखिया ही शामिल होंगे एवं नये परिवार के मुखिया इसमें शामिल नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत शामिल होने की पात्रता विगत दो वर्ष में किसी भी वर्ष में 500 या उससे अधिक तेंदू पत्ता गड्डी का संग्रहण करना अनिवार्य है। इस योजनांतर्गत हितग्राही की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 30000/– आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 37500/– एवं दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 75000/– प्रदाय किया जाता है।

23.6.3 अटल समूह बीमा योजना: यह योजना 1.3.2018 से नये स्वरूप में लागू किया गया है, इस बीमा योजना के अन्तर्गत मुखिया के अतिरिक्त परिवार के 18 से 59 वर्ष के मध्य के अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर रूपये 10,000/– प्रदाय किया जाता है।

23.6.4 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: इस बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत समस्त हितग्राहियों को बीमा किया गया है, इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्रदाय किया जाता है।

समिति प्रबंधक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपरोक्त बीमा योजना हेतु प्रत्येक संग्राहक परिवार के मुखिया का एवं समूह बीमा योजना हेतु मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन पत्रा समिति कार्यालय में उपलब्ध हों। किसी भी समिति सदस्य की मृत्यु होने के एक माह के अंदर प्रबंधक द्वारा बीमा क्लेम तैयार कर परिक्षेत्र अधिकारी को प्रेषित करता है एवं परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बीमा क्लेम प्रपत्रों (दावा प्रपत्र, नामांकन प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं संग्रहण कार्ड) को जांच कर 15 दिवस के भीतर जिला यूनियन कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। दावा प्रकरण के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न किया जाता है।

23.6.5 शिक्षा प्रोत्साहन योजना: तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011–12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत्

23.6.5.1 मेधावी छात्रा/छात्राओं को पुरस्कार

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को क्रमशः रूपये 2000/–,रूपये 2500/– तथा

रूपये 3000/– का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2018 में 4058 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रू. 1.01 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

23.6.5.2 व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रावृत्ति

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे – इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है। प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017–18 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2018 में 347 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.26 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

बस्तर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से लागू है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी., नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/–उपलब्ध करायी जाती है।

23.6.6 गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए /बी.काम/बी.एस.सी आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रू. 5,000/– द्वितीय वर्ष में रू. 4,000/– एवं तृतीय वर्ष में रू. 3000/– अर्थात् तीन वर्षो में कुल रू. 12,000/– की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017–18 में इस योजना अंतर्गत 1354 छात्र/छात्राओं को कुल रू 0.62 लाख का भुगतान किया गया है।

23.6.7 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षाप्रोत्साहन योजना

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 10 में उत्तीर्ण छात्रा/छात्राओं को रूपये 15,000/– तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 25,000/– दिया जाता है। वर्ष 2017–18 में इस योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं के कुल 1252 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 2.05 करोड़ एवं कक्षा 12वीं में कुल 1000 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 2.43करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

23.7 छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी 07 वर्षीय परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देने के लिये संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। यह परियोजना दिसम्बर 2016 में समाप्त हो गयी है। परियोजना बंद होने के फलस्वरूप इसके अंतर्गत कराये गये कार्यो से जुड़े हितग्राहियों को परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ की निरंतरता बनाये रखना अति आवश्यक है।

यूरोपियन कमीशन परियोजना से संचालित कार्यों की सतत्ता तथा हितग्राहियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से संघ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य नाम से 07 वर्षीय (2017–18 से 2023–24 तक) परियोजना स्वीकृत की गयी। परियोजना की कुल लागत रू. 29.50 करोड़ है। यह राशि संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य अंतर्गत नये माइक्रोइंटरप्राइजेस की स्थापना एवं स्थापित माइक्रोइंटरप्राइजेस का सुदृढ़ीकरण, भण्डारण, विपणन, ब्रांड प्रमोशन, अनुसंधान विस्तार, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, लघु वनोपज संरक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण तथा मानव संसाधन प्रबंधन इत्यादि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का क्रियान्वयन माह अप्रैल 2017 से किया जा रहा है।

23.8 स्व-सहायता समूह /वन प्रबंधन समिति /प्राथमिक लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की प्रशिक्षण / कार्यशाला

लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित कार्यों एवं परियोजनाओं के सुचारू संचालन में स्व–सहायता समूह/वन प्रबंधन समिति/प्राथमिक लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2018 में स्व–सहायता समूह/वन प्रबंधन समिति/प्रबंधकों की वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं तथा उक्त योजना के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका के संबंध में प्रशिक्षित किया गया साथ ही उन्हें लघु वनोपज की गुणवत्ता एवं विनाश विहीन विदोहन के संबंध में जानकारी दी गई ताकि वे इस जानकारी को संग्राहकों को उपलब्ध करा सके।

23.9 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 48 वनौषधालय स्थापित किये गये है तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। चयनित परम्परागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि रू. 10,000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि दी गई है एवं राशि 100 प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदाय किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत समय–समय पर वनौषधालयों में कार्यरत वैद्यों को कौशल विकास एवं कार्यशाला छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेन्टर, रायपुर एवं आयुष के माध्यम से किया गया है।

वन औषधालय मदनपुर

उपचार करते वैद्यराज

23.10 लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए है। इसके अंतर्गत लाख पालन एवं प्रसंस्करण, शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, चिरौंजी प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, माहुल दोना पत्तल प्रसंस्करण, ऑवला प्रसंस्करण, तैलीय बीज प्रसंस्करण, वनौषधीय प्रसंस्करण, हर्बल खाद्य प्रसंस्करण, काजू प्रसंस्करण, महुआ फूल प्रसंस्करण आदि संचालित हैं। इसके लिए संग्रहण–प्रसंस्करण के 78 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए हैं। इन माइक्रोइंटरप्राइजेस अंतर्गत 1302 स्व–सहायता समूह के 17196 हितग्राही कार्यरत हैं। इन माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा 104 प्रकार के उत्पाद निर्माण किये जाते हैं जिसमें औषधि उत्पाद, खाद्य उत्पाद, माहुल दोना पत्तल सम्मिलित हैं।

23.11 वनौषधि / हर्बल उत्पाद निर्माण

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत डोंगानाला (कटघोरा), केंवची (मरवाही), केशोडार (गरियाबंद), कुरंदी (जगदलपुर), पनचक्की (जशपुर) तथा नारायणपुर में स्थापित वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त किया गया है। इन केन्द्रों में 90 वनौषधि / हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जा रहा है।

वनौषधी प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस

23.12 विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के लिए राज्य में 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP (Non Wood Forest Produce) मार्ट स्थापित किए गए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक / स्व–सहायता समूह / वन प्रबंधन समिति / प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपजों को सुनिश्चित दर पर क्रय–विक्रय किया जाता है। इसके पश्चात् उपरोक्त उत्पाद का थोक या फुटकर विक्रय किया जाता है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल'' ब्रांड नाम से बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों द्वारा इन उत्पादों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इन हर्बल उत्पादों का विक्रय हेतु राज्य के विभिन्न स्थलों पर 29 संजीवनी विक्रय केंद्र स्थापित किए गए है। इन विक्रय केंद्रों को प्रशिक्षित स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है। प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 (माह नवम्बर तक) निम्नानुसार वनोत्पाद का क्रय–विक्रय किया गया है:–

वर्ष	क्रय मूल्य (रू. लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
2017–18	101.68	126.06

छततीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड नेम

संजीवनी रायपुर

हर्बल उत्पाद

23.13 तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ की 15 प्रतिशत राशि अंतर्गत राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय-विक्रय

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षो की तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय–विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण एवं लाख पालन तथा प्रसंस्करण का कार्य किया जावे। इस हेतु वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 एवं 2012 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रू. 142.78 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है।

स्व–सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय–विक्रय कर आय अर्जित कर सकते है। स्व–सहायता समूह को रूपये 2000/– प्रति सदस्य के हिसाब से ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में वनोपज के क्रय–विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व–सहायता समूहों को ही है।

23.15 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन में वन समितियों के सहयोग से अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से स्थानीय जनता की आय में वृद्धि हेतु ''लोक संरक्षित क्षेत्रा की स्थापना'' की जाती है। संघ मद से 14000 हेक्टेयर में 15 आदिवासी उपयोग मद में 2000 हेक्टर में कुल 16000 हेक्टर में 17 लोक संरक्षित क्षेत्रा की स्थापना वर्ष 2018–19 में की जा रही है इसके अतिरिक्त संघ/आदिवासी उप योजना मद से 13675 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख–रखाव के कार्य भी वर्ष 2018–19 में किये जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 में इसी प्रकार कार्य संपन्न किये जावेंगे।

23.16 लाख विकास

- संघ द्वारा किये गये प्रयास से लाख विकास कार्यो के फलस्वरूप वर्ष 2017–18 में राज्य में कुल लाख उत्पादन लगभग 2252.00 मि.टन हुआ, जो कि देश के कुल उत्पादन का 26 प्रतिशत है। उपरोक्त उत्पादन का बाजार मूल्य लगभग 45.04 करोड़ (औसत दर रू.200 प्रति किलोग्राम) है । वर्ष 2018–19 में प्रदेश में लाख उत्पादन के आंकलन के लिए वर्तमान में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। आंकलन के आधार पर लाख पालन में एक कुसुम वृक्ष से रू. 5000–6000, पलास वृक्ष से रू. 400–500 तथा बेर वृक्ष से रू. 800–900 प्रतिवर्ष औसत आय प्राप्त होती है ।
- संघ द्वारा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु लाख पालन/प्रसंस्करण आधारित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म का प्रसारण टी.वी. चैनलो के माध्यम से किया गया है ।
- भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, रांची में दिनांक 16.02.2018 को आयोजित वार्षिक किसान मेला सह प्रदर्शनी 2018 में छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान श्री प्रकाश चन्द्र निषाद, ग्राम – दसपुर जिला – कांकेर, श्री भोजराम साहू, ग्राम – बेलडीह, जिला – महासमुंद एवं श्री जनक राम रात्रो, ग्राम –कुरूमौहा, जिला – कोरबा को ''उत्कृष्ट लाख कृषक'' के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ।
- वन वृत्त स्तर पर स्थापित लाख फेसिलिटेशन केन्द्रों द्वारा अब तक 14500 ग्रामीणों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के संबंध में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।
- लाख विकास योजना अंतर्गत जिला यूनियन कांकेर में एक लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र की स्थापना की गई है, जहाँ माह मई 2013 से दिसंबर 2015 तक 302 मास्टर ट्रेनर्स लाख पालन एवं लाख पालक कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया जारी है ।
- संघ के माध्यम से लाख विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं ट्रायफेड योजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक अद्यतन स्थिति में लाख पालन एवं प्रसंस्करण की कुल 211 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी है । परियोजनाओं में कुल 58,880 हितग्राहियों के कुल 13,37687 नग कुसुम, पलाश एवं अन्य पोषक वृक्षों को शामिल कर लाख पालन का कार्य किया जा रहा है ।
- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 15.09.2015 में लिए गए निर्णय अनुसार संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षो में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15ः राशि में से रू. 98.00 करोड़ की राशि से लाख पालन की एक सप्त वर्षीय (2016–17 से 2022–23) योजना में 25.00 लाख पोषक वृक्षों में, 3170 स्व–सहायता समूहों के माध्यम से 63675 हितग्राहियों द्वारा लाख पालन का कार्य प्रस्तावित है । वर्ष 2018–19 की अद्यतन स्थिति में

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि में से रू. 9.27 करोड़ की राशि से लाख पालन की कुल 71 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 42,789 कुसुम वृक्ष तथा 1,00,870 पलास वृक्षों के माध्यम से 9844 हितग्राही लाभांवित हो रहे है तथा यह प्रक्रिया जारी है ।

वर्तमान में इस मद से स्वीकृत लाख पालन परियोजनांतर्गत प्रावधानित मास्टर ट्रेनर्स में से कुल 94 मास्टर ट्रेनर्स को IINRG रांची द्वारा लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 % राशि से स्वीकृत लाख पालन परियोजना की जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	जिला यूनियन का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्व सहायता समूहों की संख्या	लाभांवित हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2015–16	कांकेर	2	20	400	34.26
2	2015–16	कटघोरा	4	25	494	33.53
3	2015–16	कोरबा	5	55	1100	58.61
4	2015–16	धरमजयगढ़	6	45	894	57.07
5	2015–16	कवर्धा	1	8	100	12.98
6	2015–16	पूर्व भानुप्रतापपुर	23	190	2825	339.50
7	2015–16	बिलासपुर	1	10	50	5.70
8	2015–16	बीजापुर	1	10	200	22.50
9	2016–17	बलरामपुर	6	65	1200	129.04
10	2016–17	बलौदाबाजार	2	20	400	43.41
11	2016–17	महासमुंद	4	17	276	24.88
12	2017–18	सरगुजा	2	37	410	40.85
13	2017–18	सूरजपुर	3	21	420	37.95
14	2018–19	बिलासपुर	1	5	68	5.12
15	2018–19	कोरबा	4	22	269	19.77
16	2018–19	कटघोरा	3	10	178	22.55
17	2018–19	धरमजयगढ़	2	22	440	24.70
18	2018–19	कवर्धा	1	10	120	14.68
योग			**71**	**592**	**9844**	**927.08**

23.17 डिजीटलाइजेशन

डिजीटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिये लघु वनोपज संघ द्वारा राष्ट्रीय एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के विक्रय के लिये ई–निविदा बुलाई जाती है जिसमें भुगतान की प्रक्रिया भी ई–पेमेंट के माध्यम से होता है। ई–निविदा प्रणाली से निविदाकारों के साथ–साथ लघु वनोपज संघ के लिये प्रभावी, लागत प्रभावी और समय की बचत होती है। आपूर्तिकर्ता, खरीददार, लेखा परीक्षक और अन्य पार्टियों को कार्य करने में अधिक आत्मविश्वास मिलता है। निविदाकारों द्वारा दरें प्रस्तुत करते समय ही कई प्रकार के सत्यापन जाँच ऑनलाइन ही कर ली जाती है। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों को पृथक से दर्ज करने एवं पुनः जाँच करने की आवश्यकता नहीं होती है। ई–निविदा के साथ सत्यंकार की राशि भी ऑनलाइन जमा की जाती है तथा वापसी भी ऑनलाइन की जाती है। क्रेताओं द्वारा किश्तों की राशि ऑनलाइन जमा की जाती है तथा मनी रसीद भी उन्हें तथा संबंधित जिला यूनियनों को एवं संघ मुख्यालय को ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। साथ ही हितग्राहियों को वितरित किये जाने वाली संग्रहण कीराशि लाभांश, छात्रावृत्ति, बीमा की राशि इत्यादि का भुगतान कैशलेस होता है। वनोत्पाद के बिक्री के लिये स्थापित मार्ट एवं संजीवनी को भी डिजीटलाइज किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो सके। विभिन्न आयोजन जैसे मेले में भी ग्राहकों को कैशलेस भुगतान की सुविधा संघ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

भाग –पाँच

24. छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर

छत्तीसगढ़ के वन, औषधीय पादपों से भरपूर हैं। औषधीय पादपों एवं जैव विविधता की प्रचुरता के कारण ही छत्तीसगढ़ प्रदेश को हर्बल राज्य घोषित किया गया है। औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश–विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा वनौषधि के निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन जुलाई, 2004 को किया गया है । वर्तमान में माननीय श्री मोहम्मद अकबर, वनमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन बोर्ड के अध्यक्ष हैं । बोर्ड में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन संरक्षक स्तर के अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ हैं । बोर्ड के अधिकांश कार्य वन विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से कार्यान्वित किये जाते हैं ।

24.1 उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उद्देश्य निम्नानुसार है –

- औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाशविहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना ।
- औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण ।
- वनौषधियों के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान कराना ।
- औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना ।
- औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना ।

- औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कराना ।
- पारम्परिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना ।
- पारम्परिक चिकित्सकों तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराना ।
- वनौषधियों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य ।

24.2 राज्य मद के अंतर्गत किये गये कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार कार्य कराने हेतु प्राप्त अनुदान के विरूद्ध में राशि रू. 400.00 लाख व्यय किया गया । छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के गठन उपरांत प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्राप्त आबंटन (रू. लाख में.)	व्यय
2004–05	40.67	13.38
2005–06	50.00	45.85
2006–07	70.00	81.38
2007–08	110.80	133.17
2008–09	300.00	201.20
2009–10	400.00	244.11
2010–11	400.00	546.62
2011–12	400.00	278.83
2012–13	400.00	313.06
2013–14	450.00	357.97
2014–15	380.00	577.43
2015–16	400.00	497.56
2016–17	400.00	920.25
2017–18	800.00	552.89
2018–19	880.00	595.27

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड हेतु वर्ष 2018–19 में राशि रू. 880.00 लाख का बजट स्वीकृत है ।

24.3 बोर्ड हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पद

1 बोर्ड कार्यालय में शासन के स्वीकृत सैटअप अनुसार वर्तमान में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है :–

क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	विशेष अभ्युक्ति
01	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	01	01	–	–
02	वन संरक्षक स्तर का अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	01	01	–	–
03	संयुक्त संचालक ग्रेड का आयुर्वेदिक औषधि विशेषज्ञ (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)	प्रतिनियुक्ति	01	01	–	मई 2010 से संविदा पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत
04	वन क्षेत्रापाल	प्रतिनियुक्ति	02	–	02	–
05	उप वन क्षेत्रापाल	प्रतिनियुक्ति	02	–	02	–
06	उच्च श्रेणी लिपिक	प्रतिनियुक्ति	01	–	01	–
07	शीघ्रलेखक	प्रतिनियुक्ति	01	–	01	मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत जॉब दर एवं कलेक्टर दर पर कार्यों का संपादन
08	डाटाएन्ट्री आपरेटर (01 अनारक्षित एवं 01 अ.जा.)	संविदा	02	02	–	
09	लेखापाल	प्रतिनियुक्ति/संविदा	01	01	–	
10	स्वागतकर्ता	प्रतिनियुक्ति/संविदा	01	01	–	
11	संदेश वाहक	कलेक्टर दर पर	02	02	–	

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के लिए छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/1933/2577/2016/10–1/वन दिनांक 05.07.2018 द्वारा निम्नांकित श्रेणी के कुल 05 अतिरिक्त पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान ग्रेड वेतन	प्रस्तावित पद	नियुक्ति का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	निज सहायक	9300–34800–4300	01	सीधी भर्ती
2.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200–2400	01	पदोन्नति
3.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200–1900	02	सीधी भर्ती
4.	भृत्य	4750–7440–1300	01	आकस्मिता
		योग :–	**05**	

24.4 योजनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य / योजनाएं संचालित हैं –

24.4.1 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रा (MPCA)/औषधीय पौधा विकास क्षेत्रा (MPDA) की स्थापना

राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कुल 20 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र (MPCA) स्थापित किये गये हैं व 02 औषधीय पौधा विकास क्षेत्र स्थापित किये गये हैं । राज्य मद में वर्ष 2016 में 06 MPCA(कटघोरा में 01, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 04 तथा बस्तर वनमंडल में 01) स्थापित किये गये हैं व कैम्पा मद से वर्ष 2015 में 07 एम.पी.सी.ए. (कटघोरा, कोरबा, धरमजयगढ़, केशकाल, बलरामपुर, धमतरी तथा सरगुजा वनमंडल)तथायू.एन.डी.पी. मद से वर्ष 2009 में 07 एम.पी.सी.ए. (दक्षिण कोण्डागांव, खैरागढ़, मरवाही, धमतरी, सूरजपुर, जशपुर तथा बस्तर वनमंडल) स्थापित किये गये हैं ।

औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र, तोलावाड़ा बस्तर

औषधीय पौध संरक्षित एवं विकास क्षेत्र, भतवा, दक्षिण कोण्डागांव

24.4.2 होम हर्बल गार्डन रोपणी एवं निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण योजना

होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत ऐसे औषधीय पौधे जिनका सामान्य रोगों में प्राथमिक उपचार हेतु आसानी से उपयोग किया जा सके, का जन सामान्य में निःशुल्क वितरण किया जाता है। वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक कुल 31.35 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण विभिन्न वनमंडलों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया ।

होम हर्बल गार्डन रोपणी, सकालो, अंबिकापुर

वर्ष 2017–18 में 06 वनमंडलों में 07 लाख औषधीय पौधों, जिनमें 35 प्रजातियों के औषधीय पौधे तैयार कर वितरित किये गये एवं वर्ष 2018–19 में कुल 14.50 लाख औषधीय पौधे तैयार कर वितरण किया गया है

होम हर्बल गार्डन रोपणी, सकालो,अंबिकापुर

24.5 ''वनौषधि 2018-छत्तीसगढ़'' कार्यशाला का आयोजन

''वनौषधि 2018–छत्तीसगढ़'' में देश के विभिन्न संस्थानों तथा हर्बल कंपनियों के 40 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भागीदारी की तथा 18 बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा हर्बल अनुसंधान के क्षेत्रों में प्रस्तुतीकरण दिया गया । कार्यक्रम एवं उसके उपरांत 10 कंपनियों से छत्तीसगढ़ शासन/बोर्ड द्वारा मध्य कच्ची वनौषधियों की आपूर्ति, हर्बल उत्पादों के निर्माण इकाइयों की स्थापना, अनुसंधान तथा हर्बल वेलनेस सेन्टर की स्थापना के साथ–साथ औषधीय पौधों की खेती संबंधी एम.ओ.यू. डाबर, इमामी, वालेडा, के.मनीष, बिट्स पिलानी, सी–मैप लखनऊ, इनोवेट बायोलाईफ मुंबई, एडिला बायोटेक नई दिल्ली, सी.एस.आई.आर. दिल्ली तथा सी.डी.आर.आई. लखनऊ से एम.ओ.यू. किये गये हैं।

24.5.1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

''औषधीय, सुगंधित पौधे एवं अकाष्ठीय वनोपज का उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन द्वारा उद्यमिता विकास'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 08.03.2018 को संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा भागीदारी की गई ।

इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

24.5.2 क्षेत्रीय सह-सुविधा केन्द्र, मध्य क्षेत्रा, जबलपुर की प्रक्षेपण कार्यशाला (Launch Workshop)

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के मध्यक्षेत्रा, (छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्य) के लिये क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र (Regional-Cum-Facilitation Centre) की प्रक्षेपण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 18 मई 2018 को किया गया । इस केन्द्र द्वारा दोनों राज्यों के वन तथा उद्यानिकी विभागों, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, वन अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, औषधीय पादपों के संग्राहकों, कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों तथा जड़ी–बूटी आधारित औषधि निर्माताओं इत्यादि से समन्वय तथा सहयोग स्थापित कर औषधि पादपों के संरक्षण व संवर्धन एवं राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन व अनुश्रवण का कार्य किया जावेगा । इस कार्यशाला में वैज्ञानिक व वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड भी सम्मिलित हुए।

24.6 औषधि पौध उद्यान

छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड कार्यालय में स्थापित हर्बल गार्डन

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक वनमंडल नारायणपुर, सूरजपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, बलरामपुर तथा बस्तर में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है । पश्चिम भानुप्रतापपुर में वर्ष 2016–17 में वनौषधि प्रदर्शन एवं चेतना केन्द्र की स्थापना की गयी है व बोर्ड परिसर में 300 प्रजातियों (मुख्यतः विलुप्त प्रजातियों) का रोपण किया जाकर हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है, जहां स्कूल, कॉलेज, शोधकर्ता छात्रा–छात्राओं द्वारा औषधीय पौधों के पहचान हेतु शैक्षणिक भ्रमण किया जाता है व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं व स्थानीय लोगों द्वारा भी औषधीय पौधों की जानकारी प्राप्त करने बाबत् गार्डन का भ्रमण किया जाता है ।

24.7 औषधीय वृक्षारोपण

- वर्ष 2007–08 से वर्ष 2015–16 तक बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों में दशमूल प्रजातियों का रोपण 150 हे., त्रिफला रोपण 485 हे, मेंहदी रोपण 140 हे. एवं मिश्रित औषधीय वृक्षारोपण 1233 हे. का कार्य कराया गया है।

स्कूल छात्रों द्वारा बोर्ड परिसर में स्थापित हर्बल गार्डन का भ्रमण

अफीकन डेलीगेट्स द्वारा बोर्ड परिसर में स्थापित हर्बल गार्डन का भ्रमण

- वर्ष 2018–19 में राज्य के गरियाबंद वनमंडल में मिश्रित औषधीय वृक्षारोपण 216 हेक्टे. हेतु स्वीकृति दी गई है ।

24.8 विपणन तथा मूल्यवर्धक कार्य

- छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल रायपुर की नये टर्मिनल में रिटेल आउटलेट औषधीय उत्पाद प्रदर्शन/प्रचार–प्रसार सह–केन्द्र स्थापित है । इन विक्रय केन्द्रों में मुख्यतः महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये प्रोडक्ट्स का विक्रय किया जाता है ।

औषधीय उत्पाद प्रचार सह विक्रय केन्द्र एयरपोर्ट रायपुर

- वर्तमान में बोर्ड द्वारा अनुपम उद्यान रायपुर में अस्थायी आउटलेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का प्रदर्शन/प्रचार–प्रसार एवं विक्रय प्रस्तावित है ।

24.9 परंपरागत वैद्य सम्मेलन -

राज्य के प्रत्येक वनवृत्त में परंपरागत वैद्य सम्मेलन आयोजित कर उनके परंपरागत औषधीय ज्ञान का अभिलेखन कार्य किया गया है। माह सितम्बर 2013 में कांकेर वृत्त के अंतर्गत हृदय रोग एवं मधुमेह रोग के पारंपरिक उपचारों के संबंध में लगभग 500 वैद्यों का महासम्मेलन आयोजित किया गया ।

वैद्य सम्मेलन, सांकरा, धमतरी

जगदलपुर वनवृत्त में वर्ष 2015–16 में पशु आयुर्वेद वैद्य सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2016–17 में राज्य के 06 वनमंडलों पूर्व भानुप्रतापपुर, धमतरी, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर तथा सरगुजा में वृत्त स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन कर लगभग 900 वैद्यों के ज्ञान को अभिलेखित किया गया । राज्य में औषधीय पादप के विकास एवं संरक्षण कार्य में परंपरागत वैद्यों द्वारा भूमिका निभाई जा रही है तथा वर्ष 2018–19 में खैरागढ़ वनमंडल में दो दिवसीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है ।

24.10 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित योजना अंतर्गत कार्य विवरण

- NMPB योजना अंतर्गत 07 MPCA वनमंडलों क्रमशः धमतरी, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, मरवाही, खैरागढ़, सूरजपुर तथा जशपुर में 21 वनप्रबंधन समिति के माध्यम से औषधीय पौधों का विनाश विहीन संग्रहण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन कार्य हेतु राशि रूपये 3.15 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसमें प्रस्ताव अंतर्गत प्रावधानित प्रसंस्करण केन्दों में 01 Godown, 01 Drying Shed तथा मशीन सम्मिलित है ।
- वर्ष 2016–17 में राशि रू. 327.00 लाख की वार्षिक कार्य आयोजना प्रस्ताव तैयार कर राज्य आयुष मिशन के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसमें 11 औषधीय प्रजातियों के कृषिकरण हेतु राशि रू. 152.63 लाख प्राप्त हुई है तथा 2017–18 में 178 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृत की गई है ।

24.11 कैम्पा योजनांतर्गत नवीन कार्य

कैम्पा परियोजना अंतर्गत वर्ष 2015 से 2019 तक के लिए राशि रू.7.38 करोड़ की पंचवर्षीय योजना स्वीकृत की गई हैं ।

वर्तमान में कैम्पा योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 07 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रा हेतु क्रमशः कोरबा, बलरामपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, धमतरी, केशकाल तथा सरगुजा वनमंडल में कुल 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एम.पी.सी.ए. स्थापित किया गया है तथा वर्ष 2017–18 में औषधीय पौधा विकास क्षेत्र केशकाल वनमंडल में स्थापित किया गया है ।

औषधीय पौध विकास क्षेत्र, नवाडीह

टी.एफ.आर.आई. जबलपुर द्वारा 2017–18 में 07 चयनित एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों का इकोलाजीकल एवं बॉटनिकल सर्वे का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की गई है ।

24.12 ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ कार्यक्रम

वनों क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के युवक–युवतियों में औषधीय पौधों को पहचानने उनके वैज्ञानिक नाम जानने, औषधीय पौधों के संरक्षण, महत्व एवं विकास हेतु बोर्ड द्वारा ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण में अब तक 111 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 27 प्रशिक्षणार्थियों को बैंगलोर में प्रशिक्षित कर प्रमाण–पत्र दिया गया। वर्ष 2018–19 में 38 प्रशिक्षणार्थियों को चार चरणों में प्रशिक्षण दियाजा रहा है ।

ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण 2018 केशकाल वनमंडल

ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण 2018 केशकाल वनमंडल

24.13 औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन कार्यदल (टॉस्क फोर्स) की स्थापना

वर्ष 2016–17 में एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर (फाउंडेशन फॉर रिवाईटलाईजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन) के तकनीकी सहयोग द्वारा 02 औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र कोरबा तथा बलरामपुर को विनाश विहीन विदोहन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है । जिनमें वन प्रबंधन समितियों एवं ग्रामीण जनों में जागरूकता विकास कर औषधीय पौधों के महत्व एवं विनाश विहीन विदोहन का प्रशिक्षण एफ.आर.एल.एच.टी. बैंगलोर के तकनीकी मार्गदर्शन में कोरबा वनमंडल में माह नवंबर 2016 कराया गया, जिसमें 45 प्रतिभागी सम्मिलित हुए एवं द्वितीय चरण वनमंडल बलरामपुर में फरवरी 2017 में किया गया, जिसमें 30 सदस्यीय विनाश विहीन विदोहन दल का गठन किया गया है वर्ष 2018–19 हेतु 02 वनमंडल कटघोरा एवं धमतरी वनमंडल का चयन किया गया है, जहां चयनित औषधीय पौधों का विनाश विहीन पद्धति के कार्यविधि का निर्माण किया जाकर टॉस्क टीम को प्रशिक्षण दिया जावेगा । इस कार्य हेतु एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर को परियोजना स्वीकृत की गयी है ।

24.14 लोक जैव विविधता रजिस्टर

औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के संकलन एवं क्षेत्रा के पारंपरिक वैद्यों के सहयोग से औषधीय पौधों के

विनाश विहीन विदोहन प्रशिक्षण 2018, कटघोरा वनमंडल

परंपरागत ज्ञान का अभिलेखीकरण करने हेतु कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 नये एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में जैव विविधता समिति गठित कर कार्य किये जाने बाबत् FRLHT बैंगलोर के तकनीकी सहयोग से किया जावेगा । इस हेतु FRLHT बैंगलोर को 11.47 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी है ।

24.15 क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रा में कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारी एवं जैव प्रबंधन समिति सदस्य के लोगों के क्षमता विकास हेतु 25 प्रशिक्षणार्थियों को बस्तर वनमंडल में प्रशिक्षण दिया गया व जुलाई 2018 को एक्सपोजर विजिट के तहत् बैंगलोर में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत् औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्रों की उपयोगिता एवं औषधीय पौधों के पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ।

क्षमता विकास प्रशिक्षण अंतर्गत बैंगलोर में शैक्षणिक भ्रमण वर्ष 2018

क्यू.सी.आई. नई दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों, किसानों तथा वन विभाग एवं बोर्ड के कर्मचारियों को Good Agricultural & Field Collection Practices तथा वैद्यों के प्रमाणीकरण हेतु प्रशिक्षण का आयोजन दुगली, धमतरी में 03 जनवरी 2018 को किया गया ।

क्षमता विकास प्रशिक्षण अंतर्गत दुगली, धमतरी में शैक्षणिक भ्रमण वर्ष 2018

24.16 छत्तीसगढ़ न्यूक्लियस सेंटर (एन.एम.पी.बी. द्वारा वित्त पोषित)

I. एन.एम.पी.बी. (केन्द्र शासन) द्वारा वित्त पोषित न्यूक्लिस सेंटर अंतर्गत राशि रू. 30.24 लाख का बजट जुलाई 2018 से जून 2019 तक के लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत कराने का कार्य (जिसके अंतर्गत वर्तमान में राशि रू. 7.56 लाख (25 प्रतिशत) प्राप्त हो चुकी है) ।

ii. औषधीय पौधों पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन श्रीराम शर्मा (मिन्टू) शास.उच्च.माध्य. विद्यालय, डूमरतराई

में कराया गया, जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों के निःशुल्क वितरण, औषधीय पौधों का पौधारोपण, औषधीय पौधों पर आधारित स्कूली बच्चों के व्याख्यान के साथ–साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

श्रीराम शर्मा (मिन्टू) शास.उच्च.माध्य. विद्यालय, डूमरतराई, रायपुर में बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन

24.17 प्रचार-प्रसार कार्य

- **लघुवृत्त चित्रा का निर्माण**-वर्ष 2018 में हर्बल पर्यटन, वनौषधि 2018 कार्यक्रम का हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में 03 लघु वृत्त चित्रा तथा वैद्यों पर आधारित वनौषधियों के सजग प्रहरी के 10 एपिसोड सहित कुल 13 लघुवृत्त चित्रों का निर्माण छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से किया गया है ।
- **होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार कार्य**-06 जिलों के शहरी क्षेत्रों तथा 04 जिलों के सभी विकासखंडों में होर्डिंग्स द्वारा प्रचार कार्य छ.ग. संवाद के माध्यम से कराया गया ।

- **एल.ई.डी. टी.वी. के माध्यम से प्रचार कार्य**-रेलवे स्टेशन रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में विज्ञापन स्पॉट द्वारा प्रचार कार्य छ.ग. संवाद के माध्यम से कराया गया ।
- **मेला प्रदर्शनियों में भागीदारी**-अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के कुल 08 मेला प्रदर्शनियों में भागीदारी की

गई, जिसमें राष्ट्रीय किसान मेला–2018, विश्व पर्यावरण दिवस–2018 दिल्ली एवं कॉस्मो एक्सपो–2018 रायपुर प्रमुख है ।

राष्ट्रीय कृषि मेला -2018 रायपुर

विश्व पर्यावरण दिवस प्रदर्शनी - 2018 नई दिल्ली

- **वेबसाईट का निर्माण**-बोर्ड की वेबसाईट में नवीनीकरण केन्द्र शासन की सुग्मय भारत योजना निःशुल्क कराया गया, वेबसाईट नवीनीकरण आने वाली लागत लगभग राशि रू. 5.00 लाख की बचत हुई ।
- **डिजिटल मीडिया**-बोर्ड द्वारा ट्वीटर (28 जून 2014) एवं फेसबुक (1 नवंबर 2015) के जरिये बोर्ड की योजनाओं एवं गतिविधियों के बारे में आम जनों को जानकारी दी जाती है एवं जल्द ही यू–ट्यूब चैनल के माध्यम से औषधीय पौधों संबंधित फिल्म एवं विडियों का प्रचार–प्रसार किया गया तथा फेसबुक ट्वीटर एवं यू–ट्यूब को बोर्ड की वेबसाईट से लिंक किया गया ।
- **न्यूज**-वर्ष 2018 में राज्य के अखबारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा लगभग 50 सकारात्मक न्यूज प्रकाशित/प्रदर्शित की गई ।
- प्रकाशन कार्य –वर्ष 2018 में 11 पुस्तक/ब्रोशर/लिफलेट /सोविनयर/ आमंत्रण पत्र का प्रकाशन कार्य छ.ग. संवाद के माध्यम से कराया गया।

भाग –छः

25. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड

1/- **छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ 8/21/06/10–2 दिनांक 16.02.2006 के द्वारा मान. वनमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में किया गया।

2/- **छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुर्नगठन** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ 8–21/2005/10–2 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा किया गया।

3/- **वर्तमान में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के पदाधिकारी निम्नानुसार हैं**

I	**अध्यक्ष** मान. वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
II	**पदेन / शासकीय सदस्य**	
	(1) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	सदस्य
	(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) छत्तीसगढ़	सदस्य
	(3) संचालक, कृषि छत्तीसगढ़	सदस्य
	(4) संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	सदस्य
III	**विशेषज्ञ / अशासकीय सदस्य**	
	(1) कुलपति, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
	(2) श्री अरूण मृदुल कुमार भरोस, अध्यक्ष छ.ग.वाईल्ड लाईफ सोसायटी, बी–101, गायत्री नगर, रायपुर	सदस्य
	(3) प्रोफेसर एम.एल.नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल आफ लाईफ साइन्सेस) पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
	(4) श्री रजनीश अवस्थी, रायपुर	सदस्य
	(5) श्री सुबोध पाण्डे	सदस्य
	(6) श्री पारसनाथ रोहित, बलरामपुर	सदस्य
IV	**सदस्य सचिव**	
	(1) राज्य शासन द्वारा नियुक्त/ नामांकित वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य सचिव

4/- **छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम-** 2015 छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 08–04/2011/10–2 दिनांक 01 जून 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जैव

विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र क्र. 26 रायपुर दिनांक 26 जून 2015 में किया गया है।

5/- **छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता नियम 2015** के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यो की नवनियुक्ती के प्रस्ताव पर शासन द्वारा कार्यवाही प्रगति पर है।

6/- **जैव विविधता अधिनियम 2002** के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में निम्नानुसार निकायों में BMCs का गठन किया जाना आवश्यक है ।

क्र.	जैव विविधता प्रबंधन समिति का स्तर	संख्या
1	पंचायत स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	10955
2	जनपद स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	146
3	जिला स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	27
4	नगरीय निगम स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	12
5	नगर पालिका स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	45
5	नगर पंचायत स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	113
	कुल	**11298**

7/- **वर्तमान तक कुल 223 बी.एम.सी.** के गठन की कार्यवाही की गयी हैं। जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) एवं लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

8/- **धमतरी जिले में ग्रीन स्कील डेव्हलपमेंट** के तहत पी.बी.आर. निर्माण में प्रशिक्षित पैराटॉक्सीनॉमिस्ट उम्मीदवारों द्वारा 50 जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) तैयार करने एवं 50 लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) निर्माण की कार्यवाही वनमंडलाधिकारी धमतरी के संयोजन से कार्यपालन अभियंता जल प्रबंधन संभाग, रूद्री, कोड नं. 38 जिला धमतरी के द्वारा ज्ञापन क्रमांक/00/व.ले.लि./2017 दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से सोंढूर बांध जलाशय परियोजना के वृक्षारोपण मुआवजा हेतु कंजरवेशन आफ फ्लोरा एवं फॉना एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के तहत प्राप्त राशि के अंतर्गत किया जा रहा है।

9/- **मुख्य वैज्ञानिक नोडल अधिकारी पी.पी.व्ही. एंड एफ.आर.ए. डिपार्टमेंट ऑफ जैनेटिक एंड प्लान्ट ब्रिडिंग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर** के द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट "Mainstreaming of agricultural biodiversity conservation and documentation of enriched heritage sites of Chhattisgarh to ensure commercialization services"अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी वनमंडल के 12 ग्राम पंचायतो Bagroomnala, Bedhawabathra, Jhunjhrakasha, Gondlanala, Pandripani, Keramuda, Hitali, Kavhabahra, Kekrakholi, Bhandarwadi, Sonjhari, Mudkera में धान के विभिन्न जैविक प्रजातियों के अध्ययन करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के गठन एवं लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

10/- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)** छ.ग., अटल नगर, रायपुर के द्वारा कैम्पा मद के अतिरिक्त ए.पी.ओ. 2018–19 में बायोडायवर्सिटी प्रबंधन एवं बायोडायवर्सिटी रिर्सोस के विकास हेतु एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत राशि निम्नानुसार कार्यो हेतु स्वीकृत किया गयाः–

1. बायोडायवर्सिटी के संरक्षण हेतु बी.एम.सी. की स्थापना।
2. बायोडायवर्सिटी के संरक्षण हेतु पी.बी.आर. का निर्माण।

उपरोक्त कैम्पा मद के ए.पी.ओ. वित्तीय वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ राज्य में 550 बी.एम.सी. के गठन एवं 550 पी.बी.आर. के निर्माण हेतु राशि रू. 991.00 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है जिसके अंतर्गत 09 वनमंडलों बीजापुर, सुकमा, गरियाबंद, बस्तर, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोरबा, सरगुजा एवं अचानकमार टायगर रिजर्व में कार्यवाही की जा रही है।

11/– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ. 8–4/2011/10–2 रायपुर दिनांक 01.08.2015 के द्वारा छ.ग.रा.जै.वि.बोर्ड एवं BMCs के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये सक्षम एवं उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रत्येक वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) के गठन के लिये जिले के वनमंडलाधिकारी को उक्त समूह के नोडल अधिकारी / समन्वयक के रूप में कार्य करने हेतु उक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त 34 वनमंडलाधिकारियों/नोडल अधिकारियों के द्वारा उनके जिलों में तकनीकी सहायता समूह के गठन के आदेश जारी किये गये है।

12/– छ0ग0रा0जै0वि0बोर्ड, रायपुर द्वारा निम्नानुसार पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग किया गया हैं

क्र.	पुस्तक का नाम	लिपि
1.	Biological Diversity Act -2002	अंग्रेजी
2.	जैव विविधता अधिनियम 2002	हिन्दी
3.	जैव विविधता प्रबंधन समितियों(BMCs) के प्रचालन के लिए दिशा निर्देश	हिन्दी
4.	Reptiles of Chhattisgarh	अंग्रेजी
5.	SOUVENIR "On the Occasion of World Biodiversity Day 22nd May 2016"	हिन्दी
6.	मानक परिचालन प्रक्रिया संदर्भ बाघ एवं तेन्दुआ	हिन्दी
7.	छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड से संबंधित अधिनियम/नियम एवं दिशानिर्देश	हिन्दी एवं अंग्रेजी

13/– छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाईट www.cgsbb.org संचालित की जा रही है।

14/– स्टेट बायोडायवर्सिटी के स्टेट्रजी एवं एक्सन प्लान (SBSAP) तैयार करने हेतु राशि रू. 40.66 लाख का प्रोजेक्ट की स्वीकृति यू.एन.डी.पी. द्वारा की गयी है जिसके लिए विभिन्न संस्थाओं से अनुबंध कर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

हमारे वन क्षेत्र

हमारे नैसर्गिक वन